हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 मार्च, 2013

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

सोमवार, 11 मार्च, 2013

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(9)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)3
अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनंदन	(9)10
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(9)11
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(9)24
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)27
अध्यक्ष द्वारा घोषणा– अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	(9)67
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उन पर वक्तव्य	(9)68
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(9)82
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(9)82
सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र	(9)83

मूल्य : 356

	पृष्ठ संख्या
विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना	(9)85
(i) सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की 41वीं रिपोर्ट	
(ii) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 68वीं रिपोर्ट	
(iii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 59वीं रिपोर्ट	
(iv) शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिडयूल्ड ट्राइब्ज एवं बैकवर्ड क्लासिज के कल्याण के लिए बनी समिति की 36वीं रिपोर्ट	
(v) गवर्नमैंट ऐश्योरैंसिज कमेटी की 42वीं रिपोर्ट	
(vi) ऐस्टीमेट्स कमेटी की 41वीं रिपोर्ट	
(vii) पेटीशन कमेटी की तीसरी रिपोर्ट	
श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के परिवार के सदस्यों के ट्रस्टों/सोसायटियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के लिए सदन की समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	(9)87
विधान कार्य –	(9)87
(1) हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 2) विधेयक, 2013	
सदस्यों का नाम लेना/वाक आउट	(9)88
सदस्यगण के व्यवहार तथा आचरण की निन्दा करना/मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य	(9)93
विधान कार्य (पुनरारम्भण)	(9)97
(2) दि हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गारबेज (कंट्रोल) अमैंडमैंट बिल, 2013	
(3) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2013	
(4) दि हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2013	
(5) दि हरियाणा को-ऑपरेटिव सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2013	
(6) दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2013	
श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. के भर्त्सना के मामले को टालना	(9)127
अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद	(9)128

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 11 मार्च, 2013

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister will make obituary references.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन महान् स्वतंत्रता सेनानी श्री बीरबल के 7 मार्च, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म हिसार जिले के गांव रावलवास खुर्द में सन् 1920 में हुआ। श्री बीरबल सन् 1939 में फौज में भर्ती हुए तथा सन् 1941 में आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

वे सन् 1941 से 1946 के दौरान सिंगापुर, मुलतान, बर्मा तथा बिहार की जेलों में रहे तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें सन् 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार "ताम्रपत्र" देकर सम्मानित किया गया। हमें ऐसे महान् देशभक्त पर गर्व है तथा हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

यह सदन महान् स्वतंत्रता सेनानी श्री बीरबल को शत्-शत् नमन करता है तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन महान् स्वतंत्रता सेनानी, श्री हरदेवा सिंह के 7 मार्च, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म हिसार जिले के गांव बडाला में हुआ। देशभक्ति की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। श्री हरदेवा सिंह को फौज में रहते हुए इलाहाबाद, जालंधर, जम्मू-कश्मीर और बर्मा में देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने सन् 1947 में देश की आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर भाग लिया तथा देश की आजादी के बाद उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हमें ऐसे महान देशभक्त तथा समाज सेवक पर गर्व है।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

यह सदन महान् स्वतंत्रता सेनानी श्री हरदेवा सिंह को शत्-शत् नमन करता है तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन पूर्व मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल के चचेरे भाई तथा जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं आबकारी व कराधान मंत्री श्रीमती किरण चौधरी के चाचा ससुर श्री ईश्वर सिंह के 10 मार्च, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ में 26 जुलाई, 1928 को हुआ। वे एक साधारण किसान थे। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए भिवानी के रेतीले इलाके में भरपूर फसल पैदा की। गांव के विकास में उनकी गहरी रुचि थी तथा वे गरीबों की हर संभव सहायता करते थे।

यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन नायक श्री संजय कुमार के 7 मार्च, 2013 को हुए आकस्मिक दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली जनवरी, 1979 को गांव संडवा, जिला भिवानी में हुआ। वे 27 दिसंबर, 1996 को भारतीय सेना में 6 ग्रेनेडियर यूनिट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए तथा पदोन्नति के बाद नायक के पद पर पहुंचे। राष्ट्र सेवा की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी।

उनके निधन से देश एक वीर सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन श्री वेद प्रकाश सुपुत्र श्री मेहर चन्द जो पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कर्ण सिंह दलाल के भतीजे थे, उनके आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट करता है। छोटी आयु में उनके निधन से जहां परिवार को क्षति पहुंची है वहीं समाज सेवी कार्यों में जिस प्रकार से वे लगे हुए थे, उनसे भी हमारा प्रांत महरूम हुआ है। यह सदन उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर महोदय ने सदन में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं भी अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इसमें शामिल होता हूं। हमारे महान् स्वतंत्रता सेनानी श्री बीरबल, महान स्वतंत्रता सेनानी श्री हरदेवा सिंह, चौधरी बंसी लाल के चचेरे भाई श्री ईश्वर सिंह जी नायक संजय कुमार जी और पूर्व मंत्री श्री कर्ण सिंह दलाल के भतीजे वेद प्रकाश के निधन पर भी हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उन्हें मोक्ष दे। उनके निधन पर दिवंगत परिवारों को जो क्षति हुई है भगवान उन्हें यह दुःख सहन करने की ताकत दे। स्वतंत्रता सेनानियों के जाने से देश को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है इसलिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary References made by the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister and the feelings expressed by other Members of the House. I feel grieved on the sad demise of Shri Birbal of village Rawalwas Khurd in district Hisar on 7th March, 2013. He was a great freedom fighter who actively participated during the freedom struggle and was honoured with the Tamrapatra. I also feel grieved on the sad demise of Shri Hardeva Singh of village Badala in district Hisar on the 7th march, 2013. He also actively participated in the freedom struggle and was a great social worker. I also feel grieved on the sad demise of Shri Ishwar Singh cousin of Shri Bansi Lal, former Chief Minister, Haryana and cousin Father-in-Law of Smt. Kiran Choudhary, Public Health Engineering Minister, Haryana, on 10th March, 2013. I also further feel grieved on the sad demise of Shri Sanjay Kumar, Nayak of village Sandhava on 7th March, 2013 and Shri Ved Parkash relative of Shri Karan Singh Dalal, Ex-MLA. I pray to Almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now, I request all of you to kindly stand up for two minutes to pay homage to the departed souls.

(At this stage, the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of deceased.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble members, now the Question Hour.

Supply of 24 Hours Electricity

Shri Krishan Pal Gurjar : Will the Power Minister be pleased to state the time by which 24 hours electricity is likely to be supplied for people in Haryana?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, 24 hours electricity for the people in Haryana is likely to be supplied by the financial year 2016-17 onwards, according to projections made in Financial Restructuring Plan (FRP).

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि 2016-17 तक सम्भावित तौर पर हम 24 घंटे बिजली देंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2005 में न केवल 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया था बल्कि यह भी कहा था कि हरियाणा के पास सरप्लस बिजली होगी और हरियाणा दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने अपनी बात को विदड्रा कर लिया है। दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि 2016-17 तक इन्होंने अनुमानों के अनुसार सम्भवतः कहा है तो 2016-17 तक बिजली की मांग कितनी बढ़ेगी और मांग के अनुसार तब तक बिजली का उत्पादन कितना बढ़ेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज के दिन जहां तक पावर अवेलेबिलिटी की बात है तो उसकी कोई कमी नहीं है, परंतु यह डिमांड पर डिपैंड करता है। आज के समय में हमने फरवरी के महीने में अर्बन एरिया में 24 घंटे बिजली दी है इंडस्ट्रीज को 22 घंटे, रूरल डोमैस्टिक को साढ़े 12 घंटे और साढ़े 13 घंटे रूरल एग्रीकल्चर के लिए बिजली दी है। आने वाले समय में भी बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हमने लौंग टर्म कंट्रैक्ट कर रखा है। केवल दिक्कत पीक ऑवर्ज में ही आती है। सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक और रात 8 से 11 बजे तक पीक ऑवर्ज होते हैं और उसी दौरान हमें दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त गर्मी के सीजन में भी दिक्कत आती है क्योंकि इस दौरान बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। पिछले गर्मी के सीजन में 9 हजार मेगावाट बिजली की डिमांड हो गई थी जबकि अवेलेबिलिटी कम थी। गांवों के अंदर भी हम ज्यादा बिजली दे सकते हैं। लेकिन वहां लाईन लौसिज 50 प्रतिशत से भी अधिक हैं। गांवों में हम सवा 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं जबकि 8 रुपये प्रति यूनिट हमें पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, इस गैप से लौसिज बढ़ते है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और लाईन लौसिज को कम करने के लिए आने वाले 3 साल में 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इसमें मीटर सभी के घरों के बाहर लगायेंगे और पी.वी.सी. की पाईप्स लगायेंगे ताकि कुण्डी कनैक्शन बंद हो जायें। इस स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपये इस साल लगाने की योजना है। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि गांवों में जहां पर आज भी लाईन लौसिज 25 प्रतिशत से कम हैं उन गांवों को हम 4 घंटे अतिरिक्त बिजली देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय वर्ष 2014 के अंदर हम रूरल डोमैस्टिक को 16 घंटे, अर्बन डोमैस्टिक को 22 घंटे और इण्डस्ट्रीज को 23 घंटे बिजली देंगे। इसी तरह से वर्ष 2015 के अंदर हम रूरल डोमैस्टिक को 18 घंटे, अर्बन डोमैस्टिक को 24 घंटे और इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली देंगे। इसी तरह से वर्ष 2016 के अंदर हम रूरल डोमैस्टिक को 20 घंटे, अर्बन डोमैस्टिक को 24 घंटे और इण्डस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली देंगे। इसी तरह से वर्ष 2017 में रूरल डोमैस्टिक, अर्बन डोमैस्टिक और इंडस्ट्रीज तीनों को 24-24 घंटे बिजली देंगे। अध्यक्ष महोदय, समस्या केवल लाईन लौसिज कम करने और हमारे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को सुधारने की है जिस पर हम खर्च कर रहे हैं। बिजली की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। हमने लौंग टर्म कंट्रैक्ट भी किया हुआ है और 2016 तक हमारा यमुनानगर का 660 मैगावाट का प्लांट और दूसरे प्लांट भी शुरू हो जायेंगे। उसके बाद बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि रूरल डोमैस्टिक में जहां सारे लौसिज को मिलाकर 25 प्रतिशत से कम लाईन लौसिज होंगे वहां पर 4 घंटे अतिरिक्त बिजली दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मंत्री जी ने अभी यह

कहा है कि सरकार जो बिजली का सिस्टम है उसको आर्गेनाईज कर रहे हैं ताकि जहां तारें खराब हैं, ट्रांसफार्मर या पोल की जरूरत है उसमें सुधार कर रहे हैं। इसके बाद 25 प्रतिशत की बात रह भी नहीं जाती है और न ही 4 घंटे फालतू बिजली देने की बात रह जाती है। अगर सरकार गांवों में अपने सारे सिस्टम को ठीक कर लेती है और बिजली की पूरी चोरी रुक जाती है तो अर्बन सप्लाई आ जाती है। अब केबल भी पी.वी.सी. की लगाई जा रही हैं जिनमें चोरी नहीं होती। इस केबल को बीच से कट नहीं किया जा सकता। That is a good think. यह अच्छी बात है। सरकार बिजली के सिस्टम को रिफार्म कर रही है इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें मुझे खुशी भी है। लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि अब तक कितने गांवों को टोटल रिफार्म कर लिया गया है जिनके मीटर बाहर लग गये हैं और केबल ऐसी लग गई हैं जिनमें अन-अथोराईज्ड कनैक्शन लग नहीं सकते। इसमें डोर टू डोर भी सर्वे करें। उसके बाद भी अगर लॉसिज आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके कोई टैक्नीकल लॉसिज हैं या कमर्शियल लॉसिज हैं। इस प्रकार से दो ही प्रकार के लॉसिज रह गये हैं। इसलिए इस बारे में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अगर कमर्शियल लॉसिज हैं तो वहां पर उपभोक्ता का कनैक्शन काट दिया जाये क्योंकि ये तो उपभोक्ता के बिल पे न करने के कारण उत्पन्न होते हैं। अदरवाईज़ मैं समझता हूं कि सरकार को रूरल सैक्टर में भी अर्बन सप्लाई देने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा सम्भव है। क्या मंत्री जी अपना सारा सिस्टम एकदम अपडेट करके और साथ में अगर लॉसिज खत्म हो जाते हैं तो 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। यहां 24 घंटे से मेरा मतलब है कि अर्बन सप्लाई चाहे वह 20 घंटे हो या 22 घंटे हो। क्या मंत्री जी इस बारे में कदम उठायेंगे और बतायेंगे कि यह सप्लाई देने में क्या दिक्कत आती है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है मैं इस बारे में यह बताना चाहता हूं कि अर्बन एरिया में हमारी कोई दिक्कत नहीं है जहां तक रूरल एरिया में अर्बन सप्लाई देने का संबंध है। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमने बहुत से कदम उठाये हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया हम एल्यूमिनियम की तारों को पी.वी.सी. केबल से रिप्लेस कर रहे हैं अगर ये सारे प्रदेश में लग जाती हैं तो फिर कोई भी व्यक्ति कुण्डी लगाने की कोशिश नहीं कर पायेगा और इस प्रकार सरकार के इस प्रयास से लाईन लॉसिज कम हो जायेंगे। यह हमने पहले ही कह दिया है कि रूरल सैक्टर में जहां 25 परसैंट से कम लाईन लॉसिज हैं वहां पर हम चार घंटे बिजली की अतिरिक्त सप्लाई देंगे। सरकार का यह फैसला अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है लेकिन हमने इस बारे में विभाग को आदेश दे दिये हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसे जल्दी से जल्दी लागू कर देंगे।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा है कि जहां पर मंत्री जी ने पूरे सिस्टम को ठीक कर दिया है वहां पर अर्बन सप्लाई देने में क्या दिक्कत है। जहां पर रूरल इलाकों में जहां लाईन लॉसिज बिल्कुल नहीं रहेंगे। वहां पर अर्बन सप्लाई देने में क्या प्रॉब्लम है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, जो बात प्रो. सम्पत सिंह जी ने कही

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
है, इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रूरल क्षेत्र में बिजली की सप्लाई के संबंध में हमारी सरकार की यह नीति है कि जहां पर रूरल फीडर होगा और लाईन लॉसिज 25 परसैंट से कम होंगे वहां पर हम अर्बन सप्लाई दे पायेंगे।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, जो देहाती क्षेत्र में साढ़े 12 घंटे बिजली सप्लाई की बात है, वह कमी तो ऐसे ही चलेगी। जैसे माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि डोमैस्टिक फीडर में जहां पर लाईन लॉसिज 25 परसैंट से कम हैं वहां पर सरकार चार घंटे ऐक्स्ट्रा बिजली देती है। यह बहुत अच्छी बात है। मेरी रिक्वैस्ट यह है कि अब आने वाले समय में प्रदेश के किसानों का खेती बाड़ी का काम शुरू हो जायेगा और उसका शिड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो जायेगा। उसमें लोगों के काम धंधा करने के हिसाब से पूरे रूरल सैक्टर में पॉवर सप्लाई की इस साढ़े बारह घंटे में सुबह-शाम की जो टाईम ऐडजस्टमैंट है वह सुबह 5.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक और शाम को 5.00 से लेकर 10.00 बजे तक हर हाल में होनी चाहिए। यह मेरी माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट है। आगे आने वाले मौसम में मच्छरों का भी प्रकोप हो जायेगा और सारा दिन अपने खेतों में काम करने के बाद किसान जब थक हारकर घर पर आराम करने के लिए आयेगा तो फिर उसको मच्छर डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि रात के समय में भी गांवों में ज्यादा से ज्यादा बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाये। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि टाईम की यह ऐडजस्टमैंट बहुत ज्यादा जरूरी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम देहात में शाम 6.30 बजे से सुबह 3.30 बजे तक बिजली की सप्लाई दे रहे हैं। इसके बाद सुबह 6.00 से सुबह 8.00 बजे फिर हम बिजली देते हैं। इसके अलावा हम दोपहर में भी पानी इत्यादि के लिए एक घंटा बिजली देते हैं ताकि पानी की कोई समस्या न हो। यह सप्लाई हम आज की डेट में दे रहे हैं। आज हम गांवों में औसतन 12.33 परसैंट बिजली दे रहे हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि विभाग द्वारा जो रात में बिजली दी जा रही है उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। सुबह शाम के समय जो बिजली देने की जो बात है उसी समय बच्चों को पढ़ाई करनी होती है। इसके अलावा किसान जो अपने पशुओं के लिए खेतों से चारा लाता है। उसे उस चारे को काटना होता हैं इन सबके लिए यह ऐडजस्टमैंट बेहद जरूरी है। इसलिए शाम को 4.00 बजे से 10.00 बजे तक पॉवर की सप्लाई बेहद जरूरी है और इसी प्रकार से सुबह 4.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक पॉवर की सप्लाई की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने बताई है वैसे 7-8 घंटे की बिजली सप्लाई की ऐडजस्टमैंट सुनिश्चित हो जाये बाकी तो सरकार जैसा ठीक समझे वैसा कर ले।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जहां पर देहाती सैक्टर में लाईन लॉसिज 25 परसैंट से कम होंगे वहां पर पॉवर की सप्लाई को हम अर्बन मोड पर लाने की कोशिश करेंगे। सरकार की मौजूदा नीतियों के तहत कहीं

पर पॉवर की सप्लाई वहां के लाईन लॉसिज के ऊपर डिपैंड करती है क्योंकि ऑफ्टर आल हमें 7.59 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की कॉस्ट पड़ रही है और हम रूरल एरिया में उसकी सप्लाई 3.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं। यह मैं एवरेज बता रहा हूं। इस प्रकार से इसमें जो गैप है वह तकरीबन 3.50 रुपये का है। हमें इस गैप को भी कवर करना है। हमारे लाईन लॉसिज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं। जैसा माननीय सदस्य श्री आनंद सिंह दांगी जी ने सुझाव दिया है हम वैसे ऐडजस्टमैंट करेंगे। सर, हम शाम को 06.30 बजे से लगातार आठ घंटे लाईट दे रहे हैं।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि गांवों में शाम को 5.00 बजे बिजली दी जाये और 10.00 बजे तक चलायी जाये और इसी प्रकार सुबह 4.00 बजे से 7.00 बजे तक बिजली दी जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 7-8 घंटे की ऐडजस्टमैंट बहुत ज्यादा जरूरी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री दांगी साहब से कहना चाहूंगा कि इस बारे में इनके जो भी सुजैशंज हो, उन्हें ये मुझे लिखित में भिजवा दें, हम उन सुझावों पर विचार कर लेंगे।

Shortage of Doctor

***1492. Shri Prithvi Singh Nambardar :** Will the Health Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact thet there is shortage of doctors, surgeons, skin specialists, radiologists etc. in the hundred beds Hospital at Narwana ; and

(b) if so, the time by which the required staff, as at (a) above, is likely to be posted?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) नहीं श्रीमान, सामान्य अस्पताल नरवाना में चिकित्सकों के कुल 12 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 11 चिकित्सक, 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित, 2 हड्डी रोग विशेषज्ञ, एक-एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा मैडिसिन विशेषज्ञ तैनात हैं। जबकि वर्तमान में कोई भी शल्य चिकित्सक, चर्म रोग विशेषज्ञ एवं रेडियोलोजिस्ट तैनात नहीं है।

(ख) जब भी संभव होगा वांछित अमला तैनात कर दिया जाएगा।

श्री पृथी सिंह नम्बरदार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं वैसे तो नरवाना में 100 बैड का अस्पताल है लेकिन वहां पर इससे संबंधित जरूरी सुविधायें नहीं हैं। वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की, सर्जन की, स्किन स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट आदि की कमी है जिसके कारण रोगियों को रोहतक के अलावा

[श्री पृथी सिंह नम्बरदार]

दिल्ली व चण्डीगढ़ जाना पड़ता है। मरीजों को दाखिल करने से पहले ही बाहर रैफर कर दिया जाता है। वहां पर स्टाफ नर्स की भी कमी है। इसी प्रकार से वहां पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी कमी है जिसके कारण सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, स्पीच न दीजिए।

श्री पृथी सिंह नम्बरदार : अध्यक्ष महोदय, नरवाना के उचाना में सी.एस.सी. का भवन बिल्कुल जर्जर हालत में है, वह किसी भी समय गिर सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाईये। आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं।

Extension of Metro Rail

***1547. Shri Subhash Chaudhary :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the approval of Metro Rail from Badarpur Border to YMCA has been given ;

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to extend it upto Palwal, if so, the time by which it is likely to be extended?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes Sir,

(b) No sir, Not at this stage.

अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने बहुत ही गम्भीर और बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। फरीदाबाद का बदरपुर बॉर्डर से वाई.एम.सी.ए. चौक तक जो मैट्रो एक्सटेंशन का प्रोजैक्ट है इसको बाद में हम पलवल तक भी लेकर जाएंगे। यह प्रोजैक्ट ऐम्पावर्ड ग्रुप आफ मिनिस्टर्स द्वारा दिनांक 9.8.2011 को एप्रूव कर दिया गया था। इस बारे में 26 मार्च, 2012 को हरियाणा सरकार और दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन के बीच एक समझौता हुआ था। इस रूट की कुल लम्बाई 13.87 किलोमीटर है तथा इस प्रोजैक्ट की कुल लागत 2494 करोड़ रुपये है। इसमें से हरियाणा ने अपने हिस्से का 1557 करोड़ रुपये देने का अनुबंध किया है। अब तक पहली किस्त का हम 437 करोड़ रुपये जमा करवा चुके हैं। सितम्बर, 2014 में इस प्रोजैक्ट का पहला हिस्सा हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद इस मैट्रो को वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लबगढ़ तक लेकर जायेंगे। इसकी वहां तक कुल लम्बाई 3.2 किलोमीटर है और सैन्ट्रल एण्ड स्टेट टैक्सिज सहित इसकी लागत लगभग 564 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है तथा इसका भी ऐग्रीमैंट हो चुका है। पहले भाग का प्रोजैक्ट पूरा होने के बाद मार्च, 2014 में इस भाग का काम शुरू हो जायेगा तथा मार्च, 2017 में यह प्रोजैक्ट भी पूरा हो जायेगा। इसमें भी हरियाणा अपना कंट्रीब्यूशन 468 करोड़ 20 लाख रुपये वाई.एम.सी.ए. चौंक से बल्लभगढ़ तक का देगा। मैं मेरे काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि इन प्रोजैक्ट्स के लिए कुल 3 हजार करोड़ रुपये बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ तक हरियाणा अपना शेयर देगा।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ तक की पूरी जानकारी दे दी जो कि मैंने मांगी ही नहीं। मैंने तो यह पूछा है कि जो प्रोजैक्ट वाई.एम.सी.ए. तक जा रहा है क्या उसको पलवल तक पहुंचाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। हमारे एरिया से 16 ट्रेनें आती जाती हैं जिनमें लगभग 20 हजार डेली पैसेंजर आते-जाते हैं। पलवल से डेली पैसेंजर बहुत ज्यादा आते हैं। 6 गाड़ियां मथुरा-आगरा से आती हैं और उनमें भी 5-6 हजार पैसेंजर चढ़ पाते हैं क्योंकि ज्यादातर ट्रेनें पीछे से ही भरी आती हैं मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां से 35-40 हजार पैसेंजर जाते हैं तथा हमारे पास साधन 20-25 हजार पैसेंजर के हैं। इस प्रकार से जो 10-15 हजार पैसेंजर बचे वे किस तरह से सफर करेंगे? आपने 2017 तक का प्लान तो मैट्रो का बना दिया है इसका मतलब है कि पलवल में तो और कोई ट्रेन मिलेगी नहीं?

Mr. Speaker : It is a speech, please ask the question, no speech.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने 1 तारीख को बयान दिया था कि पलवल को बिना मांगे जो चाहिए, वह मिल जायेगा, लेकिन यहां मांगने से भी नहीं मिल रहा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, सुभाष चौधरी जी ने जो मुद्दा रेज किया है हालांकि इस पर आपका निर्णय आ चुका है, फिर भी मैं चौधरी साहब और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहली बार कांग्रेस सरकार जिसके मुखिया चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हैं उन्होंने यह निर्णय लिया है कि मैट्रो रेल का एक्सटैंशन हरियाणा में होना चाहिए और उसका पहला जो चरण था वह वाई.एम.सी.ए. चौक तक जाएगा, यह आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। उसका दूसरा चरण बल्लभगढ़ तक जाएगा। जब ये दोनों चरण पूरे हो जाएंगे तब अगले चरण के बारे में विचार किया जा सकता है। बहुत सारे मुसाफिर पलवल और दूसरे इलाकों से भी कम्यूट करते हैं उनको इसमें फायदा होगा। मैट्रो को ऑलरेडी गुड़गांव में हमने एक्सटेंड किया है। रैपिड मैट्रो सिकंदरपुर की इस समय पूरी होने वाली है। मैट्रो को बहादुरगढ़ तक हम लेकर जा रहे हैं। मैट्रो को कुण्डली तक ले जाने का प्रयास है। यह सब धीरे-धीरे जाएगी, एक चरण में कैसे जा सकती है ?

Upgradation of PHC

*1387. **Shri Mamu Ram :** Will the Health Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade PHC Nigdhu in Nilokheri Constituency to CHC ;

(b) whether it is a fact that Ultrasound machines have not been provided in CHC Nissing and CHC Trauri; if so, the time by which the said machines are likely to be provided in these CHC; and

[Shri Mamu Ram]

(c) whether it is a fact there is shortage of Doctors in CHC Nissing and CHC Trauri, if so the time by which required doctors are likely to be posted in CHC Nissing and CHC Trauri ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) हां, श्रीमान जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, निसिंग तथा तरावड़ी में अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उक्त मशीनें इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) हां, श्रीमान जी। हालांकि, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरावड़ी में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद जोकि रिक्त है, के अलावा चार स्वीकृत पदों के विरुद्ध चार चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है।

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पी.एच.सी. से सी.एच.सी. अपग्रेड करने के क्या नॉर्म्स हैं क्या पी.एच.सी. निग्धू इन नार्म्स को पूरा करती है? और दूसरा मेरा सवाल है सी.एच.सी. निसिंग और तरावड़ी के अन्दर कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद खाली हैं, और यह खाली पद कब तक भरे जाएंगे?

राव नरेन्द्र सिंह : सर, जहां तक पी.एच.सी. निग्धू का सवाल है इसकी पॉपुलेशन 51549 है और सर, अकॉरडिंग टु नॉर्म्स 1 लाख से 1 लाख 20 हजार तक पॉपुलेशन होनी जरूरी है उसके बाद ही पी.एच.सी. बनती है। ये तो इनके प्रथम प्रश्न का जवाब है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि पी.एच.सी. निग्धू के स्टाफ की क्या पोजीशन है? सर, पी. एच.सी. निग्धू में दो मैडीकल ऑफिसर की सैंक्शन पोस्ट हैं उसके अगेंस्ट एक फिल्ड है, एक डैंटल सर्जन की सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट एक फिल्ड है। सर, फार्मेसिस्ट के अगेंस्ट वहां फार्मेसिस्ट नहीं है, जोकि हम शीघ्र ही भेजेंगे और एक लैब टैक्नीशियन की पोस्ट के अगेंस्ट एक लैब टैक्नीश्यिन ऑलरेडी है। एक स्टाफ नर्स नहीं है जोकि हम देंगे। सर, इसी तरह इनका दूसरा सवाल सी.एच.सी. निसिंग के बारे में था। सी.एच.सी. निसिंग में एस.एम. ओ. की एक पोस्ट सैंक्शन है वह भी फिल्ड नहीं है अब प्रमोशन प्रक्रिया चल रही है और रिक्वीजिशन हमने भेजा हुआ है, उसके बाद हम उसमें एस.एम.ओ. भिजवाएंगे और निसिंग में तीन मैडीकल ऑफिसर्ज की पोस्ट सैंक्शन हैं उसके अगेंस्ट एक मैडीकल ऑफिसर वहां कार्यरत है ओर डैंटल सर्जन की एक पोस्ट सैंक्शन है उसके अगेंस्ट एक हमने दिया हुआ है और फार्मेसिस्ट की एक पोस्ट के अगेंस्ट ऑलरेडी एक फिलअप है और इसी तरह सर, लैब टैक्नीशियन की भी एक पोस्ट ऑलरेडी फिलअप है और स्टाफ नर्स की सात पोस्ट हैं उनके अगेंसट 6 स्टाफ नर्स ऑलरेडी काम कर रही हैं।

अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनंदन

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इससे पहले कि मैं अपने काबिल दोस्त के

प्रश्न का जवाब दूं, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जो हमारे साथी सांसद हैं आदरणीय प्रताप सिंह बाजवा जी और उनके साथ पंजाब विधान सभा में जो हमारे पूर्व विधायक सुखपाल खैरा जी, श्री हंसराज जोसन तथा उनके साथी श्री विक्रम सिंह जी और राजबीर सिंह जी जो कि स्पीकर गैलरी में मौजूद हैं, का मैं सदन की तरफ से स्वागत करता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I also welcome Shri Partap Singh Bajwa, Hon'ble Member of Parliament ; Shri Sukhpal Khera, Shri Hansraj Joshen, Ex-MLAs Punjab and their associates Shri Vikram Singh and Shri Rajbir Singh who are present in the House. We extend best wishes to them.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

***1400. Shri Pardeep Chaudhary :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that ten acre Land was acuqired in village Kaziana, Block Pinjore about seventeen years ago for Tourist Project ; If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to start work on this Project together with the time by which the construction work is likely to be started ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes Sir. It has been decided to set up an Integrated Tourism Resort and Spa on this land under Public Private Partnership for which Request for Proposal document is being prepared. The time by which the construction work is to be started will be known only after the finalization of Request for Proposal document and issue of tenders etc.

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 18-19 साल पहले हमारे यहां जो छोटे-छोटे गांव थे जिनमें कजाना भी एक गांव है, उस वक्त तकरीबन 15-20 गरीब जमींदार परिवारों से 48 बीघे जमीन एक्वॉयर की गई थी। जब इन प्रभावित परिवारों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि आपके परिवार के बच्चों को इस भूमि अधिग्रहण की एवज में नौकरियां दी जायेंगी। जब हमने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की तो हमें बताया गया कि प्राईवेट-सांझेदारी के साथ इस समस्या को हल करने का फैसला लिया गया है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन प्रभावित परिवार के सदस्यों को नौकरियां देने का कोई प्रावधान सरकार करेगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि वर्ष 1993-94 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैंट्रल फाईनेंशियल असिसटैंस का वादा किया। उसके बाद इस प्रोजैक्ट को लगाने के लिए 26 लाख रुपये की और ढाई लाख रुपये की राशि आ गई। इसी प्रोमिस के आधार पर वर्ष 1995 में उस समय की कांग्रेस सरकार ने 9 एकड़ 3 बीघे और एक बिस्वा जमीन का अधिग्रहण किया था। उस समय

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

बाजार भाव के मुताबिक इस जमीन की कुल कीमत 23 लाख 28 हजार 585 रुपये बनती थी जिसकी पेमैंट हम किसानों को आलरेडी कर चुके हैं। वर्ष 1997 में जब दिल्ली के साथ-साथ हमारे हरियाणा में भी सरकार बदल गई तो उस समय की जो भारत सरकार थी, उसने यह निर्णय लिया कि यह प्रोजैक्ट खारिज किया जाता है और उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में जो मैगपाई टूरिस्ट कॉम्पलैक्स है, उसे आप डैवल्प कर लें। फिर हमने 25 लाख रुपये की एक नई राशि को मंजूर करवाकर फरीदाबाद में मैगपाई टूरिस्ट कॉम्लैक्स को डैवल्प करवा दिया। यह जमीन तभी से ही पैंडिंग पड़ी थी। वर्ष 2009 में जब यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा गया तो उन्होंने कहा नहीं जब इस जमीन का अधिग्रहण हुआ है तो टूरिज्म का नैचुरल इम्प्लॉयमैंट जैनरेशन भी इसी एरिया से होगा। इसलिये इस प्रोजैक्ट को पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप में 33 साल के कंसेसनियर पीरियड के मुताबिक ही देने का निर्णय किया गया। उस समय इसमें प्रॉब्लम यह आई कि जब मौके पर जाकर देखा गया तो पता चला कि इस प्रोजैक्ट को फोरेस्ट की परमिशन नहीं मिली थी तो हमने इस प्रोजैक्ट को फोरेस्ट की अनुमति हेतु मूव कर दिया उसके बाद हरियाणा गवर्नमैंट ने चीफ मिनिस्टर के इनीशियेटिव पर इस प्रोजैक्ट को गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को कंसलटैंट लगाने के लिए मूव कर दिया और उन्होंने इससे ऐग्री भी कर लिया। मैं मेरे काबिल साथी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब उनकी डी.पी.आर. बनकर आ जायेगी तो जो स्टेट सपोर्ट की जरूरत होगी और वह सपोर्ट हम अवश्य देंगे और जितना ज्यादा पैसा हमें भारत सरकार से मिल सकेगा वह हम अवश्य लेकर आयेंगे। परन्तु यह कहना कि जिनकी जमीन अधिग्रहित हुई है, केवल उनको ही गारंटीशुदा नौकरियां मिल सकेंगी, यह कहना शायद इस समय संभव नहीं होगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कोई भी कंसैसनियर जो यहां पर आयेगा हम उसे इस बात के लिए इनकरेज करेंगे कि जहां तक संभव हो सके, यहां के जो स्थानीय निवासी हैं, केवल उनको ही रोजगार देने में ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाये। हम जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के साथियों की रोजगार की समस्या तो बहुत ज्यादा होती है। वैसे भी आपके क्षेत्र में बहुत पोटैंशियल है because it is the only hill station that we have.

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, हमारे यहां मेवात के अन्दर हरियाणा सरकार का कोई टूरिस्ट कॉम्पलैक्स नहीं है। क्या मेवात के अंदर इस तरह की परियोजना चलाने का सरकार का कोई विचार है, और अगर है तो कब तक इसका काम शुरू होने की संभावना है?

Mr. Speaker : Hon'ble Member, it is separate question.

Construction of Stadium

***1524. Shri Raghuvir Singh Tewatia :** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister to construct a sports stadium at village Janouli in Prithala Constituency ; if so, the time by which the aforesaid stadium is likely to be constructed ?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : अध्यक्ष महोदय, 19 मार्च, 2011 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे हल्के के जनौली गांव की रैली में गये थे तो हमने उनके सामने गांव जनौली में खेल स्टेडियम का निर्माण करने की मांग रखी थी, जिसको उन्होंने मान भी लिया था। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है, जबकि हमसे 6 एकड़ जमीन के कागज मांगे गये, जिनका साक्ष्य भी दे दिया गया है, उसकी जमाबंदी दे दी गई है, ग्राम पंचायत का रिजोलयूशन दे दिया गया है परन्तु जनाब कह रहे हैं कि यह तो मंजूर ही नहीं है। अगर यह मंजूर नहीं है तो फिर हमसे यह सभी चीजें क्यों मांगी गई थी?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वह बल्लभगढ़ हल्के के सीकरी गांव, दयालपुर और नवादा गांव में स्टेडियम बनाने के लिए की थी, वहां स्टेडियम्स के निर्माण का काम चालू है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि पृथला में भी नया स्टेडियम बने तो वे इसके लिए एक रेजोल्यूशन भिजवा दें तो उसकी फिजीबिलिटी हम चैक करवा लेंगे।

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र दो जिलों में पड़ता है। 38 गांव पलवल जिले में हैं। जनौली गांव पलवल जिले में आता है। वैसे तो मैंने अपने हल्के में स्टेडियम बनवाने के लिए सारे कागजात भेज दिये हैं। मंत्री जी, आप कहते हैं तो हम दोबारा से कागजात भिजवा देंगे। आपने और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा इस बारे में की है उसके लिए आपका और मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सुखबीर कटारिया : ठीक है, आप कागजात भिजवा दें, हम शॉर्ट्स चैक करवा लेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि करनाल में एक बहुत ही अच्छा स्टेडियम है और स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स भी बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन उसमें काफी सारे गेम्स के कोचिज नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगी कि कब तक नये कोच की भर्ती करके वहां कोच भेज देंगे?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के मुताबिक हम शीघ्र ही 780 कोचिज की नयी भर्ती करने जा रहे हैं और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कोचिज हम करनाल में भेज देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय का जो अभिभाषण था उसके अंदर भी इस बात की चर्चा थी कि हमने पौने 300 से ज्यादा स्टेडियम बना दिये हैं। बजट में भी यह बात रखी गई थी और स्पोर्ट्स को लेकर बहुत चर्चा हाउस में हुई थी। अगर किसी सदस्य ने यहां पर स्टेडियम के बारे में जिक्र किया या कोई प्रश्न लगाया और यह पूछा कि मेरे हल्के में स्टेडियम बनेगा तो उस पर एक दफा भी 'हां' में उत्तर नहीं आया। इसका क्या कारण है? कोई भी सदस्य यह नहीं कहता कि मेरे हलके में स्टेडियम बन गया है तो फिर यह पौने तीन सौ स्टेडियम किस जगह बनाए गए हैं, यह मैं जानना चाहता हूं?

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, सबके स्टेडियम बने हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, give him the list of Stadiums.

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 232 स्टेडियम बने हैं जिनके बारे में मैं सदन में पढ़कर बता देता हूं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दो स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स बने हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर 21 बने हुए हैं और सब डिवीजन में 13 बने हुए हैं। (विघ्न) मैं अभी डिटेल भी बता दूंगा। पहले मैं खाका तैयार कर दूं उसके बाद मैं डिटेल में बता दूंगा। राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर 227 बनने हैं जिनमें से 158 कंप्लीट हो चुके हैं और 69 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। (विघ्न) मिनी स्टेडियम 232 बन चुके हैं। (विघ्न) जिनकी डिटेल मैं बता देता हूं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स फरीदाबाद और रोहतक में है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स, अम्बाला और भिवानी में है। भिवानी में भीम सिंह स्टेडियम है और फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : यह सब तो पुराने बने हुए हैं। आप नये स्टेडियम्स के बारे में बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुखबीर कटारिया : नये बता देता हूं। जो ग्रामीण खेल परिसर 12 बने हैं उनमें से एक अंबाला में मोहरा गांव में, दूसरा खतौली अम्बाला में, तीसरा सरकपुर, नारायणगढ़ में है, चौथा लाहा में है, पांचवां साहा में है, छठा अम्बाला के ही अन्दर शहजादपुर (बिचपड़ी) में है, भिवानी में बढेरा में चांदवास गांव में और भिवानी में ही बहल में है, चरखी दादरी में मकराना और अचीना में है, चरखी दादरी-2 में बिरहीकलां और झोजूकलां में है और छपार में है। भिवानी में एक करून में लेडाहैटवन में है, एक लोहारू में डिगांव जटान में है। एक तोशाम में है और एक तोशाम में सांढवा गांव में है। एक भिवानी में तिगराना में है, एक भिवानी में मिठाठल में है और भिवानी में ही एक हालूवास में है। फरीदाबाद में अटाली में हैं, दूसरा फतेहपुर बिल्लौच के अंदर है, तीसरा करनेरा में है, एक फरीदाबाद में तिगांव में एक भट्टू कलां में, भूना में गोरखपुर गांव में है, फतेहाबाद में धारनिया में, जाखल में नाथुवाल में टोहाना में सामेण में है। अब मैं गुड़गांव के बारे में बताता हूं, गुड़गांव में दौलताबाद .....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप इनको ये लिस्ट ही दे देना।

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिरसा जिले के बारे में बता देता हूं। ऐलनाबाद में धोलपाला .....

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, ऐलनाबाद हल्के के किसी भी गांव में एक भी स्टेडियम नहीं बना है कहीं पर कोई भी चारदीवारी तक भी नहीं बनी है।

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं गांवों के नाम बता देता हूं। डबवाली में गंगा, नाथुसरीचौपटा में जमाल, औढ़ां में नूहियांवाली, रानियां में बालासर और सिरसा में कंवरपुरा।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, बालासर तो रानियां हल्के में है।

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सिरसा जिले के गांवों के बारे में बता रहा हूं। माननीय सदस्य गांवों में जाकर देखें। अगर फिर भी कोई कमी लगती है तो ये हमें बतायें, हम जरूर पूरी करेंगे।

Irregularities in the Repair of Tajewala Head Works

***1503. Shri Ram Pal Majra :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) whether various facts of irregularities and mis-appopriation of funds have come to the notice of the Government in the repair of Tajewala Head Works, during the years 2011 and 2012;

(b) if so, whether any Committee of Engineers was constitued by the Government to inquire into the matter, as at (a) above ; and

(c) if so, the report of Committee alongwith the action taken report, as at (b) above ?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) Yes, Sir,

(b) A committee of three Chief Engineers consisting of Shri A.K. Agarwal, Shri A.K. Syngal and Shri R.K. Garg alongwith experts Shri M.U. Ghani, Ex-Chairman, Ganga Flood Control Commission and Shri Rajeev Kumar, Chief Research Officer, Central Soil and Materials Research Station (CSMRS), New Delhi was constituted to look into the whole issue of the alleged substandard works, to provide opinion whether such substandard works are to be accepted or not and if accepted, at what rates, to assess the exact amount of loss caused to the State Ex-Chequer.

(c) Report has been received which is currently under examination. However concerned officers/officials stand already chargesheeted for lapses.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, प्रो. सम्पत सिंह जी ने तो कहा है कि आपके प्रश्न का तो 'हां' में ही जवाब है। मैंने हथनी कुण्ड बैराज के बोटाले के बारे में प्रश्न पूछा था तो माननीय मंत्री जी ने 'हां' में उत्तर दिया है। स्पीकर सर, हथनी कुण्ड बैराज अधिकारियों की चरागाह हो गया है। पिछली बार भी इस बैराज पर मिट्टी एक बार डाली गई और पेमैंट दो बार ली गई। इस बारे में कैग की रिपोर्ट हैं अब जो रिपोर्ट आई है उसकी एक लाईन मैं सदन में पढ़कर सुना देता हूं Speaker Sir, it is very clear that the way in which these flood works at Tajewala and Belgarh complexes have been planed, designed and executed by the concerned officers and constructed

[श्री रामपाल माजरा]
by the contractors, has not ony casued financial loss to the State but also serious damaged to the reputation of the Irrigation Department. सर, आज तक उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या टैंडर देने में, टैंडर की एग्जीक्यूशन करने में अधिकारियों ने कोई गड़बड़ियां की हैं, अगर की हैं तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया है। क्या अभी तक उन अधिकारियों को केवल चार्जशीट ही किया गया है। जबकि रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। स्पीकर सर, यह कोई छोटी लालटेन वाली बात नहीं है। जबकि वहां पर 17-18 करोड़ रुपये के स्ट्रक्चर खड़े हैं अगर वही स्ट्रक्चर इस प्रकार से सब-स्टैण्डर्ड के होंगे तो समझ लेना कि हथनी कुण्ड बैराज में जो स्ट्रक्चर खड़े किये हैं, वे गिर जायेंगे। स्पीकर सर, मैं समझ रहा हूं कि जब मंत्री जी के पास रिपोर्ट आ गई है तो फिर ये ऐक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र को जोश ज्यादा आ जाता है। वर्ष 2010 में जितनी फ्लड आई, उतनी पिछले 100 सालों में भी नहीं आई थी। उसकी वजह से कुछ डैमेज हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें इररैगुलेरिटीज पाई गई। मैं उनमें से हूं जो मानकर चलते हैं। इसमें नुक्स पाया गया है और उस नुक्स के साढ़े 6 करोड़ रुपये उनसे काट लिये गए हैं। इसके अलावा और भी काटेंगे, हमने 5 फर्मों को ब्लैक लिस्ट भी किया और उनके खिलाफ पर्चे भी दर्ज करवाएंगे। अभी पूरी रिपोर्ट अंडर कंसीड्रेशन है have you read it or not. अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह यकीन दिलाता हूं कि जो भी वहां दोषी पाया गया, उसको बख्शा नहीं जाएगा।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक किसी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है जबकि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कांट्रैक्टर को at once ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, न तो किसी को ब्लैक लिस्ट किया गया है और न ही किसी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद सवाल लगा दिया तब जाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और बदलियां की गई, परंतु अभी तक उनको रिलीव नहीं किया गया।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एस.ई., एक ऐक्सीयन को खुद सस्पैंड किया है। कुछ जे.ईज. के लिए चीफ इंजीनियर को डायरैक्शन दे दी गई हैं कि आप इन सबको सस्पैंड कर दो। इसके अलावा उनकी इन्कवायरी के लिए तीन और चीफ इंजीनियर्ज लगाए गए हैं जो ये देखेंगे कि कितनी-कितनी डैमेज हुई है और उस डैमेज के मुताबिक उनको खर्चा पड़ेगा। मैं एक बात अपोजीशन को ईमानदारी के साथ कहता हूं कि हमारे मन में यह है कि साफ और स्वच्छ काम चले। किसी ने बेइमानी की है तो उसके अंदर तो हम नहीं जा सकते लेकिन उसकी ठुकाई जरूर करेंगे।

Construction of New Bus Stand at Karnal

***1341. Smt. Sumita Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the plan of constructing a new modern bus-stand at Karnal has been changed ; if not, the progress made in this regard so for ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. The site already selected in Sector-12, Karnal for the New Bus Stand at Karnal is proposed to be changed. A committee of officers has been constituted for selection of a suitable site for the said bus stand.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 सालों में मेरे ख्याल में कोई ऐसा सैशन होगा जब यह प्रश्न न लगा हो। पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर हमेशा ये आश्वासन और जवाब देते रहे हैं कि हम इस बस स्टैंड को जरूर बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि मुझे यह बस स्टैंड बनवाने के लिए यह प्रश्न कितनी बार और लगाना पड़ेगा?

Mr. Speaker : She ask this question in every session.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि हमें मॉडर्न बस स्टैंड नहीं चाहिए। करनाल के अंदर सिम्पल सा बस स्टैंड जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाये। मॉडर्न बस स्टैंड के चक्कर में तो वहां बस स्टैंड बनेगा ही नहीं। हमारे यहां का बस स्टैंड तो पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से ही बनवा दिया जाये।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I agree with the concern my learned friend has expressed. Sir, you have also a house in Karnal City and you also know that old Karnal Bus Stand does needs to demand out on account of the congestion that it causes on the city and the city has expanded many-fold over the years. We had proposed to exchange this land and therefore, HUDA will exchange this land with 12 acres of land and consequently this bus stand will be constructed on Public Private Partnership Mode. In the meanwhile, when the six lane express way between Delhi-Chandigarh came, in that, the passage of this particular 12 acres of land has been blocked. So, the buses would now have to take a de-tour of 3 kilometres and that's why the department felt that this may not be the most appropriate site. The Civil Secretariat has also been constructed close by. So, even this area, which was really outside when we exchanged the site has become congested. That's why we constituted a Committee of Officers. I have also instructed them, Madam, to take you along for site selection, since you are the elected representative. They have identified for the time being three sites. One is land of ICAR on NH-I the other one is on Karnal-Chandigarh Road on the left side which is Baldi bye-pass and an ICR etc. The third one is on Karnal-Indri-Ladwa road that belongs to Haryana Agricultural University. I concede, Sir, that there has been a delay in this particular case and the delay is quite excessive. This Committee of Officers will take you, Madam, along and they will consult you. Very soon, we will do a site selection and we will proceed to construct a new bus stand at Karnal.

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि सरकार ने बिलासपुर को सब डिवीजन का दर्जा दिया हुआ है, कृपया वहां भी बस स्टैंड बनवाया जाये।

Mr. Speaker : It is a request and it may be noted, please.

Shri Randeep Singh Surjewala : Suggestion noted. We will try and expedite it.

Shri Venod Sharma : Sir, I would like from the Hon'ble Minister to enlighten me on the PPP mode what exactly it stands for ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Public Private Partnership Mode.

Shri Venod Sharma : Then why we are wasting time to pursue this policy which has not been successful for many years. We have been pursuing but it has not fruited as yet. Secondly, for Ambala Bus-stand, I had requested and Hon'ble Minister had kindly assured that PPP mode will be taken away as far as Ambala Bus-stand is concerned, if I give my concurrence. I have given my concurrence and I would like to request the Minister to please assure the House that it will be taken out of the PPP mode and it is lying therefore form 5 to 6 years. When it will be exactly constructed to facilitate the people of Ambala ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Both valuable suggestions noted, Sir. I had in this earlier House also assured our senior colleague that 17 acres, 2 kanals and 4 marlas land is in possession for construction of a bus-stand and workshop at Ambala City. Since that was a little less we needed small portions of 5 kanals and 4 marlas from UHBVN. We had, after I made this assurance, told the department and they have proceeded with preparation of drawings in anticipation of Transfer of this land. Public Private Partnership Mode, as my learned senior colleague also knows, was basically drafted in transportation section for construction of bus-stands so as to construct the bus-stands of the State with first class facilities, Mall-like structures and with all kind of shopping amenities, I concede it has not really fructified in a very amicable fashion so far. As far as Ambala bus-stand goes. I had already told my senior colleague and he has already given his consent. We will proceed to construct it out of State Funds. We will also tell the Department that for rest of the bus-stands under Public Private Partnership mode, either we should espedite them within a time-bound frame or we should proceed to take up their constructions on our own.

श्री आनंद कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां फरीदाबाद में भी मॉडल बस स्टैंड बनना प्रस्तावित है। मंत्री जी ने सदन में ही आश्वासन दिया था कि वहां सैक्टर-12 में बस स्टैंड के लिए हुडा से जमीन ट्रांसपोर्ट विभाग को ट्रांसफर हो चुकी है और जल्दी ही मुख्यमंत्री जी वहां बस स्टैंड की फाउंडेशन रखेंगे। मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि वह फाउंडेशन की तारीख कब तक आयेगी ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I probably will not have all information handy. Sir, In Sector 12, 15 acres of land has been allotted by HUDA and the Bus-stand is to be constructed on BoT (Build on Transfer)

basis and the General Manager has been advised to construct boundary-wall and start its operation.

To open Sub-Treasury at Saha

***1517. Shri Rajbir Singh Barara :** Will the Finance Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Sub-Treasury in Sub-Tehsil Saha of Mullana constituency; if so, the time by which it is likely to be opened ?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : No, Sir.

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उप-राजकोष खोलने के लिए सरकार के क्या नॉर्म्ज हैं और क्या साहा सब-तहसील उन नॉर्म्ज को पूरा करती है या नहीं ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री राजबीर सिंह बराड़ा को बताना चाहूंगा कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि सरकार का हर काम निर्धारित नॉर्म्ज के हिसाब से ही होता है और बगैर नॉर्म्ज के सरकार का कोई भी काम नहीं होता। अब मैं इनके सप्लीमैंट्री क्वैश्चन के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रदेश में एक सब-ट्रेजरी से दूसरी सब-ट्रेजरी का सफर अर्थात् दूरी कम से कम 25 किलोमीटर तक होनी चाहिए। इस मामले में साहा से मुलाना की दूरी 10 किलोमीटर है और साहा से अम्बाला कैंट की दूरी 11 किलोमीटर है इसलिए साहा में सब-ट्रेजरी का खोला जाना सरकार के किसी भी स्थापित नॉर्म के अंतर्गत नहीं आता।

Floating of HUDA Sectors at Gohana

***1318. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to float HUDA Sectors in Gohana Town; if so, the number of Sectors likely to be developed?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes Sir. Land is being acquired for development of two reidential Sectors, Transport Nagar and Auto Market at Gohana. Speaker Sir, with your permission I would like to tell my learned friend that besides sector-7 of Gohana that has already been developed and 802 reidential plots have already been allotted, we have proposed to carve out two residential Sectors i.e. Sector-13 over an area of 374.79 acres and Sector-16 over an area of 149.94 acres. Section-6 notification qua both has been issued. Besides this, sector 17-A Comprising of Transport Nagar and an Auto Market over an area of 182.93 acres Section-6 for this has been issued qua that also. We are proceeding to develop these facilities in Gohana.

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस बारे में सैक्शन 9 की नोटिफिकेशन कब तक हो जायेगी और सरकार इसकी पजैशन कब तक ले लेगी? इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का लाभ किसानों को इस स्कीम में भी मिलेगा या नहीं?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, as far as development is concerned, we are proceeding expediatiously. The land pulling policy is very well defined and in this case of HUDA, they are always entitled to oustees' plots also, which is the declared policy and they will be entitled to that.

श्री धर्म सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि समालखा एक बहुत बड़ा टाऊन है लेकिन आज तक इसमें हुडा का कोई भी सैक्टर नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि समालखा टाउन में हुडा के कम से कम दो सैक्टर जरूर विकसित किये जायें। इसके लिए वहां पर हुडा के दो सैक्टर विकसित करने के लिए पांऊटी गांव के किसान जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में बतायेंगे।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, details qua Samalkha is not handy with me but my learned friend should send a suggenstion in writing to Hon'ble Chief Minister and we will consider it. I agree with him that the urbanization need does require development of atleast smaller sectors in the smaller cities also.

Separate Land for Foundry Industries

***1531. Shri Dharam Singh Chhokar :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allot separate land for the foundry Industries in Samalkha?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir,

श्री धर्म सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किसी जमाने में समालखा टाऊन की जो फाऊंडरी थी वे पूरे एशिया महाद्वीप में नम्बर एक पर थी आज वहां फाऊंडरियां लगभग पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं और अगर कुछ फाऊंडरियां चल भी रही हैं तो वे रिहायशी इलाकों में चल रही हैं जिसका समालखा टाउन के निवासियों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या इन फाऊंडरियों को शहर से बाहर किसी प्रॉपर जगह पर स्थानांतरित किया जायेगा ताकि उन फाऊंडरीज के वहां पर शिफ्ट होने पर कस्बावासियों का इनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से और दूसरी समस्याओं से बचाव हो सके और इनके प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से होने वाली बीमारियों से बच सकें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरे काबिल दोस्त ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इस बारे में मैं भी माननीय सदस्य के साथ अपने आपको जोड़ता हूं कि यह बात सच है कि समालखा टाऊन जो कि एक जमाने में देश का लीडिंग फाऊंडरी सिटी था। यह उस समय की बात है जब कच्चे आयरन के कोटा होते थे। लेकिन जैसे-जैसे कोटा सिस्टम खत्म हो गया वैसे-वैसे समालखा की फाऊंडरी ने अपने-आपको आधुनिक नहीं बनाया। यह भी एक सच है। इसके साथ-साथ आज भी ये फाऊंडरीज पुरानी बिल्डिंग, पुरानी मशीनों और पुरानी टैक्नोलॉजी पर चलती हैं, वहां पर ट्रेंड लेबर की भी कमी है और धीरे-धीरे दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ-साथ इस इंडस्ट्री का लेवल नीचे चला गया। जहां तक एग्जिस्टिंग फाउंड्रीज को इंडस्ट्रीयल एस्टेट के आउट साईड शिफ्ट करने की बात है, सर, एक इंडस्ट्रीयल एस्टेट तो हमने डिवैल्प की हुई है जिसमें 77 प्लॉट हैं जहां फाउंड्रीज चलती हैं इसके अलावा वहां पर हाईवे के दोनों साईड में फाउंड्री लगी हुई हैं, यह सच है। इनके बिल्कुल पड़ोस में हम 900 एकड़ में पानीपत में और 1200 एकड़ में बड़ी गांव में तीन फेजिज में कुल 2100 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट डिवैल्प कर रहे हैं। मैं माननीय साथी से कहना चाहूंगा कि अगर वे फाउंड्रीज मालिकों से दरख्वास्त दिलवायेंगे तो मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि we will make preferential allotment on the condition that they will shut down their existing foundries out side the confirming zone.

15.00 बजे

श्री धर्म सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, समालखा की फाउंड्री 25 एकड़ में बनी हुई है। इसी बैल्ट के साथ-साथ कुछ फैक्ट्रीज रनिंग में हैं और कुछ बंद हो चुकी हैं। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर उसी 25 एकड़ के साथ ही जमीन का प्रबन्ध हो जाये तो अच्छा रहेगा क्योंकि पानीपत की बड़ी इंडस्ट्रीयल बैल्ट काफी दूर पड़ती है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1545

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश जैन सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Upgradation of General Hospital Jind

***1306. Dr. Hari Chand Middha :** Will the Health Minister be pleased to state —

(a) the time by which the General Hospital of Jind city is likely to be upgraded to 200 beds ;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Kitchen in the aforesaid General Hospital of Jind ; and

(c) whether the Medical specialists staff is sufficient in General Hospital of Jind ; if not, the time by which the shortage of staff is likely to be met out in the aforesaid Hospital?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) सरकार के पत्र क्रमांक 20/164/2012-5 एच.बी. III, दिनांक 06.11.2012 द्वारा वर्तमान 100 बिस्तरीय सामान्य अस्पताल जीन्द में 100 बिस्तरीय अतिरिक्त खण्ड के निर्माण हेतु 30.00 करोड़ रुपये की प्रशासकीय अनुमोदना जारी की जा चुकी है तथा 2 वर्ष 6 मास में निर्माण कार्य पूरा किये जाने की सम्भावना है।

(ख) हां, श्रीमान जी।

(ग) नहीं, श्रीमान जी, सामान्य रूप से चिकित्सकों की कमी को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव चिकित्सा विशेषज्ञों को पदस्थ कर दिया जायेगा।

डॉ. हरी चन्द मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिला जीन्द के सामान्य अस्पताल में कुल स्वीकृत पदों की संख्या क्या है तथा वर्तमान में कुल कितने डॉक्टर कार्यरत हैं?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जीन्द के 100 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल में 32 पोस्ट स्पेशलिस्ट की हैं जिनमें से नार्म्स के मुताबिक 12 स्पेशलिस्ट कार्यरत हैं। एस.एम.ओ. की 3 पोस्टें हैं तथा तीनों ही भरी हुई हैं। इसी प्रकार से 42 मेडिकल ऑफिसर के पद हैं जिनमें से 15 मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हैं।

Canal Water up to Tail

***1544. Shri Ghanshyam Dass Garg :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that the canal water is not reaching upto the tail in Bhiwani Assembly Constituency ; if so, the time by which it is likely to reach upto the tails?

Irrigation Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : No, Sir. Canal water is reaching the tails of 19 No. channels out of total 22 channels in the Bhiwani Assembly Constituency. Water is expected to reach the tail of Rupgarh Minor by 30-04-2013 and the tails of the remaining 2 channels i.e. Manheru Minor and Sanga Minor by 31.12.2013.

श्री घनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सांगा और बामला माईनर्स के लेवल ठीक नहीं हैं। पिछली बार सरकार ने उनके लेवल ठीक करने की बात कही थी लेकिन ठेकेदार ने उनके लेवल खराब कर दिये, जिसके कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। जाटू लोहारी के पास अभी ड्रेन की खुदाई हुई है तथा उसके साईड में छोटी नालियां नहीं बनाई गई जिसके कारण हजारों एकड़ भूमि में फसलों का नुकसान हो रहा है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह काम कब तक हो जायेगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : सर, अभी-अभी मैंने विनती की है कि टोटल 22 माइनर्स हैं जिसमें 19 माईनर्स कम्पलीट और ठीक ढंग से चल रही हैं जिसमें कोई नुक्स नहीं है। एक में जो थोड़ा बहुत नुक्स है वह 30 अप्रैल, 2013 तक वह चल जाएगी और जो बाकी दो माईनर्स इन्होंने अब बताई हैं, वह दोनों भी 30 दिसम्बर, 2013 तक ठीक कराकर चला दी जाएंगी। इनका फिर कोई गिला नहीं रहेगा यह विश्वास मैं सदन को दिलाता हूं।

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में पृथला क्षेत्र में 6-7 डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। सन् 1996 में जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी। उस समय चौधरी हर्ष कुमार मंत्री थे, उन्होंने उन डिस्ट्रीब्यूटरीज को पक्का करवाया था, लेकिन उनका लेवल गलत हो गया। पिछले साल भी मैंने इस बारे मे प्रश्न लगाया था उसके जवाब में कहा गया था कि इस डिस्ट्रीब्यूटरी को ठीक करा दिया जाएगा। लगभग 14-15 साल हो गए हैं और कम से कम 15 गांव ऐसे हैं जिनमें आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। जिससे वहां की खेती पर असर पड़ रहा है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : सर, तेवतिया साहब के आगे मेरी एक प्रार्थना है कि अगर ये एक चिट्ठी में मुझे पूरी डिटेल इस बारे में लिख दें तो मैं इनको 6 महीने के अन्दर-अन्दर रिजल्ट दे दूंगा।

श्री आनंद सिंह दांगी : सर, मेरे हल्के की लाखन माजरा ड्रेन है और महम ड्रेन है उनमें कई जगह सेम की वजह से लैंड स्लाईडिंग होती है और लैंड स्लाईडिंग की वजह से वाटर फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर जाता है। क्या जहां पर इस तरह का एरिया है उनकी पिचिंग का कार्य किया जाएगा ताकि आगे से इस तरह की कोई दिक्कत ना रहे।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : सर, डांगी साहब की बात को मैं ठीक मानता हूं क्योंकि ये गलत बात नहीं करते हैं। मैं इनके साथ विद इंजीनियर्ज मौके पर जाऊंगा। वह सारी जगह देख कर आऊंगा और जो सौल्यूशन हो सका, वह निकालने का प्रयास करूंगा।

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के में एक फिरोजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी है जो बिल्कुल 100% मेरे हल्के से ही शुरू होती है और मेरे हल्के में ही खत्म होती है। आज तक फिरोजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पर पानी नहीं गया। मैं मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं कि उसका क्या कारण है? आया वह सिल्टअप हो रही है या उसके लेवल गलत हैं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो क्या मंत्री जी हाऊस में यह आश्वासन देंगे कि वे उसकी टेल पर पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : सर, हमारी हुड्डा साहब की सरकार की यह नीयत है कि एक इंच धरती भी ऐसी न रह जाए, जहां पानी ना पहुंचे। हम हर जगह पानी पहुंचाने के लिए तैयार हैं और कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब एक चिट्ठी इस बारे में मुझे लिख दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इनका पता भी नहीं कि इनकी चैनल कहां-कहां हैं। अगर ये लिख देंगे तो मैं इंतजाम करने की कोशिश करूंगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Total Amount of Liability of DISCOMS

*1279. **Prof. Sampat Singh** : Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the total amount of liabilities including accumulated losses, loans and other liabilities of DISCOMS i.e. UHBVN and DHBVN till to date; and

(b) the category wise and circle wise total amount of outstanding arrears of all the consumers in the State as on today ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत ।

विवरण

(क) देनदारियों की कुल धनराशि

दिनांक 30.9.2012 को निगमों की संचित हानियां 21787 करोड़ रुपए (उ.ह.बि.वि.नि.-13837 करोड़ रुपए तथा द.ह.बि.वि.नि.-7950 करोड़ रुपए) है । दिनांक 30.09.2012 को दीर्घ कालीन ऋण तथा अन्य देनदारियां 29834 करोड़ रुपए (17913 करोड़ रुपए ऋण एवं अन्य 11921 करोड़ रुपए देनदारियां) हैं । उ.ह.बि.वि.नि के लिए ऋण 11954 करोड़ रुपए तथा अन्य 6428 करोड़ रुपए देनदारियां तथा द.ह. बि.वि.नि के लिए 5959 करोड़ रुपए ऋण तथा अन्य 5493 करोड़ रुपए देनदारियां हैं ।

(ख) बकाया श्रेणीवार तथा सर्कलवार

श्रेणी	घरेलू	गैर घरेलू होरडिंग सहित	एच.टी. उद्योग	एल.टी. उद्योग	कृषि सिंचाई	लिफ्ट सप्लाई	ब्लक लाईटिंग	स्ट्रीट डब्ल्यू.	पी. डब्ल्यू.	रेलवे	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सर्कल											
अम्बाला	19.13	7.02	4.81	-0.14	3.90	0.13	3.04	1.12	7.80	0.00	**46.83**
यमुनानगर	25.83	9.07	5.60	5.16	9.22	0.26	3.57	0.01	7.66	0.00	**66.36**
करनाल	87.05	14.37	1.92	2.21	22.68	2.53	0.18	4.52	5.56	0.00	**141.02**
कुरुक्षेत्र	25.58	10.87	3.72	4.27	7.75	0.45	0.87	-0.48	4.12	0.00	**57.15**
कैथल	124.16	16.00	1.80	5.26	24.90	0.00	0.07	0.99	3.73	0.00	**176.92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पानीपत	113.95	22.72	16.13	25.23	14.91	0.13	0.51	0.20	3.69	3.46	**200.91**
सोनीपत	115.60	24.66	–4.27	19.13	17.10	0.83	0.79	–0.83	22.26	0.00	**195.26**
रोहतक	398.53	51.85	39.03	14.51	18.55	2.96	1.17	1.65	4.77	0.00	**533.03**
झज्जर	190.64	61.18	8.14	13.68	4.27	5.15	0.77	4.27	4.62	0.00	**292.73**
जीन्द	789.60	47.64	19.02	11.33	11.23	0.92	2.96	8.28	7.49	0.00	**898.48**
भिवानी	313.31	71.46	31.46	43.54	31.56	61.11	2.80	1.90	14.26	0.00	**571.39**
फरीदाबाद	236.79	69.61	67.73	77.04	9.00	2.70	4.22	14.14	59.49	2.79	**543.50**
गुड़गांव	90.14	65.72	38.27	36.89	28.38	0.88	8.46	–3.56	50.62	0.00	**315.79**
हिसार	295.36	60.04	28.28	25.56	20.09	0.55	8.44	–1.65	20.24	0.00	**456.91**
नारनौल	61.28	20.58	1.40	13.41	20.65	17.79	0.96	0.38	11.60	0.00	**148.06**
रेवाड़ी	45.00	22.65	9.54	6.88	5.79	99.27	0.50	18.80	9.87	0.00	**218.30**
सिरसा	7.67	3.13	3.13	3.53	4.03	0.15	0.50	0.29	6.30	0.00	**28.72**
कुल	**2939.62**	**578.57**	**275.71**	**307.50**	**254.03**	**195.80**	**39.80**	**50.02**	**244.05**	**6.25**	**4891.36**

Alternative Routes in Jind District

***1476. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to select alternative routes to reduce the burden of increasing transportation in District Jind ; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : इस संबंध में एक तालिका सदन के पटल पर रखी जाती है।

तालिका

नहीं, श्रीमान, हरियाणा परिवहन अपनी बसें चयनित मार्गों पर चला रहा है। हाल ही में हरियाणा परिवहन द्वारा 12 मार्गों पर बसों के संचालन की संख्या निम्नलिखित तालिका अनुसार बढ़ाई गई है :--

क्रम संख्या	मार्ग	पहले चल रहे फेरे	अब चल रहे फेरे	अन्तर
1.	जीन्द-हांसी मार्ग	50	56 (जुलाई 2012 से)	6 फेरे
2.	जीन्द-बरवाला मार्ग	32	38 (जुलाई 2012 से)	6 फेर
3.	जीन्द-रोहतक मार्ग	36	42 (अगस्त 2012 से)	6 फेरे
4.	जीन्द-नरवाना मार्ग	50	62 (अगस्त 2012 से)	12 फेरे

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्रम संख्या	मार्ग	पहले चल रहे फेरे	अब चल रहे फेरे	अन्तर
5.	जीन्द-असंध मार्ग	40	56 (जुलाई 2012 से)	16 फेरे
6.	जीन्द-गोहाना मार्ग	50	56 (जुलाई 2012 से)	6 फेरे
7.	सफीदों-लुदाना मार्ग	00	04 (अक्तूबर 2012 से)	4 फेरे
8.	पानीपत-हिसार मार्ग	22	26 (जुलाई 2012 से)	4 फेरे
9.	सफीदों-रोहतक मार्ग	00	02 (जून 2012 से)	2 फेरे
10.	नरवाना-कैथल मार्ग	08	10 (जुलाई 2012 से)	2 फेरे
11.	नरवाना-हिसार मार्ग	08	10 (मई 2012 से)	2 फेरे
12.	नरवाना-जीन्द मार्ग	18	22 (मई 2012 से)	4 फेरे
				70 फेरे

संक्षेप में, लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए हरियाणा परिवहन ने जींद जिले में 70 फेरे (तालिका अनुसार) जोड़ते हुए फेरों की संख्या बढ़ाई गई है। इस जिले में सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक रूट विचाराधीन नहीं है।

Construction of Buildings

***1286. Master Dharampal Obra :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of the buildings of the Offices of Panchayat Samiti and Block Development in Behal of Loharu constituency is lying pending since the last eight years ; if so, the time by which the construction work of the aforesaid building is likely to be completed?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं श्रीमान जी, उपरोक्त भवन का निर्माण कार्य फरवरी, 2013 में पूर्ण हो चुका है।

Establishment of University in District Rewari

***1507. Shri Rameshwar Dayal Rajoria :** Will the Education Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish a University in District Rewari; if so, the time by which it is likely to be established ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open College at the Block Level ; if so, the time by which the College is likely to be opened in Khol Block?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) हां, श्रीमान जी।

To develop Community Park in Narnaund

***1291. Smt. Saroj Mor :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a community park in Narnaund town ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां, श्रीमान जी।

Repair of Roads

***1484. Shri Kali Ram :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the following roads in Safidon constituency have been damaged—

(i) Safidon to Didwara via Sahanpur ;

(ii) Morkhi to Ludana ;

(iii) Gangoli to Haat ;

(iv) Safidon to Kharkra ;

(v) Safidon to Muaana via Pajukhurad ; and

(b) if so, the time by which the above stated roads are likely to be reparied?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) (i), (iii), (iv) & (v) नहीं, श्रीमान जी।

(ii) हां, श्रीमान जी।

(ख) (i), (iii), (iv) & (v) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ii) 30.04.2013 तक मरम्मत किए जाने की संभावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Drinking Water and Sewerage Connections

334. Prof. Sampat Singh : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state —

[Prof. Sampat Singh]

(a) the total number of drinking water and sewerage connections in Urban Areas in Haryana together with the number of drinking water connections in Rural Areas ;

(b) the total amount received by the department as water and sewerage charges in Haryana in the FY 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13;

(c) the number of persons who are using drinking water and sewerage facilities without regular connections or without the approval of the department together with the action taken against the illegal connection holders ; and

(d) the total number of defaulters together with the total amount pending against such persons in the State as on today alongwith the action taken against them ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

(क) शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी तथा सीवरेज के कुनैक्शनों की कुल संख्या निम्नलिखित है --

	कुनैक्शनों की संख्या	
	जलापूर्ति	सीवरेज
शहरी क्षेत्र	656011	303113
ग्रामीण क्षेत्र	919314	--

(ख) शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पानी तथा सीवरेज पर प्रभारों के रूप में विभाग द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि निम्नलिखित है :--

वित्तीय वर्ष	इकट्ठा किया गया राजस्व (राशि रुपये लाखों में)		
	शहरी क्षेत्र		ग्रामीण जलापूर्ति
	जलापूर्ति	सीवर	
2009-10	1947.02	168.74	146.48
2010-11	2160.12	199.75	152.36
2011-12	2867.27	402.49	160.72
2012-13	2431.98	384.07	135.05

(ग) सरकार की अनुमति के बिना प्रयोग कर रहे जल आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधायें इस्तेमाल कर रहे लोगों की कुल संख्या निम्नलिखित है :--

	विवरण	व्यक्तियों की संख्या	टिप्पणी
	शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति कुनैक्शन	533473	कुनैक्शनों को नियमित करने के लिए सूचना पत्र भेजे गए
	सीवर कुनैक्शन	433561	-वही-
	ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति	3761843	-वही-

(घ) डिफाल्टरों की कुल संख्या तथा उनके विरुद्ध लंबित राशि का विवरण निम्नलिखित है :—

विवरण	डिफाल्टरों की कुल संख्या	लंबित राशि रुपये लाखों में	टिप्पणी
शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति कुनैक्शन	123292	4211.43	बकाया राशि जमा करवाने के लिए सूचना पत्र भेजे गये
सीवर कुनैक्शन	63658	445.69	
ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति कुनैक्शन	547702	2242.90	

Post of Faculty and Staff in CCSHAU, Hisar

384. Prof. Sampat Singh : Will the Agriculture Minister be pleased to state —

(a) the total number and name of posts of teaching faculty sanctioned in CCSHAU, Hisar together with the number of such posts that are lying vacant ;

(b) the number and name of posts of non-teaching staff sanctioned in this university together with the number of posts that are lying vacant ;

(c) the time by which the aforesaid posts are likely to be filled up ; and

(d) whether it is a fact that no second chance of option between pensions and gratuity have been given to CCSHAU staff where as in all other universities many chances have been given ; if so, the time by which they are likely to be given the second opportunity for this ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) : श्रीमान जी,

(क) चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या व नाम रिक्त पदों की संख्या सहित अनुलग्नक-1 में दी गई है ।

[सरदार परमवीर सिंह]

(ख) विश्वविद्यालय में गैर शिक्षकों के पदों के नाम व स्वीकृत पदों की संख्या रिक्त पदों की संख्या सहित अनुलग्नक-2 में दी गई है।

(ग) शिक्षकों व गैर शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है जोकि काफी समय लेती है, क्योंकि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना, विज्ञापन देना, सक्रिनिंग/छंटनी, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार लेने पड़ते हैं इसलिए इस स्टेज पर रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) जी नहीं। सी.पी.एफ. से पैंशन स्कीम में परिवर्तन हेतु तीन ऑप्शन पहले ही दिये जा चुके हैं। उनको एक और मौका दिए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। तथापि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुग्रह की राशि राज्य सरकार के पैटर्न अनुसार ही दी जा रही है।

अनुलग्नक-1

(ए) -- शिक्षकों के पदों बारे सूचना:--

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	अधिष्ठाता/निदेशक/अतिरिक्त निदेशक	11	10	1
2.	प्रधानाचार्य	2	2	--
3.	प्राध्यापक एवं समकक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष	43	3	40
4.	सहप्राध्यापक एवं समकक्ष/ उपपुस्तालयाध्यक्ष	196	18	178
5.	सहायक प्राध्यापक एवं समकक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	788	550	238
	कुल	1040	583	457

अनुलग्नक-II

(बी) -- गैर शिक्षकों के स्वीकृत पदों बारे सूचना :--

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	कुलपति	1	1	0
2.	कुल सचिव	1	1	0
3.	लेखा नियंता	1	1	0
4.	उपकुलसचिव	2	2	0
5.	उपलेखानियन्ता	1	1	0

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
6.	विधि परामर्शी	1	1	0
7.	सहायक कुलसचिव	5	5	0
8.	कुलपति के सचिव	1	0	1
9.	लेखा एवं प्रशासनिक अधिकारी	7	7	0
10.	भंडार निरीक्षण अधिकारी	1	1	0
11.	अधीक्षक	12	11	1
12.	उपाधीक्षक	10	10	0
13.	सहायक/मण्डल लेखाकार	209	183	26
14.	लिपिक, टंकणक, भंडार रक्षक, स्वास्थ्य भण्डारक व अन्य	269	150	119
15.	वरिष्ठ निजी सचिव	1	1	0
16.	निजी सचिव	4	4	0
17.	निजी सहायक	11	10	1
18.	वरिष्ठ आशुलेखक	50	44	06
19.	कनिष्ठ आशुलेखक	40	33	07
20.	आशुलिपिक	60	35	25
21.	दफ्तरी	18	18	0
22.	संदेशवाहक	123	106	17
23.	सम्पदा एवं वरिष्ठ अधीक्षक अभियंता	1	1	--
24.	वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी	1	--	1
25.	उपसम्पदा अधिकारी	1	1	--
26.	जनसम्पर्क अधिकारी	1	--	1
27.	अधीक्षक अभियन्ता	4	4	--
28.	प्रधानाचार्य, कैंपस स्कूल	1	--	1
29.	उपकरण अभियंता	1	--	1
30.	वास्तुक	1	1	--
31.	सहायक वास्तुक	1	1	--
32.	सहायक अभियंता (Ref. & A.C./Elect.)	1	1	--
33.	सहायक अभियंता (Elect.)	1	1	--
34.	उप जनसंपर्क अधिकारी	1	1	--

[सरदार परमवीर सिंह]

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
35.	प्लांट इंजीनियर कम मैनेजर	1	1	--
36.	उपमंडल अभियंता	13	12	1
37.	वर्कशाप इंजीनियर	1	1	--
38.	सम्पादक अंग्रेजी	1	1	--
39.	स्वास्थ्य अधिकारी	4	3	1
40.	दंत चिकित्सक	1	1	--
41.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	1	1	--
42.	प्रदर्शनी अधिकारी	1	--	1
43.	फार्म प्रबन्धक	2	--	2
44.	स्कूल लेक्चरार	16	12	4
45.	स्कूल अध्यापक	32	21	11
46.	नर्सरी अध्यापक	2	--	2
47.	सहायक खेल अधिकारी	1	1	--
48.	सहायक फार्म प्रबन्धक	1	1	--
49.	खेल प्रशिक्षक	1	1	--
50.	सहायक प्रबन्धक (खानपान)	1	--	1
51.	अध्यापक	4	4	--
52.	भंडार क्रय अधिकारी	1	--	1
53.	वास्तुक सहायक	1	--	1
54.	सरकल हैड ड्राफ्समैन	2	2	--
55.	वरिष्ठ ड्राफ्समैन	1	--	1
56.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	34	6	28
57.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	14	10	4
58.	खेत निरीक्षक	3	3	--
59.	लोक नाटककार	1	1	--
60.	लोक संगीतकार	1	1	--
61.	फोरमैन (Ref./AC)	3	2	1
62.	हैड ड्राफ्समैन	4	3	1
63.	अनुदेशक	2	1	1

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
64.	यांत्रिक फोरमैन	2	2	--
65.	कनिष्ठ ड्राफसमैन	1	1	--
66.	कनिष्ठ अभियंता	25	21	4
67.	सुरक्षा अधिकारी	1	1	--
68.	तकनीकी सहायक	35	19	16
69.	प्रशिक्षण सहायक	14	9	5
70.	प्रशिक्षण सहायक KVK Farm	14	8	6
71.	वरिष्ठ तकनीशियन	2	1	1
72.	वरिष्ठ तकनीशियन (Video Production)	1	1	--
73.	वरिष्ठ छायाकार	1	--	1
74.	नरसिंग सिस्टर	1	1	--
75.	परिवहन अधिकारी	1	1	--
76.	बिक्री सहायक (प्रकाशन)	1	1	--
77.	कलाकार एवं छायांकार	1	--	1
78.	सहायक ड्राफसमैन	6	6	--
79.	सहायक छात्रावास रक्षक	1	1	--
80.	सहायक सुरक्षा अधिकारी	3	2	1
81.	सहायक सूचना अधिकारी	1	1	--
82.	कैलीग्राफर	1	--	1
83.	कैमरा आप्रेटर	1	1	--
84.	मुख्य मिस्त्री	1	--	1
85.	वितरक सहायक	1	1	--
86.	डी.टी.पी. आप्रेटर	1	1	--
87.	सहायक सम्पादक	1	--	1
88.	सहायक सम्पादक (Hindi)	1	1	--
89.	खेल प्रबन्धक	7	6	1
90.	छात्रावास वार्डन	1	1	--
91.	सूचना एकत्र	1	--	1
92.	कनिष्ठ छायाकार	1	1	--
93.	कनिष्ठ प्रोग्रामर	2	2	--

[सरदार परमवीर सिंह]

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
94.	प्रयोगशाला तकनीशियन	16	16	--
95.	पुस्तकालय सहायक	27	25	2
96.	लैडी छात्रावास वार्डन	1	--	1
97.	फार्मासिस्ट	4	4	--
98.	साक्षय शोधक	1	1	--
99.	रंग कलाकार	1	1	--
100.	रोड निरीक्षक	1	--	1
101.	बिक्री वृद्धि सहायक	1	--	1
102.	वरिष्ठ मोटर बाईंडर	1	--	1
103.	वरिष्ठ साक्ष्य शोधक	1	1	--
104.	वरिष्ठ ट्रैक्टर मिस्त्री	1	1	--
105.	वरिष्ठ रेफ्रीजिरेशन एवं एसी मिस्त्री	1	1	--
106.	मैस निरीक्षक	1	1	--
107.	अनुवादक	1	1	--
108.	तकनीकी सहायक	1	1	--
109.	वी.एल.डी.ए.	2	2	--
110.	फोरमैन	1	1	--
111.	अन्वेषक	1	1	--
112.	स्टाफ नर्स	4	4	--
113.	मिस्त्री (संबंधित ट्रेड)	30	16	14
114.	जीप/कार ड्राइवर	63	43	20
115.	चालक-कम-जीप मिस्त्री	14	--	14
116.	ट्रैक्टर चालक	46	39	7
117.	ट्रैक्टर मिस्त्री कम चालक	15	11	4
118.	बस चालक	6	2	4
119.	सहायक फोरमैन	4	2	2
120.	सहायक परिचारिका	2	2	--
121.	प्रभारी जिल्दसाज	1	1	--
122.	प्रभारी बिजली चार्जमैन	1	1	--

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
123.	बिजली मिस्त्री एवं प्लंबर	3	3	--
124.	उद्यान निरीक्षक	2	--	2
125.	सुरक्षा निरीक्षक	1	1	--
126.	मोडलर	1	--	1
127.	रोड रोलर ड्राइवर	1	--	1
128.	सर्वेक्षक	1	1	--
129.	वातानुकूलित मशीन मिस्त्री	5	2	3
130.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	38	38	--
131.	कम्प्यूटर एवं डाटा आप्रेटर	2	1	1
132.	ट्यूबवैल बिजली मिस्त्री	1	1	--
133.	टर्नर	2	1	1
134.	नलकूप संचालक Gr. I	1	1	--
135.	ट्रेसर	5	2	3
136.	हारमोनियम वादक	1	1	--
137.	तबला वादक	1	1	--
138.	जैनरेटर आप्रेटर	10	10	--
139.	प्रयोगशाला सहायक	63	51	12
140.	महिला सेविका	11	9	2
141.	ऑटो इलैक्ट्रीशयन	1	--	1
142.	मशीनमैन	4	2	2
143.	कम्पोजिटर	4	2	2
144.	वैल्डर	3	3	--
145.	कार्यशाला मैट	1	1	--
146.	लिफ्ट आप्रेटर	1	1	--
147.	मुख्य रसोईया	1	--	1
148.	कृषि निरीक्षक	116	114	2
149.	चार्जमैन	4	--	4
150.	डार्क रूम परिचर	1	1	--
151.	ढोलक वादक	1	1	--
152.	फेरो प्रिंटर	1	1	--

[सरदार परमवीर सिंह]

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
153.	मौसम पर्यवेक्षक	2	1	1
154.	प्रोजैक्ट आप्रेटर	2	2	--
155.	सफाई निरीक्षक	1	1	--
156.	कार्य निरीक्षक	8	4	4
157.	बिजली मिस्त्री	6	6	--
158.	राज मिस्त्री	3	3	--
159.	राजमिस्त्री एवं शीशा एवं बढ़ई	2	2	--
160.	नलसाज एवं बिजली मिस्त्री	1	1	--
161.	फिटर एवं आप्रेटर	1	1	--
162.	मेट	13	13	--
163.	छायाकक्ष सहायक	1	1	--
164.	नलसाज	11	11	--
165.	आरा संचालक	1	--	1
166.	सहायक सुरक्षा निरीक्षक	3	3	--
167.	नलकूप सहायक Gr.II	47	47	--
168.	फिटर एवं आप्रेटर	1	1	--
169.	फिटर Grade-II	1	1	--
170.	पलेट निर्माता	1	1	--
171.	पलेट मेकर	1	1	--
172.	प्रशिक्षण सहायक	1	1	--
173.	बढ़ई	4	2	2
174.	किताब साज	9	7	2
175.	रसोईया कम चौकीदार	12	7	5
176.	पौध प्रेक्षक	20	9	11
177.	मुख्य माली	20	20	--
178.	रसोईया	16	9	7
179.	टेलीफोन परिचारक	3	2	1
180.	राऊटर कम माउंटर	1	1	--
181.	वार्ड परिचारक एवं आप्रेशन थियेटर परिचारक	1	1	--

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
182.	कुआं परिचारक	1	1	--
183.	सफेदी करने वाला	2	2	--
184.	प्रयोगशाला परिचारक	92	76	16
185.	पुस्तकालय परिचायक	17	17	--
186.	डिस्ट्रीब्यूटर	1	1	--
187.	पशु परिचारक (डेयरी)	6	6	--
188.	परिचायक	56	54	2
189.	परिचारक इंपोजिटर	1	1	--
190.	बेलदार	387	337	50
191.	बाइंडरी परिचारक	3	3	--
192.	केयर टेकर	6	3	3
193.	सहायक रसोईया	8	8	--
194.	कुर्सी भरने वाला	2	2	--
195.	शीशा साफ करने वाला	9	5	4
196.	फेरो खलासी	1	1	--
197.	हथौड़ा मारने वाला	1	1	--
198.	हैल्पर	38	27	11
199.	मसालची	2	2	--
200.	मोरटार मेट	3	--	3
201.	पेट्रोल मैन	1	--	1
202.	सुरक्षा रक्षक	189	77	112
203.	भंडारण खलासी	5	4	1
204.	फिल्डमैन	4	--	4
205.	माली	59	29	30
206.	वाहन परिचारक	31	26	5
207.	वार्ड परिचारक	4	3	1
208.	सफाई कर्मचारी	178	123	55
	योग	2959	2210	749

[सरदार परमवीर सिंह]

विस्तरित ब्यौरा सुपरानुमरेरी पद जो स्थायी पदों में बदल चुके हैं।

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	राज मिस्त्री Grade-II	12	12	--
2.	पेंटर Grade-II	13	13	--
3.	ग्लेजियर	2	2	--
4.	बिजली मिस्त्री Grade-II	32	32	--
5.	ट्रेसर	1	1	--
6.	डार्करूम परिचर	1	1	--
7.	बढ़ई	15	15	--
8.	लोहार	4	4	--
9.	नलसाज	8	8	--
10.	वैल्डर	1	1	--
	योग	89	89	--

सुपरानुमरेरी पदों का विस्तरित ब्यौरा

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	नलकूप चालक Grade-II	17	17	--
2.	कृषि निरीक्षक	2	2	--
3.	परिचारक	1	1	--
4.	पशु परिचारक (डेयरी)	0	0	--
5.	बेलदार	115	115	--
6.	प्रयोगशाला हैल्पर	69	69	--
7.	प्रयोगशाला परिचारक	3	3	--
8.	मेट	2	2	--
9.	टेलीफोन हैल्पर	0	0	--
10.	कुर्सी भरने वाला	1	1	--
11.	दैनिक वेतनभोगी जिनको अभी पदनाम दिया जाना है।	7	7	--
	योग	217	217	--

Number of Universities

***386. Prof. Sampat Singh :** Will the Education Minister be pleased to state —

(a) the total number and name of the Government and Private Universities existing as on 4th March 2005 ; also the total number of seats of different courses and classes in these universities ;

(b) the total number and name of such universities existing as on today in the State and also the name and number of courses being taught universities ; and

(c) the gradation of all these universities as on 4th, March 2005 and as on today?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) श्रीमान जी, सूचना अनुबन्ध 'क' में विधानसभा पटल पर रखी है।

(ख) श्रीमान जी, सूचना अनुबन्ध 'ख' में विधानसभा पटल पर रखी है।

(ग) श्रीमान जी, सूचना अनुबन्ध 'ग' में विधानसभा पटल पर रखी है।

अनुबन्ध 'क'

(क) 4 मार्च, 2005 को विद्यमान सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या, नाम एवं इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटों तथा कक्षाओं की कुल संख्या के बारे में वक्तव्य :

दिनांक 4.3.2005 को उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में निम्नलिखित तीन राजकीय विश्वविद्यालय चल रहे थे --

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।

दिनांक 4.3.2005 को उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में उपरलिखित तीन राजकीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं में कुल सीट संख्या निम्नानुसार है :--

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र--

S.No.	Name of Syllabus	No. of Seats
	English	
1.	M.A.	70
2.	M. Phill	25
	Foreign languages	
3.	Cert. in French	120
4.	Cert. in German	120
5.	Dip. in French	120
6.	Dip. in German	120
7.	Cert. in Urdu	No limitation
	Hindi	
8.	M.A.	50
9.	M. Phil.	20
	Institute of Management Studies	
10.	MBA 5 years	51
	Panjabi	
11.	M.A.	50
12.	M. Phil	20
	Liberary & Information Sc.	
13.	B. Lib & Inf. Sc.	35
14.	M. Lib. & Inf. Sc.	35
	Political Sc.	
15.	M.A.	50
16.	M. Phil	20
	History	
17.	M.A.	60
18.	M. Phil	20
	Economics	
19.	M.A.	60
20.	MBE	30
	Sociology	
21.	M.A.	40
	Psychology	
22.	M.A.	40

S.No.	Name of Syllabus	No. of Seats
23.	M. Phil	20
	Social Work	
24.	M.A.	40
	Public Admn.	
25.	M.A.	50
26.	M. Phil	20
	Zoology	
27.	M. Sc.	36
	Botany	
28	M. Sc.	36
	Micro-biology	
29.	M.Sc.	23
	Home Science	
30.	M.Sc. in Food & Nutrition	21
	Bio-Chemistry	
31	M.Sc.	22
	Chemistry	
32.	M.Sc. Chemistry	61
	Institute of Pharmaceutical Sciences	
33.	B. Pharmacy	41
	Physics	
34.	M.Sc.	70
	Mathematics	
35.	M.Sc.	91
36.	M. Phil	20
	Statistic & O.R.	
37.	M.Sc. (Stat)	40
	Geography	
38.	M.Sc.	50
	Computer Science & Applications	
39.	M.Tech. (Comp. Science & Engg.)	30
40.	M.C.A.	60
41.	M.Sc. Computer Sc (Software)	40
	Electronic Sc.	
42.	M.Sc. in elect. Sc.	34

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

S.No.	Name of Syllabus	No. of Seats
43.	M. Sc. (Inf. Tech.)	40
	Geology	
44.	M.Sc. (Applied Geology)	18
	Geophysics	
45.	M. Tech. (Applied Geophysics)	21
	Education	
46.	M.A.	35
47.	M. Ed. (Morning & Evening)	90
48.	M. Ed. (Spl. Edu.)	15
49.	B. Ed. (Spl. Edu.)	20
50.	M. Phil	20
	Physical Education	
51.	M.P. Ed.	54
52.	D.P. Ed.	50
53.	C.P. Ed.	120
54.	P.G. Dip. in Yoga	35
55.	Cert. in Yoga	No limitation
	Uni. Inst. of Engg. & Tech.	
56.	B. Tech. in Elects & Comm. Engg.	40
57.	B. Tech.in Computer Sc. Engg.	40
58.	B. Tech (Bio-tech.)	40
59.	M. Tech. Software Engg.	20
60.	M.Tech. (Micro Elect. & VLSI Designs Engg.)	20
61.	M. Tech. Process Cont. & Instrumentation Engg.	20
	Instrumentation	
62.	B. Tech. Inst. Engg.	40
63.	M. Tech. Inst. Engg.	20
	Sanskrit, Pali & Prakrit	
64.	M.A.	50
65.	M. Phil.	20
	Philosophy	
66.	M.A.	30

S.No.	Name of Syllabus	No. of Seats
67.	Dip. in Reasoning	37
	A.I.H. Cul. & Arch.	
68.	M.A.	30
69.	M. Phil.	20
	Music & Dance	
70.	M.A. (Vocal & Instrumental)	30
71.	M. Phil.	20
	Fine Arts	
72.	M.A. (Fine Art)	40
73.	Bachelor of Fine Arts (BFA) Painting, Applied Art and Sculpture	38
	Law	
74.	LL.B. (Professional) (Morning & Evening)	230
75.	L.L.M.	34
	Institute of Law	
76.	B.A.LL.B. (Hons)	120
	Commerce	
77.	M. Com.	60
78.	M.I.B.	30
79.	M.M.T.	30
80.	M.F.C.	30
81.	M. Phil.	20
	University School of Management	
82.	M.B.A.	60
	Tourism & Hotel Mgt.	
83.	M.T.T.M.	35
84.	M.H.M. & C.T.	30
	Inst. of Mass Comm. & Media Tech.	
85.	M.A. Journalism & Mass Comm.	25
86.	M.Sc. Bio-Tech	24
87.	M.Sc. Chemistry with specialization in Pharmaceuticals	20
88.	M.Tech. Micro Electronics & VLSI Design	20

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक --

S.No.	Name of Syllabus	No. of Seats
	Hindi	
1.	(i) MA	60
2.	(ii) PG Diploma in Translation (Hindi-English)	20
3.	M. Phil	10
	English & Foreign Languages	
4.	(i) MA- 2 Year	90
5.	(ii) M. Phil	10
	Sanskrit	
6.	M.A.	65
7.	M. Phil	10
	Journalism & Mass. Comm.	
8.	M.A.	25
	Music	
9.	M.A. (10 Vocal) (10 Instrument)	20
	Fine Arts	
10.	M.A.	10
	Chemistry	
11.	M. Sc.	47
	Physics	
12.	M.Sc.	40
	Mathematics	
13.	(i) M. Sc.	90
14.	(ii) M. Phil	10
	Statistics	
15.	M. Sc.	20
16.	M. Phil	10
	Computer Sc. & Aplications	
17	(i) MCA	50
	Bio-Sc.	
18.	(i) M. Sc. Botany	15
19.	(ii) M.Sc. Zoology	15
20.	(iii) M. Sc. EVS	15

S.No.	Name of Syllabus	No. of Seats
21.	(iv) M. Sc. Genetics	15
22.	(v) M. Sc. Bio-Tech	15
23.	(vi) M. Sc. Bio-Chem	15
	Commerce	
24.	(i) M. Com	100
25.	(ii) M. Phil	10
	Pharmaceutical Sc.	
26.	(i) B. Pharmacy	45
	(ii) M. Pharma	08
	Economics	
27.	(i) MA	60
28.	(ii) M. Phil	10
	Political Sc.	
29.	(i) MA	60
30.	(ii) M. Phil	10
	History	
31.	(i) MA	105
32.	(ii) M. Phil	10
	Psychology	
33.	(i) MA	30
34.	(ii) PG Diploma in Guidance & Counselling	20
	Public Admn.	
35.	(i) MA	50
36.	(ii) M. Phil	10
	Sociology	
37.	(i) MA	30
38.	(ii) M. Phil	10
	Geography	
39.	(i) MA	30
	Defence Studies	
40	(i) MA	20
	IMSAR	
41.	(i) MBA-2 Year	60
42.	(ii) MBA-5 Year	60

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

S.No.	Name of Syllabus	No. of Seats
	Education	
43.	(i) MA	15
44.	(ii) M. Ed.	20
45.	(iii) M. Phil	10
	Physical Education	
46.	(i) MA	20
47	(ii) D. P. Ed.	50
	Law	
48.	(i) LL.M.	30
49.	(ii) LL. B. 5 Yr.	150
50	(iii) LL-B-3 Yr (Day)	80
51.	(iv) LL.B-3 Yr (Even.)	80

3. चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा --

S.No.	Name of Syllabus	No. of Seats
1.	M.Sc. (Biotechnology)	30
2.	M. Sc. (Environmental Science)	30
3.	M. Sc. (Food Science & Technology)	30
4.	M. Sc. (Mathematics)	30
5.	M. Sc. (Physics)	30
6.	M. Sc. (Chemistry)	30
7.	M.B.A. (General)	60
8.	M.B.A. (Business Economics)/MBE	40
9.	M. Com.	40
10.	MCA	60
11.	M. Tech. (CSE) Full time	30
12.	M.A. (Economics)	40
13.	M.A. (Public Administration)	40
14.	M.A. (English)	40
15.	M.A. (Mass Communication)/MJMC/MMC	40
16.	M.P. Ed.	30

S.No.	Name of Syllabus	No. of Seats
17.	C.P. Ed.	80
18.	B. Ed.	100
19.	LL.B. 3 year	80
20.	LLM	30

दिनांक 4.3.2005 को राज्य में कोई निजी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं था।

अनुबंध 'ख'

(ख) राज्य में आज तक विद्यमान विश्वविद्यालयों की कुल संख्या, नाम तथा इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों की संख्या एवं नाम के बारे में वक्तव्य :

आज उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में निम्नलिखित चार राजकीय विश्वविद्यालय चल रहे हैं :--

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
4. भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, खानपुर-कलां, सोनीपत।

राजीव गांधी शिक्षा शहर, सोनीपत में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

इसके अतिरिक्त हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में अंकित प्रावधानों के तहत आज निम्नलिखित विश्वविद्यालय अस्तित्व में है :--

1. ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत।
2. आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, गुड़गांव।
3. एमिटि विश्वविद्यालय, गुड़गांव।
4. एपीजे सत्य विश्वविद्यालय, गुड़गांव।
5. महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, अम्बाला।
6. एम.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, कैथल।
7. बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक।
8. एम.वी.एन. विश्वविद्यालय, पलवल।
9. अंसल विश्वविद्यालय, गुड़गांव।
10. श्री गुरु गोबिन्द सिंह त्रिःशताब्दी विश्वविद्यालय बुढेंरा जिला गुड़गांव।

यद्यपि श्री गुरु गोबिन्द सिंह त्रिःशताब्दी विश्वविद्यालय बुढेंरा जिला गुड़गांव की

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]
स्थापना अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 अनुसार की थी। और विश्वविद्यालय द्वारा अभी कोई पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया है। राज्य तथा निजी विश्वविद्यालयों में कुल पाठ्यक्रमों की संख्या निम्नानुसार है :--

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।

S.No.	Name of Syllabus
	English
1.	M.A.
2.	M. Phil
	Foreign languages
3.	Cert. in French
4.	Cert. in German
5.	Dip. in French
6.	Dip. in German
7.	Cert. in Urdu
8.	Cert. in Communication Skills
9.	Advanced Dip. in French
10.	Advanced Dip. in German
	Hindi
11.	M.A.
12.	M. Phil.
	Institute of Management Studies
13.	MBA 5 years
	Panjabi
14.	M.A.
15.	M. Phil
	Library & Information Sc.
16.	B. Lib & Inf. Sc.
17.	M. Lib. & Inf. Sc.
18.	M. Phil.
	Political Sc.
19.	M.A.
20.	M. Phil
21.	M.A. Defence & Strategic Studies
	History
22.	M.A.

S.No.	Name of Syllabus
23.	M. Phil
	Economics
24.	M.A.
25.	M.Sc. (Banking & Finance)
	Sociology
26.	M.A.
	Psychology
27.	M.A.
28.	M. Phil
	Social Work
29.	Master of Social Work (MSW)
	Public Admn.
30.	M.A.
31.	M. Phil.
	Women Studies Research Centre
32.	M.A. (Women Studies)
33.	P.G. Dip. in Women's Studies
	Zoology
34.	M.Sc.
35.	M. Sc. (Forensic Sc.)
	Bio-technology
36.	M.Sc.
	Botany
37	M. Sc.
38.	P.G. Dip. in Floriculture
	Micro-Biology
39.	M.Sc.
	Home Science
40.	M.Sc. in Food & Nutrition
41.	M. Sc. (Human Development)
42.	M. Sc. (Clothing & Textiles)
	Bio-Chemistry
43.	M.Sc.
44.	M.Sc. (Bio-informatics)

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

S.No.	Name of Syllabus
	Chemistry
45.	M.Sc. Chemistry
46.	M.Sc. Chemistry with specialization in pharmaceuticals
	Institute of Pharmaceutical Sciences
47.	B. Pharmacy
48.	M. Pharmacy
	Institute of Environmental Studies
49.	M.Sc. in Environment Science
50.	M. Tech. (Enrgy & Environmental Mgt.)
	Physics
51.	M.Sc.
	Mathematics
52.	M.Sc.
53.	M. Phil.
	Statistic & O.R.
54.	M.Sc. (Stat.)
	Geography
55.	M.Sc.
56.	M. Phil.
	Computer Science & Applications
57.	M.Tech. (Comp. Science & Engg.)
58.	M.C.A.
59.	M.Sc. Computer Sc. (Software)
	Electronic Sc.
60.	M.Sc. in Elect. Sc.
61.	M. Tech. Micro Electronics and VLSI Designs
62.	M. Tech. (Nano Sc. & Tech.)
	Geology
63.	M.Sc. (Applied Geology)
64.	M. Tech. (Applied Geology) 5-Yr.
	Geophysics
65.	M. Tech. (Applied Geophysics)
	Education
66.	M.A.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh LIBRARY

S.No.	Name of Syllabus
67.	M. Ed. (Morning & Evening)
68.	M. Ed. (Spl. Edu.)
69.	B. Ed. (Spl. Edu.)
70.	M. Phil.
	Physical Education
71.	M.P. Ed.
72.	B.P. Ed.
73.	P.G. Dip. in Yoga
	Uni. Inst. of Engg. & Tech.
74.	B. Tech. in Elects. & Comm. Engg.
75.	B. Tech.in Computer Sc. Engg.
76.	B. Tech (Bio-tech.)
77.	B. Tech in Mechanical Engg.
78.	M. Tech. Software Engg.
79.	M.Tech. (Electronic & Comm.)
80.	M. Tech. (Bio-Technology)
81.	M. Tech. (Computer Engg.)
82.	M. Tech. (Mech. Engg.)
83.	M. Tech. Electrical Engg.
84.	M. Tech. (Material Sc.)
	Instrumentation
85.	B. Tech. Inst. Engg.
86.	M. Tech. Instrumentation Engg.
	Sanskrit, Pali & Prakrit
87.	M.A.
88.	M. Phil.
	Philosophy
89.	M.A.
90.	M. Phil.
91.	Dip. in Reasoning
92.	Cert. course on Bhagvadgita (Evening)
	A.I.H. Cul. & Arch.
93.	M.A.
94.	M. Phil.

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

S.No.	Name of Syllabus
	Music & Dance
95.	M.A. (Vocal & Instrumental)
96.	M. Phil.
97.	Master of Performing Arts (MPA) (Hons.) 5 Year Integrated Course
	Fine Arts
98.	M.A. (Fine Art)
99.	Bachelor of Fine Arts (BFA) Painting, Applied Art and Sculpture
100.	Master of Fine Arts (MFA)
	Law
101.	LL.B. (Professional) (Morning & Evening)
102.	L.L.M.
	Institute of Law
103.	B.A.LL.B. (Hons)
	Commerce
104.	M. Com.
105.	M.I.B.
106.	M.M.T.
107.	M.F.C.
108.	M. Phil.
	University School of Management
109.	M.B.A.
110.	M.B.A. (Hons.)
	Tourism & Hotel Mgt.
111.	M.T.T.M.
112.	M.H.M. & C.T.
113.	B.H.M. & C.T.
114.	M. Phil.
	Inst. of Mass Comm. & Media Tech.
115.	B. Tech, Printing, Graphics & Packaging
116.	M.A. Journalism & Mass Comm.
117.	B.A. Mass Comm.
118.	M.Sc. Mass Comm.

S.No.	Name of Syllabus
119.	M.Sc. Electronics Media
120.	5 Year Integrated Course in Graphics & Animation
121.	5 Year Integrated Course in Multi Media
122.	M. Phil.

2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक –

	Hindi
1.	(i) M.A.
2.	(ii) PG Diploma in Translation (Hindi-English)
3.	M. Phil.
	English & Foreign Languages
4.	(i) M.A.- 2 Year
5.	(ii) M.A.-5 Year (Hons.)
6.	(ii) Certificate Course in French
7.	(iv) Certificate Course in Spanish
8.	(v) Diploma in French
9.	M. Phil.
	Sanskrit
10.	M.A.
11.	M. Phil.
	Journalism & Mass. Comm.
12.	M.A.
13.	M. Phil
	Music
14.	M.A.
15.	(10 Vocal)
16.	(10 Instrument)
17.	M. Phil.
	Fine Arts
18.	M.A.
19.	Visual Art
	Chemistry
20.	M. Sc.

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

S.No.	Name of Syllabus
	Physics
21.	M.Sc.
	Mathematics
22.	(i) M. Sc.
23.	(ii) Mathematics with Computer Sc.
24.	(iii) Math Hons. - 5 Year
25.	M. Phil.
	Statistics
26.	M. Sc.
27.	M. Phil.
	Computer Sc. & Aplications
28	(i) MCA
29.	(ii) M. Tech.
	Commerce
30.	(i) M. Com.
31.	(ii) M. Com. (Hons)
32.	(iii) Master in Retail Mgt.
33.	(iv) M. Phil.
	Pharmaceutical Sc.
34.	(i) B. Pharmacy
35.	(ii) M. Pharma
	Economics
36.	(i) M.A.
37.	(ii) Economics - 5 Year Hons.
38.	(iii) M. Phil.
	Political Sc.
39.	(i) M.A.
40.	(ii) M. Phil
	History
41.	(i) M.A.
42.	(ii) M. Phil.
	Psychology
43.	(i) M.A.
44.	(ii) PG Diploma in Guidance & Counselling

S.No.	Name of Syllabus
45.	(iii) Diploma in Psy. Organization
46.	(iv) M. Phil
	Public Admn.
47.	(i) M.A.
48.	(ii) 5-Years (Hons.)
49.	(iii) M. Phil.
	Sociology
50.	(i) M.A.
51.	(ii) M. Phil.
	Geography
52.	(i) M.A.
53.	(ii) Population Studies
54.	(iii) Geo-Informatics
55.	(iv) M. Phil.
	Defence Studies
56.	(i) M.A.
57.	(ii) M. Phil.
	IMSAR
58.	(i) MBA-2 Year
59.	(ii) MBA-5 Year
60.	(iii) Business Eco
61.	(iv) MBA Hons.
	Education
62.	(i) M.A.
63.	(ii) M. Ed.
64.	(iii) M. Phil.
	Physical Education
65.	(i) M.A.
66.	(ii) B.P. Ed/4
67.	(iii) M. Phil.
	Law
68.	(i) LL.M.
69.	(ii) LL.B - 5 Yr.
70.	(iii) LL.B-3 Yr (Day)
71.	(iv) LL.B-3 Yr (Even.)

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

S.No.	Name of Syllabus
	Bio-Chemistry
72.	(i) M.Sc. Bio-Chemistry
73.	(ii) M.Sc. Clinical Bio-Chemistry
	Bio-Technology
74.	(i) M.Sc. Bio-Technology
75.	(ii) M.Sc. Agricultural Biotechnology
	Bio-Informatics
76.	M.Sc. Bio-Informatics
	Medical Biotechnology
77.	(i) M. Sc. Medical Biotechnology
78.	(ii) M. Sc. Botany
	Environmental Science
79.	(i) M.Sc. Environmental Sc.
80	(ii) M.Sc. Environmental Biotechnology
	Food Technology
81.	M.Sc. Food Technology
	Genetics
82.	(i) M.Sc. Genetics
83.	(ii) M.Sc. Forensic Science
	Microbiology
84.	(i) M.Sc. Microbial Technology
85.	(ii) M.Sc. Microbiology
	Zoology
86.	(i) M.Sc. Zoology
87.	(ii) M.Sc. Genomics
	UIET
88.	(i) B. Tech (360+36 LEET)
89.	M. Tech.
	Hotel Management
90.	(i) Master in Hotel & tourism Mgt.
91.	(ii) Bachelor in Hotel & Tourism Mgt.
92.	(iii) Diploma in Food Beverage Prod.
93.	(iv) Diploma in Food Service Mgt.
94.	(v) Diploma in House Keeping Op. Mgt.

S.No.	Name of Syllabus
95.	(vi) Diploma in Front Office Op. Mgt.
	Library Science & Information
96.	M. Lib.

3. चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा –

1.	M.Sc. (Biotechnology)
2.	M. Sc. (Environmental Science)
3.	M. Sc. (Food Science & Technology)
4.	M. Sc. (Mathematics)
5.	M. Sc. (Physics)
6.	M. Sc. (Chemistry)
7.	M.B.A. (General)
8.	M.B.A. (Business Economics)/MBE
9.	M. Com.
10.	M.C.A.
11.	M. Tech. (CSE) Full time
12.	M.A. (Economics)
13.	M.A. (Public Administration)
14.	M.A. (English)
15.	M.A. (Mass Communication)/MJMC/MMC
16.	M.P. Ed.
17.	C.P. Ed.
18.	B. Ed.
19.	LL.B. 3 year
	M. Phil Courses
20.	Biotechnology
21.	Chemistry
22.	Environmental Sciences
23.	Physics
24.	Commerce
25.	Economics
26.	Public Administration
27.	English
28.	Physical Education
29.	Education

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

S.No.	Name of Syllabus
	Other Courses
30.	M.B.A. (5 Year) integrated course
31.	M.Sc. (Hon.) Economics (5 year) integrated course (Name changed to M.A. (Hon.) Economics (5 year) integrated w.e.f. session 2012-13
32.	M.Sc. (Hon.) Mathematics (5 year) integrated course
33.	M. Tech. (CSE) Part Time
34.	M.A. Education (2) year
35.	LL.M. (Evening)
36.	B.A. LL.B. (5 year) integrated course
37.	B.A. Mass Communication
38.	B.P. Ed.

4. भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, खानपुर–कलां सोनीपत–

1.	B.A.
2.	B.Sc. (N. Med.)
3.	B.Sc. (Med.)
4.	B. Sc. (Comp. Sci.)
5.	B.Sc. (H.Sci.)
6.	M.Sc. (H. Sci.)
7.	Ph.D. (H.Sc.)
8.	B.Sc. (H & HA)
9.	B.Com. (Hon's)
10.	M.Com.
11.	M.A. English
12.	M.A. English (int.)
13.	Ph.D. (English)
14.	M.A. (Economics)
15.	MSW
16.	M.B.A.
17.	Ph.D. (Mgt.)
18.	B. Tech. (CSE)
19.	B. Tech. (IT)
20.	B.Tech. (ECE)

S.No.	Name of Syllabus
21.	B.Tech. (FT)
22.	MBA Tech.
23.	M. Tech. (NS)
24.	M. Tech. (F.T.)
25.	Ph.D. (Technology)
26.	B.A.M.S.
27.	B.A.LL.B.
28.	B.B.A. LL.B.
29.	LL.M.
30.	PG Diploma in Human Rights
31.	Ph.D. (Law)
32.	B. Pharmacy
33.	Certificate in Panchkarma
34.	Certificate in Yoga
35.	Certificate in Ksharshutra
36.	COP in German
37.	COP in French
38.	COP in Russian
39.	A DOP in Russian
40.	PG DOP in Russian
41.	PG DOP in German
42.	D. Ed.
43.	B. Ed.
44.	M. Ed.
45.	Ph. D. (Edu.)

5. ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत–

1.	B.A.,LL.B.
2.	LL.B.
3.	LL.M
4.	M.B.A.
5.	M.A. (DLB) Week Mode
6.	M.A. (DLB) Weekend Mode
7.	M.A. in Public Policy

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

S.No.	Name of Syllabus
	6. जाई.टी.एम. विश्वविद्यालय, गुड़गांव–
1.	B.Tech. CSE
2.	B. Tech. ECE
3.	B. Tech. ME
4.	B. Tech. IT
5.	B. Tech. EEE
6.	B. Tech. CE
7.	B.B.A.
8.	B. Com (Hons.)
9.	B.B.A.-LL.B. (Hons.)
10.	M. Tech. CSE
11.	M. Tech. SE
12.	M. Tech. ECE
13.	M. Tech. VLSI design
14.	M. Tech. EEM
15.	LL.M.
16.	Ph. D. (Engg.)
17.	Ph. D. (Management)
18.	Ph. D. (Law)
19.	M.B.A.
	7. एमिटि विश्वविद्यालय, गुड़गांव
1.	MBA (Gen)
2.	MBA (IB)
3.	MBA (M&S)
4.	MBA (HR)
5.	MBA (Executive Full Time)
6.	MBA Banking & Finance
7.	Master of Hospital Aministrator
8.	B.B.A.
9.	B. Com (H)
10.	B.A. (H) Economics
11.	B. Tech. (IT)
12.	B. Tech. (ECE)

S.No.	Name of Syllabus
13.	B. Tech (CSE)
14.	B. Tech. (MAE)
15.	B. Tech. (Civil)
16.	B. Tech. (Aero)
17.	B. Tech. (EEE)
18.	B. Tech. (ECE+MBA)
19.	B. Tech. (CSE+MBA)
20.	M. Tech. (CSE)
21.	M. Tech. (E&C)
22.	B. Tech. + M. Tech-Nanotech (Dual)
23.	B. Tech. (ECE) ASE
24.	B. Tech. (CSE) ASE
25.	B. Tech. (MAE) ASE
26.	M.C.A.
27.	B.C.A.
28.	B. Sc. (IT)
29.	M.Sc. (Networking & Management)

8. एपीजे सत्य विश्वविद्यालय, गुड़गांव--

1.	B.Tech. (CSE/ECE/EIE/EEE/Mech.)
2.	B. Tech. (Biotechnology) B.Tech + M.Tech.(Biotechnology)
3.	Bachelor of Design (Lifestyle, Space, Digital Media)
4.	B.B.A. (Hons)
5.	Bachelor of Business Economics
6.	B.A. (Hons) in Journalism & Mass Communication
7.	M. Tech. (Mech./ICE/ECE/CSE)
8.	M. Tech. (Biotechnology) M.Sc. (Biotechnology)
9.	MBA (All Specialization)
10.	Master of Design (Fashion, Interior, Graphic design)
11.	Master in Computer Application
12.	MSCL (Bio Science)
13.	M. Pharm Pharmaceutics
14.	Ph.D./M.Phil (Biosciences, Biotechnology, Bioinformatics, Biomedical Sciences)

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

S.No.	Name of Syllabus
15.	Ph.D. in Journalism & Mass Communication
16.	M.A. in Journalism & Mass Communication
17.	Ph.D. (Finance, Human Resources Internationa Business, Information Technology, Marketing, Operations Research)
18.	Integrated MBA Public Policy
19.	Executive MBA in Education Management
20.	PG Diploma in Novel Drug Delivery Systems
21.	Ph.D. in Pharmaceutical Sciences Pharmaceutics
22.	Ph.D. in Education

9. महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, अम्बाला–

1.	B. Tech. ECE
2.	B. Tech. CSE
3.	B. Tech. ME
4.	B. Tech. CE
5.	M. Tech. ECE
6.	M. Tech. CSE
7.	M. Tech. ME
8.	M. Tech. CE
9.	B. Arch.
10.	B. Com. (Hons)
11.	BCA (Hons)
12.	MCA
13.	BBA (Hons)
14.	MBA
15.	B.Sc. (Medical/Non Medical)
16.	B. Sc. (Interior Design)
17.	B. Sc. (Fashion Technology)
18.	Diploma (Interior Design)
19.	Diploma (Fashion Technology)
20.	M.Sc. Physics
21.	M. Sc. Chemistry
22.	M.Sc. Mathematics

S.No.	Name of Syllabus
23.	M. Phil. CSE
24.	M. Phil. Physics
25.	M. Phil. Chemistry
26.	M. Phil. Maths
27.	M. Phil. English
28.	M. Phil. Management
29.	M. Phil. Commerce
30.	Ph. D. Management
31.	Ph. D. English
32.	Ph. D. CSE
33.	Ph. D. ME

10. एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, कैथल–

क्रमांक पाठ्यक्रमों के नाम

1.	UG
2.	PG
3.	UG (BBA & B. Com)
4.	PG (MBA)
5.	UG (B.Sc. & B. Tech.) B.Sc in Non Medical, CS B. Tech in CSE/Civil/Mech/EEE/ECE/BT
6.	PG (M.Sc.) M. Sc. in Chem, Physics
7.	U.G. (BA in HM, Mass Commi. Fashion)
8.	PG (MA Mass Com)

11. बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक–

क्रमांक पाठ्यक्रमों के नाम

1.	Faculty of Nursing (ANM, GNM, PB B.Sc. & Ph. D.)
2.	Faculty of Engineering Technology and Architecture (D.Tech., B. Tech., M. Tech. B.Arch & Ph.D.)
3.	Faculty of Pharmacy (D. Pharma, B. Pharma, BPT, M. Pharma & Ph.D.)
4.	School of Management and Commerce (MBA, MCA, BBA, BCA, B.Com., M. Com. & Ph.D.)
5.	Faculty of Education (D.Ed., B.Ed., M.Ed. & Ph.D.)
6.	Faculty of Ayurveda (Upvaid, BAMS, MD & Ph.D.)
7.	Faculty of Dentistry (BDS)
8.	Faculty of Humanities (B.A., M.A., B.Lib. & Ph.D.)

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

S.No.	Name of Syllabus
9.	Faculty of Sciences (B.Sc., M.Sc. & Ph.D.)

12. एम.वी.एन. विश्वविद्यालय, पलवल–

1.	B. Tech. (CSE)
2.	B. Tech. (ECE)
3.	B. Tech. (CE)
4.	B. Tech. (ME)
5.	B. Tech. + M.Tech. (CSE)
6.	B. Tech.+ M Tech. (ECE)
7.	B. Tech. + M. Tech. (CE)
8.	B. Tech. + M. Tech. (ME)
9.	B. Tech. + MBA (CSE)
10.	B. Tech. + MBA (ME)
11.	B. Tech. + MBA (CE)
12.	Dip. + B. Tech. (CE)
13.	Dip. + B. Tech. (ME)
14.	M. Tech. (ECE)
15.	M. Tech. (CSE)
16.	Ph.D. (CSE)
17.	BBA
18.	BBA+MBA
19.	MBA
20.	Ph.D.
21.	BCA
22.	BCA+MCA
23.	Ph. D.

13. अंसल विश्वविद्यालय, गुड़गांव–

School of Engineering & Technology

1.	B. Tech. (CSE)
2.	B. Tech. (IT)
3.	B. Tech. (ECE)
4.	B. Tech. (Mech)
5.	B. Tech. (Automobile)
6.	B. Tech. (Civil)

S.No.	Name of Syllabus
7.	M. Tech. (CSE)
8.	M. Tech. (ECE)
9.	Ph.D.
	Sushant School of Art & Architecture
10.	B. Arch.
11.	M. Arch./M.Tech./MBA Sustainable Urbanism
12.	M. Arch./M. Tech./MBA Sustainable Environment Design
13.	M. Arch./M. Tech./MBA Real Estate Development
	Sushant School of Design
14.	Bachelors in Design (Fashion & Textile)
15.	Bachelors in Design (Visual Communication)
16.	Bachelors in Design (Interior)
	School of Management
17.	MBA
18.	BBA
19.	PG Diploma in Retail Management
20.	B.Sc. (HMCT)
	School of Humanities & Languages
21.	M.A. Economics
22.	M.A. English
23.	M.A. in Aplied Psychology
24.	Ph.D.
	School of Computer Applications
25.	BCA
26.	MCA
27.	BCA+MCA (Intg.)
28.	Ph.D.
	School of Applied Sciences
29.	B.Sc. Optometry
30.	M.Sc. Biotechnology
31.	M.Sc. Nanotechnology
32.	M.Sc. Computational Mathematics
33.	Ph.D.
	School of International Studies
34.	MBA/MS/M.Tech.
35.	B. Tech./BS
36.	BBA/BCA/B.Sc.

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

अनुबंध 'ग'

(ग) 4 मार्च, 2005 को तथा आज तक इन सभी विश्वविद्यालयों के दर्जे के बारे में वक्तव्य --

विश्वविद्यालयों के नाम	दिनांक 4.3.2005 का वर्गीकरण	आज का वर्गीकरण
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा चार स्टार प्रदान किए गए।	राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा A दर्जा प्रदान किया गया।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा B++ प्रदान किया गया।	राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा B दर्जा प्रदान किया गया।
चौ. देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
भगत फूल सिंह विश्वविधालय, खानपुर कलां सोनीपत	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल विश्वविधालय, सोनीपत	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, गुड़गांव	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
एमिटि विश्वविद्यालय, गुड़गांव	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
एपीजे सत्य	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय

विश्वविद्यालयों के नाम	दिनांक 4.3.2005 का वर्गीकरण	आज का वर्गीकरण
विश्वविद्यालय, गुड़गांव		मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, अम्बाला	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, कैथल	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
एम.वी.एन. विश्वविद्यालय, पलवल	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
अंसल विश्वविद्यालय, गुड़गांव	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।
श्री गुरुगोबिन्द सिंह त्रि:शताब्दी विश्वविद्यालय, बुढेरा जिला गुड़गांव	--	विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा –

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

(i)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Smt. Kiran Choudhry, Public Health Engineering Minister in which she has expressed her inability to attend the

[Mr. Speaker]
sitting of the House today, the 11th March, 2013 due to sad demise of shri Ishwar Singh, cousin of Ch. Bansi Lal, Ex-Chief Minister Haryana.

(ii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Prahlad Singh Gilankhera, Chief Parliamentary Secretary in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House for today, the 11th March, 2013 due to unavoidable circumstances.

(iii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Ram Kishan Gujjar, C.P.S. in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 11th March, 2013 due to his ill-health.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उन पर वक्तव्य

(i)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 19 from Shri Rampal Majra, MLA and Col. Raghbir Singh, MLA regarding rapidly spreading cancer disease in Haryana. I have admitted it. As Shri Rampal Majra is the first signatory of this Calling Attention Notice, he may read out his notice.

@श्री रामपाल माजरा एम.एल.ए. तथा कर्नल रघुवीर सिंह एम.एल.ए. : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कैंसर की बीमारी दिनों-दिन तेजी से फैल रही है। सरकार द्वारा आम आदमी के लिए उचित चिकित्सा प्रबंधों में लापरवाही बरती जा रही है। उक्त बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं। हरियाणा में अब तक भारी संख्या में मौतें हो चुकी हैं। कैंसर से पीड़ित प्रदेशवासियों के प्रति सरकार के ऐसे बेरूखे व्यवहार की वजह से मरीज व उनके परिवार परेशान हैं न तो प्रदेश सरकार कैंसर की बीमारी को गंभीरता से ले रही है और न ही स्वास्थ्य विभाग इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहा हैं सरकार के इस ढुलमुल रवैये के कारण कैंसर के मामलों में हर रोज वृद्धि हो रही है। हरियाणा के 23 प्रतिशत गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं और 17.7 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। 58 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रहने के लिए भवन नहीं है, 70 प्रतिशत में महिला चिकित्सक नहीं हैं तथा 37 प्रतिशत में मरीजों के लिए बिस्तरों का प्रबंध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की प्रचार की कमी के कारण लोग कैंसर की बीमारी के बारे में जागरूक नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में न तो कैंसर पीड़ितों के लिए कोई विशेष प्रबंध हैं और न ही इन मरीजों के लिए दवाओं का उचित प्रबंध है।

मैं सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निवेदन करता हूं।

@ Read by Shri Rampal Majra

वक्तव्य

Mr. Speaker : Now, the Health Minister will make a statement.

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा कैंसर के बारे में व्यक्त की गई संवेदनशीलता की प्रशंसा करता हूं। सरकार कैंसर के कारण होने वाली सगणता तथा जन हानि की समस्या से अवगत है तथा उपचार संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठा रही है।

कैंसर किसी कोशिका अथवा अंग की असामान्य वृद्धि जो सामंजस्य रहित, अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित होती है जो उत्तेजना की समाप्ति पर भी जारी रहती है। कैंसर एक घातक रोग है जिसका यदि शीघ्र पता न लग पाए तो मौत का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त, यह पीड़ित तथा उसके परिवार के लिए भीषण आघात, दर्द तथा वित्तीय बोझ का कारण बन जाता है। यदि कैंसर का पता शीघ्र लगा लिया जाए और पूर्ण उपचार किया जाए तो लगभग एक तिहाई मामलों को कैंसर से बचाया जा सकता है तथा एक तिहाई रोगियों को ठीक किया जा सकता है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि कैंसर की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। वैसे, हरियाणा अथवा पूरे देश में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अधिकतर आंकड़े भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा दर्ज की गई कैंसर की प्रविष्टियों के आधार पर लिए गए अनुमानित आंकड़ों पर आधारित हैं। भारत में कैंसर के अनुमानित 28 लाख मामले हैं। प्रति वर्ष 11 लाख नए मामले जुड़ रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत जनसंख्या आधारित कैंसर प्रविष्टियों के आधार पर बनाई गई तीन वर्ष 2006-08 तक की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में प्रति वर्ष कैंसर के अनुमानित 21809 मामले दर्ज होने सम्भावित हैं। इसी प्रकार, यह भी अनुमान है कि 2,53,53,000 जनसंख्या वाले हरियाणा प्रदेश में एक निर्धारित समयावधि में कैंसर के 56700 मामले हो सकते हैं।

इस रिपोर्ट के आधार पर कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या में हरियाणा के साथ-साथ पूरे देश में नाममात्र की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि, घटनाओं में वृद्धि के कारण तथा जनसंख्या में वृद्धि, दीर्घायु में वृद्धि, बेहतर जांच तथा उपचार सुविधाओं तथा बेहतर रिपोर्टिंग के परिणाम स्वरूप हुई हैं हालांकि, हरियाणा में किसी विशेष प्रकार के कैंसर की घटनाएं कभी भी प्रकाश में नहीं आई है।

कैंसर के मामलों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों से आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2012 के दौरान रिजनल कैंसर सैंटर, रोहतक में कैंसर के 4452 नए मामले तथा 21957 पुराने मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर 23662 नए मामले तथा 46763 पुराने मामले उपचार के लिए दर्ज किए गए। पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक की वर्ष 2008-12 की रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर सबसे अधिक कैंसर मुंह, गले, उदर, स्तन तथा सरवाईकल

[राव नरेन्द्र सिंह]

के रिपोर्ट हुए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों में कैंसर के प्रकार, जीवन शैली, पर्यावरण तथा आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहते हैं। यद्यपि, हरियाणा में जनसंख्या अथवा अस्पताल आधारित कैंसर पंजीकरण न होने के कारण कैंसर की उपस्थिति का कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है तथा आंकड़ों की डुप्लीकेसी से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बढ़ती मृत्युओं का मुद्दा उठाया गया है यहां पर, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में पूर्ण तथा प्रामाणिक डाटा उपलब्ध नहीं है। पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कैंसर के कारण वर्ष 2008 में 162 मरीजों, 2009 में 195 मरीजों, 2010 में 189 मरीजों, 2011 में 108 मरीजों तथा 2012 में 105 मरीजों की मृत्यु हुई है। ये आंकड़ें मृत्युओं की संख्या में कोई विशेष वृद्धि को नहीं दर्शाते।

कैंसर के रोगियों के उपचार में आरम्भिक पड़ताल तथा तत्पश्चात् उपचार तथा फोलोअप सम्मिलित है। कैंसर मामलों के प्रबन्धन के लिए बहु अनुशासनात्मक तथा बहु आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसका प्रभावी प्रबन्धन केवल तृतीय स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में ही उपलब्ध है जहां भौतिक चिकित्सकों, सर्जनों, पैथोलोजिस्टों, औंकोलोजिस्टों, रेडियोथैरेपिस्टों सहित जांच पड़ताल, कैमोथैरेपी तथा रेडियोथैरेपी इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इस संबंध में, सन् 1999 में सरकार द्वारा पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में रिजनल कैंसर सैंटर पहले ही स्थापित किया गया था तथा इस संस्थान में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रैफर किए गए रोगियों के लिए यही केवल एक मात्र तृतीय स्तर का देखभाल केन्द्र है, जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी रोगियों का उपचार नि:शुल्क किया जाता है। इस केन्द्र को 3 कोबाल्ट टैलीथैरेपी यूनिटों तथा एक ब्रैकीथैरेपी मशीन से अपग्रेड किया गया है इस संस्थान में सर्जिकल ओंकोलोजी का अलग विभाग कार्यरत है। संस्थान में कैंसर प्रबंधन की दिशा में समग्र दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में मार्फिन (Morphine) की उपलब्धता सहित सहायक देखभाल प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तृतीयक देखभाल केन्द्र योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन के लिए 4.8 करोड़ रुपए की धन राशि अनुमोदित की गई है।

1800 करोड़ रुपए की लागत से 600 बिस्तरों वाले राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना सक्रिय रूप से विचाराधीन है 24 नवम्बर, 2012 से झज्जर के बाढ़सा गांव में ए.आई.आई.एम.एस.-II के विस्तार के रूप में दूरस्थ बहिरंग रोगी विभाग कार्य कर रहा है।

खानपुरकलां, सोनीपत में एक चिकित्सा महाविद्यालय पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। कुछ समय में दो अन्य चिकित्सा महाविद्यालय परिचालित हो जाएंगे। यहां पर धीरे-धीरे निदान एवं तृतीयक देखभाल उपचार सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। हरियाणा सरकार के इन अद्वितीय प्रयासों से भविष्य में कैंसर रोगियों की पीड़ा को कम करने में सहायता मिलेगी।

सरकार द्वारा जिला स्तर पर कैंसर रोगियों को उपचार सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रभावकारी मापदण्ड अपनाए गए हैं। कैंसर के उपचार में आरम्भिक जांच एवं पुष्टि के लिए बायोप्सी तथा पैप समीयर (Pap Smear) की आवश्यकता होती है। इसमें जनता में जागरूकता लाना, जीवन शैली के मुद्दे तथा पर्यावरण, तृतीयक स्तरीय संस्थानों में निदान एवं उपचार एवं अनुसंधान सम्मिलित है।

जांच के लिए पैप समीयर तथा सरवाईकल कैंसर के संदिग्ध मामलों का फोलोअप जिला अस्पताल अम्बाला, पंचकूला, हिसार, झज्जर, कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर में आरम्भ किया जा चुका है। हमारा यह भी प्रस्ताव है कि इस सुविधा का सभी जिला अस्पतालों में चरणबद्ध रूप से विस्तार किया जाए।

जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ बिनाईन (benign) तथा आरम्भिक स्तर के कैंसर संभालते हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों की सर्जरी सर्जिकल पैकेज कार्यक्रम के अंतर्गत निशुल्क की जा रही है। स्तन सर्जरी तथा हिस्टोरेक्टमी नियमित रूप से जिला अस्पतालों में की जाती है। निदान, सर्जरी तथा कैमोथैरेपी की सुविधाएं कैंसर केयर यूनिट, गुडगांव में उपलब्ध हैं। सामान्य अस्पताल गुड़गांव में प्रति वर्ष लगभग 50 कैंसर सर्जरी की जा रही हैं। ऑकोलोजिस्ट तथा प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध होने पर कुछ अन्य जिला अस्पतालों में सर्जिकल तथा चिकित्सीय ऑकोलोजी की सुविधा आरम्भ की जा सकती है।

भारत सरकार द्वारा कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा अपघात की रोकथाम एवं नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 2010 में आरम्भ किया गया है जो विभिन्न आयामों से समस्या पर दृष्टि रखे हुए हैं। इस कार्यक्रम को हरियाणा के मेवात, अम्बाला, कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर जिलों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को हरियाणा के पांच अन्य जिलों में विस्तार करने का प्रस्ताव है यह अनुमान है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा।

सरकार महंगे उपचार के प्रति भी सचेत है तथा इस बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब कैंसर रोगियों का एक लाख रुपए तक/प्रति रोगी/प्रति वर्ष कैमोथैरेपी उपचार निशुल्क किया जा रहा है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, मेवात, गुड़गांव, पंचकूला तथा अन्य जिला अस्पतालों में गरीब रोगियों को डे केयर कैमोथैरेपी प्रदान की जा रही है विभिन्न जिला अस्पतालों में वर्ष 2011 में 160 रोगियों तथा वर्ष 2012 में 153 रोगियों को कैमोथैरेपी दी जा चुकी है सिविल सर्जनों को स्थानीय रूप से कैमोथैरेपी दवाएं खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है ताकि कैंसर रोगियों का उपचार आरम्भ करने में विलम्ब न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 35 लाख रुपए की धनराशि पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक को ट्रांस्फर की जा चुकी है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-13 के दौरान कैंसर रोगियों पर 42,37,464 रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

दिनांक 26 जनवरी, 2010 को आरम्भ की गई इन्दिरा बाल स्वास्थ्य योजना के

[राव नरेन्द्र सिंह]

अंतर्गत हरियाणा में सरकारी स्कूलों, सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा आंगनवाड़ियों में सभी बच्चों की बीमारियों, अशक्तता तथा किसी प्रकार की कमी के लिए जांच की जा रही है। अब वर्ष 2012-13 से सभी बच्चों को तृतीय स्तर तक की उपचार की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। अब तक बच्चों के कैंसर उपचार पर 13.7 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं।

सर्वाधिक सामान्य प्रकार के कैंसर (सिर एवम् ग्रीवा, स्तन तथा बच्चेदानी) के आरम्भिक निदान के लिए लक्षणों की पहचान हेतु 538 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सर्वाधिक सामान्य कैंसरों के निदान के लिए 6 प्रशिक्षकों, 36 चिकित्सा अधिकारियों तथा 8 महिला चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था। 30 वर्ष से अधिक की आयु वाली जनसंख्या में सर्वाधिक सामान्य कैंसरों के संदिग्ध मामलों की पहचान के लिए प्रश्नावली आधारित जांच तथा अवसरवादी जांच चार जिला अस्पतालों में आरम्भ की जा चुकी है।

विभाग द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियां आरम्भ की गई हैं जिसके अंतर्गत जीवन शैली में परिवर्तन, दैनिक व्यायाम के लाभ, संतुलित आहार, खाने की आदतें तथा कैंसर के सामान्य लक्षणों से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आई.ई.सी.) सामग्री जन जागरुकता के लिए वितरित की गई हैं।

प्रत्येक वर्ष कैंसर जागृति पखवाड़ा (1 से 15 नवम्बर तक) आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य निरीक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं तथा प्रचार सामग्री वितरित की जाती है।

तम्बाकू से होने वाले कैंसर के बारे में दृश्य मीडिया द्वारा जागृति पैदा की जा रही है। राज्य में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित हैं। तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर तम्बाकू के घातक प्रभावों के बारे में चेतावनी अनिवार्य है।

सरकार द्वारा सभी कैंसर रोगियों को हरियाणा परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देना प्रस्तावित है और हम इसी वर्ष से यह सेवा प्रदान कर देंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा मूलभूत संरचना के संबंध में उठाए गए मुद्दे के उत्तर में, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने मूलभूत स्वास्थ्य संरचना को सशक्त करने का निरन्तर प्रयास किया है। अब भवनों के निर्माण पर लगभग 70-80 करोड़ रुपये की राशि प्रतिवर्ष खर्च की जा रही है। उप स्वास्थ्य केन्द्र जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार 5000 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है न कि प्रत्येक गांव में। राज्य में वर्ष 2005 में 2433 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की तुलना में सरकार ने 197 नये सब सैंटर बनाये हैं, इस प्रकार वर्तमान समय में 2630 उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इसी प्रकार मानदण्डों के अनुसार 30000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है न कि प्रत्येक गांव में सरकार हर गांव में यह सेवा उपलब्ध नही करवा सकती। इस समय राज्य में 466 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जबकि वर्ष 2005 में 294 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे। सरकार मूलभूत स्वास्थ्य संरचना में सुधार लाने तथा अन्तर को चरणबद्ध रूप से भरने के लिए कृत संकल्प

है। नए उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय आवश्यकताओं, पंचायत भूमि की उपलब्धता तथा धन की उपलब्धता के दृष्टिगत खोले जा रहे हैं। इस समय 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 79 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 286 उप-स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2012-13 में 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 2 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रशासकीय अनुमोदना प्रदान की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2008 में, एक नई मानक डिज़ाईन को अन्तिम रूप दिया गया था जिसमें चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ के लिए आवासों का प्रावधान किया गया है। महिला चिकित्सकों के मुद्दे के संबंध में यह बताया जाता है कि देश में चिकित्सकों तथा महिला चिकित्सकों की सामान्य रूप से कमी है। नये चिकित्सकों तथा महिला चिकित्सकों की भर्ती के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। अभी हमने डाक्टर्ज की भर्ती के लिए एडवर्टाइजमैंट की हुई है और हमें उम्मीद है कि मार्च-अप्रैल में इन भर्तियों के लिए इन्टरव्यू लेने शुरू कर देंगे।

अन्त में, मैं दोहराना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग ने कैंसर के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कदम उठाए हैं तथा जनता में जागरूकता उत्पन्न करने तथा तकनीकी मानवशक्ति की उपलब्धता की शर्त पर जिला अस्पतालों में उपचार अपग्रेड करने तथा प्रयोगशालाओं तथा इलाज सुविधाएं प्रदान करने, रिजनल कैंसर सैंटर, रोहतक को सुदृढ़ करने तथा झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित करने में सहयोग देने के लिए आगे कदम उठाने का प्रस्ताव करता है।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे साथी माननीय मंत्री जी ने बहुत सी हैल्थ सर्विसिज के बारे में अपने रिप्लाई में बताया है। सर, हमारे हल्के के नजदीक पंजाब की मालवा बैल्ट में भारत सरकार ने सर्वे करवाया है और पाया गया है कि इस मालवा बैल्ट में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। वहां पर बठिण्डा से बीकानेर जो रेल जाती हैं वह कैंसर पीड़ित मरीजों से भरी हुई जाती है। इसी प्रकार से हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अम्बाला जिलों में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। जिस प्रकार से इन जिलों में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं इसका कारण इस इलाके में ज्यादा इन्सैक्टिसाईड और पैस्टीसाईड दवाइयों का प्रयोग करना बताया है। इसके अलावा जो घग्गर में कैमिकल डाला जाता है वह कारण भी बताया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार भारत सरकार ने पंजाब के मालवा इलाके में सर्वे करवाया है उसी प्रकार से मंत्री जी इन जिलों में इस प्रकार का सर्वे करवायेंगे और इन जिलों के हॉस्पिटल्ज में भी कैंसर विंग खोलकर इन मरीजों का इलाज शुरू करेंगे? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पंजाब में किसी भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति को मुख्यमंत्री कैंसर कोष से डेढ़ लाख रुपये दिए जाते हैं क्या हरियाणा सरकार भी मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष की स्थापना करेगी?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि जिस प्रकार मालवा बैल्ट में भारत सरकार ने सर्वे करवाया है इसी प्रकार हरियाणा में भी सर्वे करवायेंगे? जैसा कि मैंने अपने रिप्लाई में बताया है कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाईज कार्यक्रम शुरू किये हैं और उसमें सभी जिलों को शामिल किया जायेगा। हम इन जिलों का सर्वे

[राव नरेन्द्र सिंह]

भी करवायेंगे और जहां तक संभव होगा सरकार हर संभव मदद करेगी। क्योंकि सभी जिलों में कैंसर के स्पेशलिस्ट्स उपलब्ध नहीं हैं। वैसे ऐसे मरीजों को सहायता देने के लिए हमारे यहां मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें जो भी प्रार्थी आता है चाहे वह हरियाणा के किसी भी जिले से संबंध रखता हो, किसी जाति से संबंध रखता हो माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से उसकी मदद जरूर की जाती है। फिर भी इनके जो सुझाव हैं, उन पर हम गौर जरूर करेंगे।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री रामपाल माजरा जी ने जो मामला उठाया है यह स्टेट का एक महत्वपूर्ण इश्यू है इसलिए मैं भी इसके बारे में सरकार के नोटिस में दो-तीन बातें लाना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। कैंसर का जहां तक सवाल है इसके बारे में रामपाल माजरा जी ने बताया कि इसके बहुत कारण हैं। एक बार कैंसर की बीमारी के कारणों के बारे में स्टडी आई थी उसके बाद गवर्नमैंट ने प्रयास भी किया और जो asbestos पाइप थे उनको बदलकर जी. आई. पाइप ले आए हैं। ड्रिंकिंग वाटर के जो पुराने पाइप पड़े हैं वे 20-20 या 30-30 साल पहले के हैं। एट वन टाइम स्टेज में आकर उन पाइप के सारे के सारे धागे बिखर जाते हैं और वे पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम कहीं भी देख लें, शहर में कैंसर की बीमारी के मरीजों के आंकड़ें कम मिलेंगे क्योंकि वहां पर जी.आई. पाइप शुरू से यूज हो रहे हैं जबकि गांवों में ए.सी. पाइप यूज हो रहे हैं इसलिए गांवों में इस बीमारी के मरीजों की संख्या ज्यादा है। यह कैंसर की बीमारी अलग तरह की है जो गांवों में ज्यादा फैल रही है। हम गांव में कैंसर के पीड़ित किसी आदमी के घर जाते हैं तो लोग 10 नाम और गिनवा देते हैं कि फलां फलां आदमी को कैंसर हो गया। दूसरा मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसे रामपाल माजरा जी ने कहा कि आप बी.पी.एल. की मदद के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कैंसर महंगा इलाज है। इस बीमारी में तो लोग आखिर में कहते हैं कि इससे अच्छा तो हार्ट अटैक हो जाए जिसका मौके पर ही फैसला हो जाता है। कैंसर का इलाज नहीं है ऐसी लोगों में धारणा बन गई है और यह धारणा इसलिए बन गई है क्योंकि इस बीमारी का लेट पता लगता है। इस बीमारी में मरीज भी मर जाता है, घर का मैम्बर भी जाता है और पूरा घर कर्जवान बन जाता है। मैं तो यह कहता हूं कि कारपोरेट सैक्टर्ज या दूसरे सैक्टर्ज जो हैं उन सबका आपको इसमें योगदान लेकर कैंसर पीड़ित कोई फण्ड बनाना चाहिए जिसमें आम आदमी को शामिल किया जाए। इसमें अकेले बी.पी.एल. को नहीं बल्कि कैंसर पीड़ित को भी शामिल किया जाए ताकि उसको राहत मिल सके वरना कैंसर पीड़ित आदमी टूट जाता है। इस बीमारी में एक आदमी की मौत के साथ-साथ परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होता है इसलिए मेरा निवेदन के साथ-साथ सुझाव है कि आप जरूर ऐसा कुछ करें, क्योंकि कारपोरेट सैक्टर की भी कुछ अकाउंटेबिलिटी है, सोशल भी उनकी जिम्मेवारी है। जब भी कारपोरेट सैक्टर से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो तो उनका जवाब आता है ब्लड बैंक लगा दिया, बच्चों को वजीफा बांट दिया, बच्चों को जर्सियां बांट दी। अध्यक्ष महोदय, ये कोई काम है? ये कारपोरेट सैक्टर या सोशल वैल्फेयर की बात नहीं है they should do something concerete. इसलिए हम उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उनको इन्वॉल्व

करेंगे, मुख्यमंत्री जी, उनको इन्वॉल्व करेंगे, पूरी कैबिनेट उनको इन्वॉल्व करेगी तो इसमें कोई शक नहीं कि लोग भी सोसायटी की और गवर्नमैंट की मदद करने के लिए तैयार होंगे but Government should take initiative.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें इसमें कही गई हैं कि हमने सी. एच.सीज. बना दी, पी.एच.सीज. बना दी और सब सैंटर्ज बना दिए। हैल्थ सर्विस के बारे में आज के अखबार में है कि हैल्थ सेवाओं का दिवालिया। इसमें लिखा है कि सिरसा जिले के नेजिया खेड़ा गांव में डिलीवरी हट में न बिजली, न पानी, न बैड और मोबाइल फोन की लाइट में प्रसव करवाना पड़ा। यह आज के दैनिक जागरण में लिखा हुआ है रणदीप सिंह जी, परसों चौथ के अखबार में यह है कि कैथल के सुपर स्पैशिलिटीज होस्पिटल में चूहों की संख्या ज्यादा और डॉक्टर्ज की संख्या कम। विभाग द्वारा 250 सब सैंटर्ज का सर्वे करवाया गया तो 32 परसैंट ए.एन.एम. और आशा वर्कर्स के पास एच. बी. मीटर नहीं और 36 परसैंट ये नहीं जानती कि उनका प्रयोग कैसे किया जाए और 15 परसैंट प्रैगनैंसी रिस्की हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास आज है चाहे वह मैनपावर हो, चाहे वे मशीनें हों, क्या उन्हें फंक्शनल करने के लिए और ज्यादा कदम उठाएंगें या उनको रिफ्रैश करवाएंगे।

Mr. Speaker : Rao Narender Ji, more suggestions are coming so you may reply later. Note down their suggestions.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, हैल्थ डिपार्टमैंट को सारी स्टेट में हैल्थ सर्विसिज को सुधारना होगा और मेरा सुझाव है कि इसका कम्पलीट री इवैल्यूएशन करवाएं। पी.एच.सीज और सी.एच.सीज. या गांवों के होस्पिटल्ज में डाक्टर्ज की बात आती है तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर भी सी.एच.सीज. या पी.एच.सीज. हैं वहां सारी की सारी फैसिलिटीज दी जाएं। दांगी साहब कह रहे थे कि डाक्टर्ज नहीं हैं, एक्सरे मशीनें नहीं हैं, मॉडर्न इक्विपमैंट्स नहीं हैं या मिनी ऑपरेशन थियेटर्स नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गांव का आदमी छोटी सी बीमारी के लिए अस्पतालों में नहीं जाता है। छोटी बीमारी के लिए तो गांव का आदमी आर.एम.पी. या दूसरे झोला छाप डॉक्टर्ज के पास जाता है। जब कोई सीरियस बीमारी होती है तभी गांव का आदमी अस्पताल में जाता है। इसलिए दस कि.मी. के दायरे में एक अच्छी पी.एच.सी. या सी.एच.सी. जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों तो गांव के लोगों का भी अच्छी तरह से इलाज हो सकता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. को फुल्ली इक्वीप्ड करें। इनमें एक्सरे, डैंटल विंग, मिनी ऑपरेशन थियेटर और सीनियर मैडीकल ऑफिसर डिप्यूट करने आदि की मॉडर्न सुविधाएं होनी चाहिएं, ताकि गांव के लोगों को भी बेहतर मैडीकल सुविधाएं मिल सकें। इसमें आखिर तक या गांव तक भागने की आवश्यकता नहीं है। गांवों में कोई डॉक्टर जाता नहीं है। दो हजार की आबादी के गांव में डैंटल चेयर नहीं है, चेयर जाती है तो डॉक्टर नहीं होता और यदि डॉक्टर भी जाता है तो वहां मरीज नहीं होते। दिन में डॉक्टर के पास छोटे गांव में चार मरीज भी नहीं आते। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो हमारी पी.एच.सी. या सी.एच.सी. हैं उनमें एक पूरा डैंटल विंग खोलें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी बड़ी बीमारी का ट्रीटमैंट कराने के लिए 10 कि.मी. जाने में दिक्कत नहीं

[श्री भारत भूषण बतरा]

समझता। इसलिए मेरी हैल्थ मिनिस्टर से प्रार्थना है कि हमारी पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. को फुल्ली इक्वीप्ड करें बजाय इसके कि गांव-गांव में डिस्पैंसरी खोली जायें।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी को मालूम है कि कैंसर बहुत ही डैडिड बीमारी है। यदि किसी को पता चलता है कि परिवार में किसी के कैंसर है तो पूरा परिवार ही हिल जाता है। पिछले दिनों किसी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी और मैं वहां अफसोस करने गई थी। उस परिवार ने मुझे बताया कि मरीज को इन्जैक्शन लगवाने के लिए वे लोग राजीव गांधी हास्पिटल दिल्ली में गये। बहुत तरह के कैंसर होते हैं और इसके इंजैक्शन बहुत महंगे आते हैं। उस मरीज के लिए जो 40 हजार का इंजैक्शन था वह उनको ब्लैक में 80 हजार रुपये में मिलता था। क्या हमारे मंत्री जी बतायेंगे कि हम इस प्रकार की भयानक बीमारी की दवाइयां हरियाणा के लोगों को कंट्रोल्ड रेट पर आसानी से उपलब्ध करवायेंगे ताकि लोगों को ब्लैक में न खरीदनी पड़े। अध्यक्ष महोदय, दूसरा हम सभी साथी डॉक्टर्ज की समस्या को उठाते हैं कि पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. में डॉक्टर नहीं हैं। सरकार की पूरी मंशा है कि डॉक्टर्ज लगें और इस बारे में पूरी कोशिश भी रहती है। मंत्री जी ने 3-4 दिन पहले बताया था कि जो डॉक्टर्ज अप्वायंट किए थे उनमें से 50 डॉक्टर्ज ने ज्वायन ही नहीं किया। क्या इस बात पर सरकार ने विचार किया कि ये डॉक्टर्ज ज्वॉयन क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह से जे.बी.टी. की भर्ती जिलावाईज करते हैं क्या उसी तरह से जिन जिलों में डाक्टर्ज की कमी है उन्हीं के लिए उसी जिले के डाक्टर्ज की भर्ती नहीं कर सकते ताकि वे डॉक्टर शहरों को छोड़कर गांवों में भी जाने को तैयार रहें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, अपने जवाब में भी मंत्री जी ने लिखा है कि डॉक्टर्ज की बहुत कमी है। हमारी बहन सुमिता सिंह ने भी इस बारे में जिक्र किया है और मंत्री जी का कई बार जवाब आया है कि डॉक्टर्ज की कमी है मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं कि हरियाणा में डॉक्टर्ज सर्विस नहीं करना चाहते? क्या हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं कम हैं। क्या हरियाणा सरकार को यह विचार नहीं करना चाहिए कि आज स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान देने के लिए इन डॉक्टर्ज को अतिरिक्त सुविधा देकर किसी न किसी प्रकार से सरकारी नौकरी में लाया जाये?

सरदार जरनैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि घग्गर के एरियाज में कैंसर बढ़ा हुआ है। घग्गर के गंदे पानी और कैमिकल्ज की वजह से कैंसर के साथ-साथ हैपेटाइटिस-सी की भी बीमारी घग्गर के एरियाज में काफी बढ़ती जा रही है। मेरे रतिया हल्के के अंदर करीबन 2500-3000 मरीज कैंसर के हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चुनाव के दौरान यह वायदा किया गया था कि इनका इलाज फ्री किया जायेगा। इसका पूरा सर्वे भी हो चुका है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अस्पताल में उनका फ्री इलाज कब तक शुरू किया जायेगा?

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, यहां पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा बहुत से वैल्युएबल

सुझाव दिये गये हैं। सरकार द्वारा उन सभी सुझावों को नोट कर लिया गया है। मैं समझता हूं कि इस बारे में जो भी प्रॉयरिटी पर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्ज़ में अपने हैल्थ सैंटर्ज़ में यथासम्भव ज्यादा से ज्यादा हम सुधार करेंगे। यहां पर श्री परमिन्द्र सिंह ढुल और श्रीमती सुमिता जी ने डॉक्टर्ज की कमी का जिक्र किया है। सर, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने पहली बार इतने बड़े लैवल पर डॉक्टरों की भर्ती के लिए प्रयास किया है और डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे से बाहर निकाला गया है और High Power Selection Committee बनाकर उसको डॉक्टरों की सिलैक्शन के लिए अधिकृत किया गया है। यह इसीलिए किया गया है ताकि डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसका ही यह नतीजा है कि पिछले लगभग चार वर्षों में High Power Selection Committee द्वारा 2307 डॉक्टर भर्ती किये गये। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यह अपने आप में एक रिकार्ड की बात है। इस समय जो 434 डॉक्टरों की पोस्टें वैकेंट हैं उनके लिए हमने ऐडवरटाईजमैंट की हुई हैं। हमें उम्मीद है कि मार्च, 2013 के अंतिम सप्ताह या अप्रैल, 2013 के पहले सप्ताह में हम इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू शुरू कर देंगे। सर, इस बारे में विचार करने योग्य यह बात है कि पिछली भर्ती प्रक्रिया में जिन डॉक्टरों का सिलैक्शन हो गया था उनमें से 50 परसैंट लोगों ने अपनी ड्यूटी ज्वाईन की और इनमें से भी कुछ डॉक्टर ज्वाईन करके नौकरी छोड़कर चले गये और कुछ ने ज्वाईन ही नहीं किया। जिन लोगों ने ज्वाईन नहीं किया, हो सकता है उनका मकसद यह हो कि उन्होंने कहीं और अपनी क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए यह किया हो कि अगर वे कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जायें तो यह बता सकें कि उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से भी नियुक्ति पत्र मिला हुआ है। सर, जो एम.बी.बी.एस. होते हैं यह तो उन्हीं पर डिपैंड करता है कि वह सरकारी नौकरी करें या फिर प्राईवेट प्रैक्टिस करें। जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से जहां से उसे ज्यादा फायदा मिलेगा और ज्यादा अच्छी सुविधायें मिलेंगी, वह उसे ही चुनेगा। जहां तक डॉक्टरों की तनख्वाह और फैसिलिटीज की बात है, वह हरियाणा सरकार द्वारा दूसरे राज्यों के कम्पेरिजन में कम नहीं दी जा रही है। इस बारे में हमारा पूरा प्रयास है कि हम डॉक्टर्ज को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दें। जैसाकि मैंने अभी अपने जवाब में बताया कि हम अपने डॉक्टर्ज को रैजीडैंस की सुविधा भी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अच्छी सेवा के लिए हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टरों की पोस्टिंग उनकी इच्छानुसार दी जाये। सरकार की ऐसी कोई इंटैंशन नहीं है कि उनको जबरदस्ती कहीं भी भेजा जाये। सर, हेपेटाईटिस के बारे में माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह जी ने जिक्र किया। इस बारे में मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि इस विषय पर एक कालिंग अटेंशन मोशन भी हाउस में आज के लिए लगा हुआ है। इसलिए उस समय हम इस बारे में विस्तार से अपना रिप्लाई देंगे। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने इसका स्पैशल सर्वे करवा लिया है इस बारे में हम उनको विस्तृत रिपोर्ट दे देंगे। इसके अलावा और भी जो वैल्युएबल सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आये हैं, हमने उनको नोट कर लिया है। सरकार की तरफ से हमारा यह प्रयास रहेगा उन सुझावों को हम जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट करें और पूरे प्रदेश के लोगों को अच्छी और बेहतर सुविधायें प्रदान कर सकें।

(ii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have also received a Calling Attention Notice No. 20 from Shri Ram Pal Majra, MLA and Col. Raghbir Singh, MLA regarding rapidly spreading of Hepatitis in Haryana. I have admitted it. Being the first signatory, Shri Ram Pal Majra may read his notice.

@श्री रामपाल माजरा एम.एल.ए., कर्नल रघुवीर सिंह, एम.एल.ए. : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में हेपेटाइटस की बीमारी दिनों-दिन तेजी से फैल रही है। सरकार द्वारा आम आदमी के लिए उचित चिकित्सा प्रबंध में लापरवाही बरती जा रही है। उक्त बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं। हरियाणा में अब तक भारी संख्या में मौतें हो चुकी हैं। हेपेटाइटस से पीड़ित प्रदेशवासियों के प्रति सरकार के ऐसे बेरूखे व्यवहार की वजह से मरीज व उनके परिवार परेशान हैं। न तो प्रदेश सरकार हेपेटाइटस की बीमारी को गंभीरता से ले रही है और न ही स्वास्थ्य विभाग इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सरकार के इस ढुलमुल रवैये के कारण हेपेटाइटस के मामलों में हर रोज वृद्धि हो रही है। हरियाणा के 23 प्रतिशत गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं और 17.7 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। 58 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रहने के लिए भवन नहीं है, 70 प्रतिशत में कोई महिला चिकित्सक नहीं है और 37 प्रतिशत में मरीजों के लिए बिस्तरों का प्रबंध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की प्रचार की कमी के कारण लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में न तो हेपेटाइटस पीड़ितों के लिए कोई विशेष व्यवस्था है और न ही इन मरीजों के लिए दवाओं का उचित प्रबंध है।

मैं सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निवेदन करता हूं।

वक्तव्य

Mr. Speaker : Now, Health Minister will give reply.

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : मैं विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा राज्य में जन महत्व के विषय हेपेटाइटस के बारे में व्यक्त की गई चिन्ता की प्रशंसा करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग इस स्थिति की कड़ी और निरंतर निगरानी कर रहा है ताकि राज्य के किसी भी भाग में हेपेटाइटस के मामलों की संख्या की अचानक वृद्धि और इसके प्रसार को रोका जा सके।

हेपेटाइटस यकृत की सूजन है, जो वायरल संक्रमण के कारण होता है। हेपेटाइटस वायरस पांच प्रकार का होता है--ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटस ए और ई दूषित खाना खाने और दूषित पानी पीने से होता है। हेपेटाइटस बी, सी और डी

@ Read by Sh. Rampal Majra

शरीर के संक्रमित तरल पदार्थों के साथ संपर्क में आने से, दूषित रक्त या रक्त उत्पादों की प्राप्ति से, दूषित सूई और सीरिंज के उपयोग से होता है। विश्वभर में हैपेटाइटस के 14 लाख मामले हर साल रिपोर्ट होते हैं।

अतिपाति हेपेटाइटस में बहुत ही सीमित या कोई भी लक्षण नहीं हो सकता अथवा इसमें पीलिया (त्वचा व आंखों का पीला होना) गहरा पीला मूत्र आना, अत्यधिक थकान, उबकाई, उल्टी व पेट में दर्द हो सकता है।

एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (IDSP) के तहत हैपेटाईटस ए तथा ई के वर्ष 2010, 2011 और 2012 में क्रमशः 1476, 1201 और 221 मामले दर्ज हुए। 2012 में हैपेटाईटस ई के 3 प्रकोप दर्ज हुये, 2 जिला सोनीपत में 22 मामलों के साथ और 1 यमुनानगर में 5 मामलों के साथ। इसी वर्ष एक प्रकोप हैपेटाईटस बी का जिला फतेहाबाद से 10 पोजिटिव मामलों के साथ और एक प्रकोप जिला कुरुक्षेत्र से हैपेटाईटस सी के तीन पोजिटिव मामलों के साथ दर्ज हुआ। इनमें से किसी भी प्रकोप में कोई मौत दर्ज नहीं हुई। वर्ष 2009-10 में हरियाणा के ब्लड बैंकों में हैपेटाईटस बी एवं सी का प्रचलन क्रमशः 1.1 एवं 0.8 है तथा यह वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में वही है तथा यह 2012-13 (जनवरी 2013 तक) में 1.0 एवं 0.9 है। आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि समाज में हैपेटाईटस का प्रचलन पिछले तीन वर्षों में बढ़ा नहीं है।

यह विभाग भी संकट सूचना के आधार पर, अग्रसक्रिय तथा शीघ्र प्रक्रिया कर रहा है, जिला स्तर पर पर्चों के वितरण, समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा केवल टी.वी. नैटवर्क के माध्यम से आई.ई.सी. गतिविधियां कर रहा है। जनता में हैपेटाईटस की जागरुकता के संदेश को प्रचारित करने के लिये मासिक बैठकों में मैडिकल एवं पैरामैडिकल स्टाफ को संवेदनशील एवं स्वास्थ्य वार्ता दी जाती हैं हरियाणा के सभी ब्लड बैंक हैपेटाईटस बी तथा सी की जांच कर रहे हैं। लोगों को आधान संचरित संक्रमणों के बारे में जागरूक करने के लिये एच.एस.बी.टी.सी. (हरियाणा स्टेट ब्लड ट्रांसफयूजन कांउसिल) नियमित आई.ई.सी. गतिविधियां कर रहा है। साक्षर महिला समूह द्वारा 6000 गांवों में रक्त की जांच के महत्व पर संदेश देने के लिये एक पखवाड़ा समर्पित किया गया है। पिछले तीन वर्षों में 2475 प्रेरकों/आयोजकों को रक्त सुरक्षा में प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक वर्ष डाक्टरों, प्रयोगशाला तकनीशियनों तथा स्टाफ नर्सों को रक्त सुरक्षा के मानकों के रखरखाव में प्रशिक्षित किया जाता है।

हैपेटाइटस एवं अन्य जल जनित रोगों के प्रकोप की रोकथाम के लिये, मानव उपभोग के लिये पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिये ओर्थोटोलिडीन परीक्षण और जीवाणु परीक्षण के लिये नियमित रूप से पानी के नमूने एकत्रित किये जाते हैं। यदि पानी के नमूने इस परीक्षण में असफल हो जाते हैं तो उस जिले के जिला प्रशासन, जनस्वास्थ्य विभाग तथा संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया जाता है ताकि तुरंत अपेक्षित कार्यवाही की जा सके। स्वास्थ्य विभाग उस क्षेत्र में आई.ई.सी. गतिविधियां तथा पानी की क्लोरीनेशन के लिये क्लोरीन की गोलियों का

[राव नरेन्द्र सिंह]

वितरण शुरू करता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में ओर्थोटोलिडीन परीक्षण और जीवाणु परीक्षण के लिये क्रमशः 299166 एवं 30335 नमूने एकत्रित किये गये। यूनिवर्सल इमयूनाईजेशन प्रोग्राम (यू.आई.पी.) के तहत हैपेटाईटस बी की रोकथाम के लिये हैपेटाईटस बी वैकसीन के द्वारा प्रतिरक्षित किया जाता है। हरियाणा राज्य, समाज में हैपेटाईटस बी की रोकथाम के लिये प्रतिरक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में पैटावेलैंट वैक्सीन प्रक्षेपित करने वाले प्रथम राज्यों में से एक है।

यह आरोप लगाना गलत है कि स्वास्थ्य विभाग लापरवाह है तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किये जा रहे तथा यह कहना गलत है कि हरियाणा में हैपेटाईटस से बड़ी संख्या में मौतें हुई। स्वास्थ्य विभाग जागृत तथा अग्रसक्रिय होकर हैपेटाईटस के किसी भी प्रकोप का पता लगाने के लिये सभी प्रयास कर रहा है ताकि जल्द से जल्द अपेक्षित कार्यवाही की जा सके। प्रत्येक जिला अस्पताल में हैपेटाईटस रोगियों के लक्षण उपचार के लिये सुविधा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

माननीय सदस्यों द्वारा मूलभूत संरचना के संबंध में उठाए गए मुद्दे के उत्तर में कहना चाहूंगा कि सरकार ने मूलभूत स्वास्थ्य संरचना को सशक्त करने का निरन्तर प्रयास किया है। भवनों के निर्माण पर प्रतिवर्ष अब लगभग 70-80 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाती है। उप स्वास्थ्य केन्द्र जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार 5000 जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है इसलिए प्रत्येक गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। वर्ष 2005 की तुलना में इस समय राज्य में 2630 उप-स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं, जबकि 2005 में 2433 उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत थे। इसी प्रकार मानदण्डों के अनुसार 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है तथा प्रत्येक गांव में नहीं है। इस समय राज्य मे 466 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं जबकि वर्ष 2005 में 294 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत थे। सरकार मूलभूत स्वास्थ्य संरचना में सुधार लाने तथा अन्तराल को चरणबद्ध रूप से भरने के लिए कृत संकल्प है। नए उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय जरूरतों, पंचायत भूमि की उपलब्धता तथा धन की उपलब्धता के मद्देनजर खोले जाते हैं। इस समय 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 79 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 286 उप-स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं। 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 2 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रशासकीय अनुमोदना वर्ष 2012-13 में प्रदान की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोलने के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2008 में एक नई मानक ड्राईंग को अन्तिम रूप दिया गया जिसमें चिकित्सकों तथा अन्य अमले के लिए आवासों का प्रावधान किया गया है। महिला चिकित्सकों की कमी के मुद्दे के संबंध में कथन है कि सामान्य रूप से देश में महिला चिकित्सकों सहित चिकित्सकों की कमी है। नये चिकित्सकों तथा महिला चिकित्सकों की नियमित भर्ती के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से सतर्क है तथा

विभाग महामारी विज्ञान अनुसंधान द्वारा कड़ी निगरानी तथा आम जनता में जागृति द्वारा हैपेटाईटस की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिये कड़े कदम उठा रहा है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैने जब कालिंग अटैंशन मोशन दिया और वह एडमिटेड हो गया तो मेरे हल्के के राजौंद सी.एच.सी. के अन्तर्गत गांव रोड़ड़ा में 8.3.2013 को 120 मरीजों का सैम्पल टैस्ट हुआ जिसमें से 53 को हैपेटाईटिस पौजिटिव पाया गया। उसी गांव में 150-200 हैपेटाईटिस के मरीज पहले से ही हैं। चाहे वे डिस्पैंसरीज में इलाज करवा रहे हैं या देशी हकीमों से इलाज करवा रहे हैं। मैं तीन मरीजों नामतः रणबीर पुत्र श्री नर्सी, महेन्द्र पुत्र श्री शांति तथा ईश्वर पुत्र श्री गोपाला से मिला। अध्यक्ष महोदय, हैपेटाईटिस बी. और सी. प्रायः हरियाणा में होने लग गया है। मैंने उनसे कहा कि आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाते तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हैपेटाईटिस पॉजिटिव मिलने के बाद क्या सरकार टैस्टों के और इलाज के लिए दवाइयों का मुफ्त में प्रबन्ध करने का प्रावधान करेगी?

राव नरेन्द्र सिंह : सर, हैपिटाईटिस के इलाज के बारे में जैसे हमारे माननीय सदस्य पूछ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है, कि यह बहुत महंगा इलाज है। जो नमूने एकत्र किए गए और उन्हें पोजीटिव पाया गया, उसके बाद से इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और फर्स्टप्रियोरिटी में हम लोग ये भी चाहेंगे जो पुअर पेशेंट हैं या जो बी.पी.एल. की श्रेणी में आते हैं, पहले उनको शामिल किया जाए या फिर इसके ऊपर हम सब्सीडाइज्ड रेट्स के ऊपर कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे। इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और इसके परिणाम बहुत जल्दी ही सामने आएंगे।

कर्नल रघुबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, हालांकि मेरे साथी भारत भूषण बतरा जी ने भी यही सवाल किया था। मैं भी वही सवाल पूछने जा रहा हूं। मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि प्रत्येक जिले के अस्पताल में हैपेटाइटिस रोगियों के लक्षण व उपचार के लिए सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हर सी.एच.सी. और पी. एच.सी. में हैपेटाइटिस के चैकअप की और उनको मैडीसिन दिलवाने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे?

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, हैपेटाइटिस कई प्रकार का होता है जैसे पीलिये का प्रकोप, आंखों में पीलापन या कमजोरी आना। इसके लिए आयरन की टैबलेट दी जाती है। हल्का बुखार हो जाए तो उसकी टेबलेट वगैरह के लिए या उसके चैकअप के लिए जो हमारी लोकल लैब्स वगैरह हैं वे सब व्यवस्थित हैं। लेकिन फिर भी सर, इसका जो इलाज है मैं समझता हूं कि इसके इलाज के लिए ट्रशरी लेवल के जो मैडिकल कॉलेज सरकार खोलने जा रही है मैं समझता हूं कि उनमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी।

कर्नल रघुबीर सिंह : सर, क्या सी.एच.सी. में ये सुविधा प्राप्त करवाएंगे क्योंकि हर बीमारी का पीड़ित जो व्यक्ति है वह पी.जी.आई. रोहतक या दूसरे संस्थानों में जा नहीं सकता। क्या हर एक सी.एच.सी. और पी.एच.सी. में सरकार ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी?

श्री रामपाल माजरा : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कह रहा था कि हैपेटाइटिस बी. और सी. के केसिज ज्यादा हैं और हैपेटाइटिस ए. और ई. के केसिज कम हैं। इसलिए हैपेटाइटिस बी. के लिए प्रिवैंटिव इंजैक्शन उपलब्ध हैं। क्या ये इंजैक्शन उन मरीजों को लगवाए जाएंगे? क्या रतिया और मेरे विधान सभा क्षेत्र के रोहड़ा गांव में पाए जाने वाले पोजीटिव हैपेटाइटिस का इलाज मुफ्त में करवाने का प्रावधान करेंगे?

राव नरेन्द्र सिंह : सर, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनको हम नोट कर रहे हैं और सरकार इस विषय में जरूर हर संभव प्रयास करेगी ताकि पेशेन्ट्स को और खास तौर से गरीब लोगों के लिए सरकार अपनी तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करा सके। सर, हम इसमें निश्चित रूप से पूरी मदद करेंगे। सरकार ने इस बीमारी को बड़ी गम्भीरता से लिया है और माननीय दोनों सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं वह बहुत ही चिन्ता जनक हैं और जायज सवाल हैं।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move —

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move —

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay papers on the Table of the House.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Mines and Geology Department Notification No. S.O. 11/C.A. 67/1957/S.15/2013, dated the 23rd January, 2013 regarding amendment in Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Preventive of Illegal Mining Rules, 2012, as required under section 28(3) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

The Mines and Geology Department Notification No. S.O. 68/C.A. 67/1957/S.15 and 23C/2012, dated the 23rd October, 2012 regarding amendment in Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Preventive of Illegal Mining Rules, 2012, as required under section 28(3) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

The Town and Country Planning Department Notification No. 3984, dated the 7th March, 2012 regarding amendment in Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976 as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Town and Country Planning Department Notification No. P.F. 16 Vol. V/23482, dated the 21st November, 2012 regarding amendment in Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976 as required under section 24(3) of the

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Town and Country Planning Department Notification No. P.F. 36/29108, dated the 22nd January, 2013 regarding amendment in Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976 as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Town and Country Planning Department Notification No. P.F. 51/14514, dated the 30th September, 2011 regarding amendment in Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976 as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 2008-2009, as required under section 39(2) of Water (Prevention and Control Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana Forest Development Corporation Limited for the year 2008-2009, as required under section 619-A, (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the year 2010-2011, as required under section 19-A, (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on Social, General and Economic Sectors (Non-Public Sector Undertakings) for the year ended 31st March, 2012 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on Public Sector Undertakings (Social, General and Economic Sectors) for the year ended 31st March, 2012 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on Revenue Sector for the year ended 31st March, 2012 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on State Finances for the year ended 31st March, 2012 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Finance Accounts (Volume-I & II) for the year 2011-2012 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts for the year 2011-2012 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Haryana Financial Corporation Notification No. HFC/Admn./Gratuity/2013, dated the 4th March, 2013 regarding the Punjab Financial Corporation (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1964, as applicable to Haryana Financial Corporation Amendment Regulations, 2013, as required under section 48A of the State Financial Corporations Act, 1951.

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी की 41वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Jagbir Singh Malik, Chairperson, Committee on Subordinate Legislation will present the 41st Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2012-2013.

Chairperson, Committee on Subordinate Legislation (Shri Jagbir Singh Malik) : Sir, I beg to present the 41st Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2012-2013.

(ii) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 68वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Prof. Sampat Singh, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the 68th Report of the Committee on Public Accounts for the year 2012-2013 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years ended (i) 31st March, 2007 (Civil), (ii) 31st March, 2007 (Revenue Receipts) and (iii) 31st March, 2008 (Revenue Receipts).

Chairperson, Committee on Public Accounts (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the 68th Report of the Committee on Public Accounts for the year 2012-2013 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years ended (i) 31st March, 2007 (Civil), (ii) 31st March, 2007 (Revenue Receipts) and (iii) 31st March, 2008 (Revenue Receipts).

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Prof. Sampat Singh, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the 69th Report of the Committee on Public Accounts for the year 2012-2013 on the Reports of the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the years 2008-09, 2009-10 and 2010-11.

Chairperson, Committee on Public Accounts (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the 69th Report of the Committee on Public Accounts for the year 2012-2013 on the Reports of the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the years 2008-09, 2009-10 and 2010-11.

(iii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 59वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Anand Singh Dangi, Chairperson, Committee on Public Undertakings will present the 59th Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2012-13 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years 2008-2009 and 2009-2010 (Commercial).

चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों संबंधी समिति (श्री आनन्द सिंह दांगी) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2012-2013 के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2012-2013 (वाणिज्यिक) के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 59वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

(iv) शिडयूल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राइब्ज एवं बैकवर्ड क्लासिज के कल्याण के लिए बनी समिति की 36वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Anil Dhantori, Chairperson, Committee on the Welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backwards Classes will present the 36th Report of the Committee on the Welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backwards Classes for the year 2012-2013.

Chairperson, Committee on the Welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backwards Classes (Shri Anil Dhantori) : Sir, I beg to present the 36th Report of the Committee on the welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backwards Classes for the year 2012-2013.

(v) गवर्नमैंट एश्योरैंसिज कमेटी की 42वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Ram Pal Majra, Chairperson, Committee on Government Assurances will present the 42nd Report of the Committee on Government Assurances for the year 2012-2013.

Chairperson, Committee on Government Assurances (Shri Ram Pal Majra) : Sir, I beg to present the 42nd Report of the Committee on Government Assurances for the year 2012-2013.

(vi) ऐस्टीमेट्स कमेटी की 41वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Rao Dharam Pal, Chairperson, Committee on Estimates will present the 41st Report of the Committee on Estimates for the year 2012-2013 on the Budget Estimates for 2011-2012 Irrigation Department.

Chairperson, Committee on Estimates (Rao Dharam Pal) : Sir, I beg to present the 41st Report of the Committee on Estimates for the year 2012-2013 on the Budget Estimates for 2011-2012 Irrigation Department.

(vii) पेटीशन कमेटी की तीसरी रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Bharat Bhushan Batra, Chairperson, Committee on Petitions will present the 3rd Report of the

Committee on Petitions for the year 2012-2013.

Chairperson, Committee on Petitions (Shri Bharat Bhushan Batra) : Sir, I beg to present the 3rd Report of the Committee on Petitions for the year 2012-2013.

श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के परिवार के सदस्यों के ट्रस्टों/सोसायटियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के लिए सदन की समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Bharat Bhushan Batra, Chairperson, Committee of the House to examine the Irregularities committed by Trusts/Societies of family members of Shri Om Prakash Chautala, MLA will present the Preliminary Report of the Committee of the House to examine the Irregularities committed by Trusts/Societies of family members of Shri Om Prakash Chautala, MLA and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the last sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of the House to examine the Irregularities committed by Trusts/Scoieties of family members of Shri Om Prakash Chautala, MLA (Shri Bharat Bhushan Batra : Sir, I beg to present the Preliminary Report of the Committee of the House to examine the Irregularities committed by Trusts/Societies of family members of Shri Om Prakash Chautala, MLA.

Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the last sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the last sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the last sitting of the next Session.

The motion was carried.

विधान कार्य–

1. हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2013

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will introduce Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

सदस्यों का नाम लेना/वाक-आउट

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ऐप्रोप्रिएशन बिल पर डिस्कशन से पहले मैं चाहता हूं कि 'कैग' की रिपोर्ट पर हाउस में डिस्कशन करवायी जाए क्योंकि इसमें राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को उल्हावास, जिला गुड़गांव में जमीन देने के बारे में कहा गया है।

Mr. Speaker : No, No, Anybody who wants to speak on the Appropriation Bill please raise their hands who want to speak. (Interruptions) We are not taking note of it which he is saying. (Interruptions) Any other Member who wants to speak on Appropriation Bill ? (Interruptions)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ***** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please raise your hands so that I can know who wants to speak on Appropriation Bill.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ***** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Everybody is speaking here, how the House can be run. (Interruptions) The Public Accounts Committee will take note of it. (Interruptions) It will go to the PAC and the Committee will take note of it. You can discuss it in the Committee.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : You are a Member of the Public Accounts Committee. So, you can discuss it there.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : Nothing to be recorded except that a Member speaks on Appropriation Bill. Rest of it is not to be recorded. Only discussion on Appropriation Bill will take place. Motion for Appropriation Bill has been moved. I will not allow a single word outside that.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : Please sit down.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, he should have some respect and he should withdraw such words. He was the Hon'ble Prime Minister of this country and everybody is proud of him. How does he speak Sir? सर, इन्हें किसी ने कोई तहजीब नहीं सिखाई। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उनके बारे में अनिल विज जी कैसे बोल रहे हैं इनसे हमें उम्मीद थी कि ये तहजीब से बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, संस्कार से बोलेंगे, संस्कृति से बोलेंगे। परन्तु ये हर मर्यादा की पूरी तरह से उल्लंघना करते जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, प्लीज आप बैठ जाएं। We are discussing the Appropriation Bill. Please sit down.

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें पर अनिल विज जी शादी ब्याह के मौके पर मरगत के गीत कैसे गा सकते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, प्लीज आप बैठ जाएं। I am telling you. (Interruption) Mr. Vij, sit down please, otherwise I will name you (Interruption).You please sit down. You are sitting or not ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बैठूंगा।

Mr. Speaker : Then I will name you.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : I will not allow that. I will name you. (Interruption) I am telling you to sit down. (Interruption) You are not sitting down. (Interruption) Alright, he is named. Remove him from the House. He stopped obeying the Chair at all. Remove him from the House. रिमूव करो। (Interruption) Remove him from the House.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : Not to be recorded. Vij Ji, leave the House.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहे हैं। असत्य और तथ्यों के विपरीत बोल रहे हैं। इनकी सारी बातें मनगढ़ंत हैं। ये इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये इनका तरीका है। (शोर एवं व्यवाधान) अध्यक्ष महोदय, ये क्या तरीका है। क्या इस तरह से हाउस चलेगा? Will the House be run in this fashion ? न कोई इनका लहजा है, न इनकी कोई संस्कृति है, न सलीका है। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Rest of the Members return to your seats. (Interruptions) Do not take notice of it and just remove him from the House.

16.00 बजे

विज साहब, आपको नेम कर दिया गया है इसलिए आप सदन से बाहर चले जाइये ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से बाहर नहीं जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : मार्शल, आप श्री अनिल विज को वाच एण्ड वार्ड स्टाफ की मदद से सदन से बाहर ले जायें । Not a single word is to be recorded outside the Appropriation Bill. I will not allow. (Interruption)

(इस समय सार्जेंट एट आर्म्ज वाच एण्ड वार्ड स्टाफ की मदद से श्री अनिल विज एम.एल.ए. को सदन से बाहर ले गए ।)

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपने श्री अनिल विज को जो सदन में नेम किया है उसके विरोध में हम भी सदन से वाक आउट करते हैं ।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थिति सभी सदस्य श्री अनिल विज को नेम किए जाने के विरोध में सदन से वाक आउट कर गये ।)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, राजीव गांधी चेरीटेबल ट्रस्ट, उल्लावास, गुड़गांव की जमीन के बारे में जो कैग की रिपोर्ट में बताया गया है । मैं चाहता हूं कि आप उस विषय पर चर्चा करवायें ।

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, इस समय सदन में एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा चल रही है इसलिए आप केवल एप्रोप्रिएशन बिल पर ही चर्चा कर सकते हैं । एप्रोप्रिएशन बिल के सिवाए कोई मैम्बर कुछ भी बोल रहा है वह सदन की कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाए ।

Shri Ram Pal Majra : *****

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he cannot speak like this. He is not speaking on Appropriation Bill. (Interruption).

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, *****

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माजरा जी, एप्रोप्रिएशन बिल पर नहीं बोल रहे हैं । इन्होंने आज भी अखबारों में खबर बनानी है । ये इसके लिए तैयार होकर आये हैं । अखबारों में खबर बनाने के सिवाए इनका कोई काम नहीं है । सरकार ने कोई जमीन राजीव गांधी ट्रस्ट को नहीं बेची ये बिल्कुल गलत और मिथ्या प्रचार कर रहे हैं ।

Shri Ram Pal Majra : ******

Mr. Speaker : Not a single word is to be recorded. He is not speaking on Appropriation Bill. (Interruption). You should speak on Demands. (Interruption). You should have given cut motions. (Interruption). you sit down, please.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री रामपाल माजरा : *****

Mr. Speaker : You please sit down. I have withdran my permission. (Interruption). You please sit down. I am telling you please sit down. (Interruption).

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माजरा जी, एप्रोप्रिएशन बिल पर नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने आज भी अखबारों में खबर बनानी है।

Mr. Speaker : Majra Ji, I am telling you please sit down. (Interruption), Everybody please sit down. (Interruption). Hon'ble members, you are only allowed to speak on Appropriation Bill. Any Member who is speaking outside the purview of the Appropriation Bill whose words may not be recorded, he will not be allowed to speak at this stage.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब, बहुत अच्छा बोल रहे थे लेकिन पता नहीं विज साहब इनको क्या बोल गये कि ये अब कुछ और ही बोलने लग गये।

Shri Ram Pal Majra : ******

Mr. Speaker : Majra Ji, please sit down otherwise. I will have to name you. (Interruption).

Shri Ram Pal Majra : ******

Mr. Speaker : Majra Ji, you are disturbing the House. Please sit down. (Interruption).

Shri Ram Pal Majra : ******

Mr. Speaker : I hereby name Shri Ram Pal Majra. You please leave the House, Majra ji, (Interruption). Please remove him from the House. (Interruption).

(इस समय सार्जेन्ट एट आर्म्ज वाच एण्ड वार्ड स्टाफ की मदद से श्री रामपाल माजरा एम.एल.ए. को सदन से बाहर ले गए।)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) : अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी, सदन के आखिरी दिन भी प्रैस में खबर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाउस के बाकी बिजनेस से इन्हें कुछ लेना-देना नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा तो तीनों तरफ से ही बेचारे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Majra ji is continuing to deliver his speech. This is not fair. (Interruption).

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, ये अपनी मर्जी से खड़े नहीं होते। जब इनके साथी इनको खड़े होने के लिए कहते हैं, तब ये खड़े होते हैं। यह इनकी मजबूरी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी अच्छा बोल रहे थे, परंतु विज साहब पता नहीं पीछे से जाते-जाते इनको क्या गोली दे गए कि ये इस तरह बोलने लग गए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि ये आपकी बात को नहीं मानते, परंतु इनका साथी जो कहते हैं उनकी बात को मानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please sit down. (Interruption)

(इस समय सदन में उपस्थिति इंडियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य तथा शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र सदस्य सदन की वैल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

Mr. Speaker : I am warning you. You all may please go to your seats. अपनी अपनी सीटों पर जाइये।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, जब ये सत्ता में थे तो भारत में ऐसा ताबूत घोटाला हुआ था जिसने पूरे भारत का सिर शर्म से झुका दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I am warning you. You all may please go to your seats. आप सदन को इंटरप्ट कर रहे हैं, आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। आप अपनी सीटों पर जाइये। (विघ्न) I am requesting you last time. You may please go to your seats. (noises and interruption). Don't interrupt the House (Interruption).

(All the members of Indian National Lok Dal and a member of Shiromani Akali Dal present in the House did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continuously raising slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, you are interrupting the proceedings of the House. (noises and interruption). Please maintain the decorum of the House. I am warning you. This is the last warning. (noises and interruption). Alright, I am naming S/Shri Abhey Singh Chautala, Ashok Kashyap, Bishan Lal Saini, Bahadur Singh, Dharampal Obra, Dilbag Singh, Ganga Ram, Hari Chand Midha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammad Ilyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh Nambardar, Phool Singh kheri, Raghbir Singh, Rajbir Singh Barara, Rameshwar Dayal, Saroj Mor, Subhash Chaudhary and Charanjit Singh Rori. I have named all of you. Please leave the House. Please leave the House. आप बाहर चलिये।

आप बाहर जाइये। आप बाहर जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

(All the members of Indian National Lok Dal and a member of Shiromani Akali Dal did not withdraw from the House and continuously raising slogans in the well of the House.)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों से पूछियेगा कि क्या यह संसदीय प्रणाली की तहजीब है कि वैल में आकर ये लोग स्पीकर महोदय का घेराव करें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनकी ट्रेनिंग के लिए सैशन लगवाओ ताकि इनको संसदीय प्रणाली की जानकारी मिल सके। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You all have been named. So please leave the House.

(All this stage, all the members of INLD and a member of Shiromani Akali Dal did not withdraw from the House and continuously raising slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : Marshal take them out of the House.

(All this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward Staff took them out of the House.)

सदस्यगण के व्यवहार तथा आचरण की निन्दा करना

मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य–

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों का जो रवैया सदन में रहा है, उसे आप भी देख रहे हैं। यह निंदनीय है। अध्यक्ष महोदय, आपने दरियादिली दिखाते हुए मौजूदा बजट सत्र में सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दिया और पक्ष से ज्यादा विपक्ष के साथियों को अपने-अपने इलके की बातें उठाने के लिए समय दिया। विपक्ष के साथी अपनी बात तो कह देते हैं लेकिन जब सुनने की बात आती है तो हर रोज सैशन में इनका इसी प्रकार का रवैया रहता है। अपनी बात कहने के बाद ये लोग या तो वाक आऊट के चक्कर में रहते हैं या ऐसे हालात पैदा करते हैं कि हाउस आगे न चल सके और हरियाणा के लोगों का नुकसान हो। इनको क्या पता है कि इस हाऊस को चलाने में हरियाणा के मेहनतकश लोगों का कितना पैसा लगता है? हरियाणा प्रदेश के लोग हमें निर्वाचित करके इस हाऊस में भेजते हैं ताकि हम आम आदमी के हितों से जुड़ी बातें और हरियाणा प्रदेश के हितों से जुड़ी बातों को यहां पर उठा सकें लेकिन विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने इस प्रकार का कोई सुझाव यहां पर दिया हो या इस प्रकार की कोई बात यहां पर की हो तो इसका आपके पास रिकार्ड है आप उसको निकालकर देख सकते हैं। विज साहब जो पिछले दिनों हमारे साथी भी रहे हैं वे यहां पर सी.ए.जी. की बात कर रहे थे, उन्हें यह नहीं पता है कि यह मामला पहले पी.ए.सी. में डिस्कस होता है उसके बाद यह मामला हाऊस में आता है। यह बड़े दुख की बात है कि इनको इसके प्रॉपर प्रोसीजर का ही नहीं पता है। इनका तो यही काम है कि कुछ ऐसा काम करो जिससे अखबारों में नाम

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

छप जाये और कुछ भी करके और बोलकर हरियाणा के लोगों को गुमराह किया जाये। इन्होंने कभी भी हरियाणा के हित की बात नहीं की। इनका तो यह रवैया बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं कि आपने बहुत दरियादिली दिखाई लेकिन इसके बावजूद भी उनके द्वारा अपने व्यवहार में कोई भी तबदीली नहीं लाई गई और न ही उनकी तरफ से कोई भी ऐसा प्रयास हुआ कि जिससे ऐसा लगता हो कि वे यहां पर अच्छी परम्परायें कायम करने में सहयोग देना चाहते हैं। उनके द्वारा जो यहां पर व्यवहार किया गया है, वह पूरी तरह से निंदनीय है।

Mr. Speaker : It is for the information of all the Members that during the discussion on Budget, the Opposition has spoken for 4 hours and 48 minutes whereas, the Treasury Benches has spoken for 3 hours and 46 minutes. 15 Members from the Treasury Benches participated in the discussion on Budget and similarly from the Opposition side. This is some sort of history in this House that about 1/3rd Members of the House have spoken on the Budget. It is also a history that the Opposition Benches spoke for nearly 1 hour and 2 minutes more than the Treasury Benches, although the number of speakers was equal. This is the fact which I want to bring to your notice.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, you have already brought out the facts as they stand और यह तथ्य यह दर्शाते हैं कि विपक्ष के हमारे जो काबिल दोस्त थे उनकी मंशा और रवैया क्या था? आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे साथी श्री अनिल विज और जो दूसरे आई.एन.एल.डी. के साथी थे, वे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन उन्होंने यकायक रास्ता बदलकर यू टर्न लिया और उन्होंने सोचा कि कहीं अखबार में खबर अकेले बी.जे.पी. की न छप जाये और आई.एन.एल. डी. पीछे न रह जाये तो केवल अखबार में खबर छपवाने की मंशा से ऐसा किया। बगैर वास्तविक तथ्यों को जाने और केवल असत्य बात कहकर, असत्य तथ्यों को पेश करके और केवल आरोप-प्रत्यारोपों की भाषा का इस्तेमाल करके इन साथियों ने सदन की कार्यवाही के अंदर व्यवधान डाला और यहां पर अशोभनीय नारेबाजी उनके द्वारा की गई। जहां यहां पर उनका पूरा व्यवहार अशोभनीय है वहीं यहां पर उनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया और उस मुद्दे को उनके द्वारा राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बारे में जो वास्तविक तथ्य हैं, उनको मैं सदन के समक्ष रख दूं क्योंकि यह जो पूरा मामला है इस बारे में उनके पूरे इल्जाम असत्य हैं। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं, इससे फालतू इस मामले में कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा बताई गई 6 एकड़ जमीन के बारे में दिनांक 19.05.2000 को यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत की यह जमीन बंजर कदीम

है इसलिए इसे वह लीज पर देना चाहती है। इस प्रकार से इस ग्राम पंचायत ने यह जमीन 11 जून, 2004 से 10 जून, 2009 तक पांच वर्ष के लिए ओपन ऑक्शन के माध्यम से लीज पर दे दी। पांच साल के लिए लीज की धनराशि 15,200 रुपये थी जो कि हाइऐस्ट बिडर श्री महाबीर पुत्र श्री राम किशन जो कि बजीराबाद का रहने वाला है, उसको ग्राम पंचायत उल्लावास की 6 एकड़ जमीन दी गई थी। सर, अगर मैं आपको इसका सालाना किराया बताना चाहूं तो वह 506 रुपये प्रति एकड़ बैठता है क्योंकि यह बंजर कदीम जमीन थी इसलिए 09.05.2008 को राजीव गांधी ट्रस्ट ने यह कहा कि उनको एक आंखों का चैरिटेबल अस्पताल खोलना है जिससे गुड़गांव जिले के साथ-साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे वहां पर अपने खर्चे पर अस्पताल बनायेंगे, उसके लिए जमीन लीज पर दे दी जाये। आखिरकार ग्राम पंचायत ने 20 जुलाई, 2009 को 40 कनाल 3 मरले यानि कि यह जो लगभग 5 एकड़ जमीन है, का प्रस्ताव पास किया कि कानून के मुताबिक और रूल्ज के मुताबिक यह जमीन ट्रस्ट को दे दी जाये। उपायुक्त और सरकार ने उनको अनुमति दे दी परन्तु ट्रस्ट ने दोबारा आकर यह कहा कि हमें यह जमीन कंसैशनल रेट पर नहीं चाहिए न ही हमें इस जमीन का मालिक बनना है। हमें तो लीज पर यह जमीन दीजिए और वह भी मार्केट रेट पर। सर, वर्ष 2009-10 में कलैक्टर रेट 60 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से था और 17.11.2009 को ट्रस्ट ने यह रिक्वैस्ट की और उनकी रिक्वैस्ट मान ली गई और यह जमीन राजीव गांधी ट्रस्ट को दी गई है। इसके बारे में जो आदेश हैं, वे लागू कर दिये गये। इसमें यह प्रावधान है कि 5 परसैंट कलैक्टर रेट ट्रस्ट की तरफ से दिया जायेगा यानि कि 3 लाख रुपये ट्रस्ट देगा। जो जमीन ग्राम पंचायत के द्वारा 506 रुपये प्रति एकड़ पर दी गई थी, राजीव गांधी ऐजूकेशन ट्रस्ट उसी जमीन के 3 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देगी। इसके साथ-साथ इसमें नो प्रोफिट-नो लॉस बेसिज पर आंखों का एक अस्पताल बनाया जायेगा। क्या हमारे काबिल दोस्तों को इस पर भी ऐतराज है? इसके साथ-साथ ट्रस्ट ने यह भी अनुबंध किया है कि जो बी.पी.एल. परिवार हैं उनको कंसैशनल मैडीकल फैसिलिटीज और गांव के सभी लोगों को कंसैशनल मैडीकल फैसिलिटीज देंगे। इसके साथ ही साथ इस अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी इसी गांव से लगाये जायेंगे। 5 परसैंट बैड स्टेट गवर्नमैंट की रिकमैंडेशन पर कंसैशनल रेट्स पर दिये जायेंगे। इसके अनुरुप ट्रस्ट द्वारा जिस जमीन के 5 साल के 15200/- रुपये जमा होने थे, उसके स्थान पर 32,72,053/- रुपये उन्होंने जमा करवाये। ये कहते हैं कि यह भी गलत है। इसके साथ-साथ जो बात हमारे साथी बताते नहीं, ये सदन की कार्यवाही से छिपाते हैं इस पूरे मामले को इनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नैशनल लोकदल की राजनीतिक दुर्भावना से कुछ लोगों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट से इस मामले का निपटारा हो चुका है जो पैटीशन है that has been already dismissed as withdrawn. इस समय कोई भी अपील पैंडिंग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कोर्ट से जिस पर मुहर लग चुकी है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जिसका निर्णय कर दिया, आज ये उसको लेकर इस

[Shri Randeep Singh Surjewala]

सदन का समय भी बर्बाद कर रहे हैं और राजनीतिक दुर्भावना से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जो सरासर मिथ्या हैं, मनगढंत हैं। मेरे साथी कह रहे थे कि सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी गई। हरियाणा सरकार द्वारा किसी भी ट्रस्ट को परमानैंट तौर पर एक एकड़ जमीन भी नहीं दी गई। यहां तक कि राजीव गांधी ट्रस्ट समेत कोई हस्तांतरण नहीं हुआ। केवल लीज पर यह लगभग 5 एकड़ जमीन दी गई है। जिसका रेट केवल 15200/- रुपये था आज उसका रेट 3 लाख रुपये है और 506/- रुपये के मुकाबले 32 लाख रुपये से ज्यादा की राशि ट्रस्ट द्वारा जमा करवाई गई है। सारे तथ्य सदन के सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, उनकी राजनीतिक दुर्भावना सदन के सामने खुल न जाये, कहीं हम ये तथ्य सदन के सामने रख न दें वे सुनना नहीं चाहते थे इसलिए बहिर्गमन कर गये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, उनका मकसद ही एक था कि उनके समय में जो अनियमितताएं हुई, जो-जो धांधलेबाजी हुई उनको कैमोफ्लैज करने के लिए ये इस प्रकार की बातें उठाते हैं। उनके समय में देवी लाल मैमोरियल ट्रस्ट एवं माता हरकी देवी मैमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से अनियमितताएं हुई, उनकी जांच के लिए हाउस की एक कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट जब आयेगी तो सबको पता चल जायेगा। ये सिर्फ अपनी कमजोरी, चोरी छिपाने के लिए ऐसा माहौल तैयार करते हैं इनकी जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति रही है, ये उसको छिपाने के लिए इस तरह का वातावरण तैयार करते हैं और इससे हरियाणा की जनता का और हाउस का नुकसान होता है व हाउस का समय भी बर्बाद होता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के सदस्य के तौर पर एक अनुरोध करना चाहता हूं। आपने उनके समय में चौ. देवी लाल मैमोरियल ट्रस्ट एवं माता हरकी देवी मैमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से जो अनियमितताएं हुई, उनकी जांच के लिए हाउस की एक कमेटी बनाई हुई है, उसके चेयरपर्सन यहां उपस्थित है, उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सदन के सामने आनी चाहिए ताकि जो हरियाणा की हजारों एकड़ जमीन एक विशेष परिवार द्वारा कहीं पर भी चौधरी देवी लाल की प्रतिमा लगा कर हड़प ली गई है, वह हाउस के सामने आये और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उससे दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जायेगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have already extended the time for the presentation of the final Report to the House upto the last sitting of the next Session. Therefore, I would request the Chairperson of the Committee to ensure the house that the final Report to the House upto the last sitting of the next Session.

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker sir, I ensure the House that before the last date of hearing of the next Session, report shall be presented. I want to present the report here also but due to some tragedy I could not complete the report to present in the House today.

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Mr. Sampat Singh, you may speak now.

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : सर, मैं बिइंग चेयरमैन ऑफ पी.ए.सी. दो बातें कहना चाहता हूं। अनफोरच्यूनेटली जिस तरह का इन्सीडैंट इन्होंने किया और विज साहब ने इस इंसीडैंट को स्टार्ट किया वह खुद पी.ए.सी. के मैम्बर हैं। आपने जो कमेटी कांस्टीच्यूट की थी। उसका तरीका यही होता है कि ऑडिट डिपार्टमैंट अपना ऑब्जैक्शन लगाता है, ऐतराज लगाते हैं, उसके बाद वह पी.ए.सी. कमेटी में जाते हैं, और कमेटी बाकायदा जिस भी डिपार्टमैंट से संबंधित बात होती है उसको बुलाती है और बुलाकर पूरी स्क्रूटिनी करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, इसमें किसी का दोष होता है, तो उसको तलब किया जाता है, और नहीं होता तो पैरा ड्रॉप हो जाते हैं। सर, बहुत से पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जो कैग की रिपोर्ट में आते हैं। लेकिन बाद में ड्रॉप होते हैं, क्योंकि कैग के सामने सारे फैक्ट्स नहीं होते हैं, उन्होंने तो एक अपनी स्टडी कर ली जैसे वे ऐट रैंडम करते हैं और ऐट रैंडम कर लिया और उसमें कोई चीज दे दी तो यह कोई सैक्रोसैंक्ट नहीं हो गया कि वह रिपोर्ट एकदम बाकायदा कोरी बाईबल बन गई हो। पता नहीं लोग इतनी सस्ती राजनीति क्यों ढूंढ रहे हैं। चाहे डिबेट का स्तर पार्लियामैंट का हो, चाहे असैम्बली का हो, ऐसे लोग राजनीति में आ गये जिन की वजह से डिबेट का स्तर गिरता जा रहा है। It is most unfortunate. हालांकि आपका जो असैम्बली का पहले सैशन आया था उसमें एजुकेशन बहुत कम थी लेकिन अब एजुकेशन भी आ गई है। लेकिन जिसके अन्दर कमियां हों, ऐसे में एजुकेशन क्या काम आएगी? अपने अन्दर कमियां हैं जिनकी वजह से वे न कोई डिबेट करते हैं, न डिस्कशन करते हैं, न पब्लिक से रिलेटिड इम्पोर्टैंट इश्यू उठाते हैं, विधान सभा के बाहर तो वे सारी बातें उठाते हैं कि हम बजट सैशन में यह मुद्दे उठाएंगे, वह मुद्दे उठाएंगे, दो-दो हाथ करेंगे और यहां आकर दो-दो हाथ असैम्बली में करने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास तो उन्हें जुलूसों व जलसों में करने चाहिए। उन्हें यहां डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने व आपने इनका एडजर्नमैंट मोशन तक मान लिया जबकि ऐसी अपोरच्यूनिटी अपोजीशन को रेयरली मिलती है। उनको इतनी बढ़िया अपोरच्यूनिटी डिबेट करने के लिए मिली और उसके बावजूद जानबूझ कर उन्होंने इस अपोरच्यूनिओ को नहीं लिया, क्योंकि उसके जवाब में भी उनको मुंह की खानी पड़ती। जैसे आज रणदीप जी ने बताया, यही बात उनके साथ होती। सर, 75000 करोड़ रुपये से ऊपर की डिमांड विदआऊट एनी डिस्कशन के पास हो गई। अपोजीशन का काम सरकार को ग्रिल करने का होता है। विपक्ष को चाहिए कि हर डिमांड के ऊपर बहस करे। अनफोरच्यूनेटली जैसे पैसे का लौस है, वह सिर्फ पैसे का ही लौस नहीं है उसमें हमारी साख का लौस भी होता है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें रिपोर्ट आती है कि असैम्बली में किस बात पर कितनी डिस्कशन हुई। Speaker Sir, without the co-operation of the

[प्रो. सम्पत सिंह]

opposition or without the participation of the opposition in the discussion of the House. कैसी डिबेट आएगी? सरकार अपनी तरफ से पूरा काम करे लेकिन जब तक अपोजीशन नहीं बोलेगा तब तक डिबेट का हिस्सा कैसे बन पाएगा? आज तक डिमांड पर डिबेट नहीं हुई, कितने ही इम्पोर्टेंड बिल आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई डिबेट नहीं हुई है। जिस तरह से ऐप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है उसमें 75000 करोड़ रुपये खर्च करने की सरकार ने विधान सभा से इजाजत मांगी है कि हमें यह खर्च करने की इजाजत दी जाए, उसके लिए ऐप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाए। But the opposition party did not want to participate in this discussion. स्पीकर सर, इससे अनफोरच्यूनेट पीरियड नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि जान बूझकर ये तमाशा किया गया है और अब ऐसा लगता है कि ये कोई बात बोलते हैं तो मिस्टर विज इनकी सपोर्ट करते हैं और अगर वह बोलते हैं तो ये उनकी सपोर्ट करते हैं और बाहर जाकर कहते हैं कि हम अलग हैं तो बात वही है कि अन्दर खाते आप दिखावे के लिए कुछ हैं और बाहर दिखावे के लिए आप कुछ हैं। यहां तो बाहर भी और अन्दर भी सारा का सारा एक्सपोजर हो गया हैं सर, मैं बस यही कहना चाहता था। सर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनको बोलना होता तो पी.ए.सी. की रिपोर्ट आई है, बाकी सभी कमेटियों की रिपोर्ट आपके सामने आई है। क्या उन्होंने आपसे किसी रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए समय मांगा है। विधान सभा की अलग-अलग कमेटीज हैं और पी.ए.सी. की रिपोर्ट भी आई है उस पर अगर कोई भी मैम्बर अदर दैन पी.ए.सी. मैम्बर है भी आपसे पूछकर डिस्कशन कर सकता था। उन प्वाइंटस को उठा सकता था लेकिन जब प्लेटफार्म आता है, मौका मिलता है, तब उठाते नहीं है। पी.ए.सी. की रिपोर्ट है, बिइंग चेयरमैन दो रिपोर्ट आज मैंने पेश की है। आप बता दें कि दोनों रिपोर्ट्स पर क्या इनका एक भी मैम्बर बोला है? बोलने का टाईम अब था, जब ये पी.ए.सी. की रिपोर्ट पर ये बोलते। उस पर तो ये बोले नहीं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कैग की रिपोर्ट उठाए फिरते हैं। सर, मैं ऐप्रोप्रियेशन बिल पर सरकार को सुझाव देना चाहता हूं सबसे पहले विधान सभा की जो डिमांड नम्बर-1 है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी असैम्बली की संस्था है उसमें कुछ लोग इस तरह का बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टेट के लिए, पब्लिक के हित के लिए कन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिल सकता। आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने राजनीति के मायने बिल्कुल बदल दिये हैं। इस टाईम जो जितना चाहे उतना अपना कंट्रीब्यूशन पब्लिक वैल्फेयर में कर सकता है। बस उसमें थोड़ा सा मादूदा होना चाहिए तथा उसको लर्निंग प्रोसैस का भी पता होना चाहिए। यदि वह इन चीजों पर अपना ध्यान केन्द्रित करके चलेगा तो स्वाभाविक है कि जितना चाहे इस असैंबली में और इस असैंबली के बाहर भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि जो मैम्बर हैं they should be well equipped आपने मैम्बर्ज को जो कम्प्यूटर प्रोवाइड किये हैं यह एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कम्प्यूटर खरीदने

के बाद उस पर और भी अनेक प्रकार के खर्चे आते हैं जैसे बार-बार टोनर बदलने का खर्च या उसमें कोई गड़बड़ी आ जाये तो उसको ठीक कराने का खर्च इत्यादि। स्पीकर सर, जो सही मायने में कम्प्यूटर यूज करता है, उसके लिए तो कम्प्यूटर को मैंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कम्प्यूटर ऑपरेशन और मैंटेनैंस दोनों ही स्थितियों में मुश्किल खड़ी हो जाती है। हमारे विपक्ष के लोगों को इस तरह की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का तो कम्प्यूटर तथा कलम-दवात से कोई मतलब ही नहीं होता है। स्पीकर सर, जिस दिन बजट सैशन की नोटिफिकेशन हुई तभी से मैं डेढ़ महीने तक रात को कभी भी 2 बजे से पहले नहीं सोया। I tried my best कि मैं स्टेट के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। इस बार लेबर एसैस का 1000 करोड़ रुपये का बजट में जो प्रावधान किया गया है that is wonderful scheme. इससे बढ़िया कोई स्कीम नहीं हो सकती है। सर, जब मुझे पता लगा कि एक मोड में 700 करोड़ रुपये तथा दूसरे मोड़ में 200 करोड़ रुपये यानि टोटल 900 करोड़ रुपये अनस्पैंट पड़े हुए हैं। तो एक बार तो मैंने इस बात पर कालीन भी डाल दिया था लेकिन फिर मैंने इसे अपनी ड्यूटी समझा कि जो इतने पैसे अनस्पैंट पड़े हुए हैं क्यों न मैं इसके बारे में सरकार को बताऊं। मेरे बताने के बाद सरकार ने जो यह 1000 करोड़ की स्कीम हैल्थ के लिए, सैनेटरी के लिए तथा शिक्षा के लिए बनाई है वह अपने आप में एक सराहनीय कदम है। जब यह 1000 करोड़ रुपये आगामी 2 सालों के अन्दर प्रदेश पर खर्च किये जायेंगे तो फिर पूरे प्रदेश की रंगत ही बदल जायेगी। हमारे विपक्ष के लोगों को इस बारे में क्या पता है? विपक्ष में बैठे लोगों को 1000 करोड़ रुपये की तो बात छोड़ो, इनको तो एक पैसे के हिसाब का भी मालूम नहीं है? यह विपक्ष के लोग अपनी जेब में जाने वाले पैसे की तो गिनती कर लेंगे लेकिन पब्लिक के लिए क्या करना है इससे इनको कोई लेना-देना नहीं है। जनता का एक जिम्मेदार नुमाइंदा होने के नाते मैंने सुझाव देकर यह प्रयास किया कि मैं संबंधित मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को तथा मेरे साथी को जनता के हितों के लिए काम करने को सपोर्ट करूं। हम आपके इस बात के आभारी हैं कि जब कभी भी बाहर से कोई एम.एल.एज. का सैशन आया हो या वर्कशॉप आई तो आपने हमको वहां पर भेजा। हम आई. एस.बी. हैदराबाद में दो बार गये, आई.आई.एम. बैंगलौर में दो बार गये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस एंड पॉलिसी के सैशन में दिल्ली गये। आपने हमें ऐसी सेमीनार/वर्कशाप में जाने की परमिशन दी और हमारे उस टूर को एक असैंबली के टूर की तरह ही ट्रीट कियां उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो कुछ हमने वहां सीखा है उससे हम अपनी स्टेट को कुछ फायदा पहुंचा सकें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो एम.एल.एज. हैं वे वैल इक्विप्ड होने चाहिएं। कई बार लोग कहते हैं कि एम.पी., एम.एल.एज. अपने वेतन भत्तों की ही ज्यादा चिंता करते हैं और जब चाहते हैं, इनको बढ़ा लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वर्किंग मैन हैं उनके लिए वेतन-भत्तों में बढ़ौतरी की बहुत जरूरत है। जो वर्किंग मैन हैं उन्हें वैल इक्विप्ड होना चाहिए। ऐसी सुविधाओं का लाभ उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो हर हालात में

[प्रो. सम्पत सिंह]

एम.एल.ए. बनने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जेब से ही 5 लाख रुपये या जो एम.एल.ए. की तनख्वाह होती हैं, क्यों न देनी पड़े। वह यह पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। बस वे हर कीमत पर एम.एल.ए. बनना चाहते हैं। आप कुछ सुविधाओं को बढ़ाकर एम.एल.एज. को फायदा पहुंचा सकते हैं। चाहे आप माइलेज की पर किलोमीटर की जो सुविधा है उसमें कुछ इंप्रूवमैंट करें, चाहे जो यात्रा की सुविधा है उसमें कुछ इंप्रूवमैंट करें या फिर कांस्टीच्यूएंसी यात्रा भत्ते में भी इजाफा करके आप एम.एल.एज. को राहत प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑफिस इक्विपमैंट और ऑफिस मैनेजमैंट के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। To be an effective M.L.A. ये सभी चीजें किसी भी वर्किंग एम.एल.ए. के लिए बहुत जरूरी हैं। विपक्ष के लोगों को ऐसी सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है ये तो बस एम.एल.ए. ही बनना चाहते हैं चाहे इसके लिए 5 लाख रुपये इनको अपनी जेब से ही क्यों न देने पड़े। ये विपक्ष के साथी तो लोक भलाई के लिए काम ही नहीं करना चाहते हैं। स्पीकर सर, आपसे भी मेरा एक निवेदन है। हरियाणा प्रदेश 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया। तब से लेकर आज तक हमारे अनेक बड़े लीडर जो इस हाउस के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं तथा साथ ही साथ हमारे अपोजीशन लीडर भी रहे हैं उन्होंने जो स्पीचिज अपने समय में दी थी, वे सब हमें लाईब्रेरी के अन्दर डिबेट्स में मिल जाती है। अगर हम उन डिबेट्स को वहां से ले भी लेते हैं तो फिर भारी भरकम बोझ को उठाना मुश्किल हो जाता है। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप विधान सभा की एक वैबसाईट पर 1 नवम्बर 1966 से लेकर आज तक जो सदन में कार्यवाही हुई, उसकी सारी प्रोसिडिंग्ज लोड करवायें ताकि जब भी हमारा कोई साथी हमारे सीनियर्ज, हमारे फोरफादर्ज या जो हमारे महान नेता हुए हैं, उनकी प्रोसिडिंग्ज पढ़ना चाहे तो कम्प्यूटर पर बैठे और मात्र एक क्लिक से ही जान सकें कि जो हमारे सीनियर्ज थे वे सदन में क्या बोला करते थे, उनके कैसे विचार हुआ करते थे तथा उनके अन्दर क्या-क्या गुण थे। वर्ष 1980 तक की प्रोसिडिंग्ज तो मैंने खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके, कम्प्यूटर आपरेटर लगाकर तैयार करवा दी हैं लेकिन इस काम में मेरा प्रयास शायद उतना सफल नहीं हो पायेगा जितना कि विधान सभा सचिवालय कर सकता है। मैंने उस टाईम के हमारे सीनियर्ज की प्रोसिडिंग्ज को पढ़ा है। उनकी प्रोसिडिंग्ज बहुत अच्छी रही है। हमारे सीनियर्ज का सदन में बहुत अच्छा कांट्रीब्यूशन रहा है। अब मैं हूज-हू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमें सदन के सदस्यों की जानकारी प्रदान कराने वाली किताब हूज-हू मिल जाती है जिसमें सदस्यों के बारे में सारी जानकारियों का विवरण तफसील से दिया गया है। हूज-हू भी वैबसाईट पर डाउनलोड होनी चाहिए। ताकि हमें हमारे सीनियर्ज या फोरफादर्ज जो हाउस के मैम्बर रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके कि वे कौन लोग थे, उनकी किस तरह की नेचर थी, उन लोगों के अन्दर क्या-क्या गुण थे ताकि उनके बारे में हमारी आज की पीढ़ी भी जान सके। अब मैं डिमांड नं. 4 के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। आज के दिन जितने भी रिवेन्यू के केसिज पैंडिंग पड़े

हैं मैं चाहता हूं कि इन रिवेन्यू के केसिज को कोई फास्ट सिस्टम बनाकर सौल्व किया जाये। हमने देखा है कि कई बार दो-दो साल तक तहसीलदार के यहां तारीख ही पड़ती रहती है, आखिर में यह केस एफ.सी. साहब के पास जाता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार मीटिंग्स इतनी इम्पोर्टेंट आ जाती हैं कि एफ.सी. अटैंड नहीं कर पाते हैं इसलिए इनका कोई न कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए क्योंकि रिवेन्यू ओरियैंटिड जो महकमे हैं, उनका रेवेन्यू कलैक्शन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि केसिज का निपटारा जल्द हो। सर, कई बार छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, उसके लिए कई आदमियों के 6-6 साल तक केसिज चलते रहते हैं, उनका निपटारा नहीं होता है इसलिए रिवेन्यू की तरफ पूरा ध्यान सरकार को देना चाहिए। रेवेन्यू स्टडीज में ऑफीसर्ज को पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो लीगल फैसले होते हैं उन फैसलों में तेजी आ सके। आम तौर पर देखा गया है कि हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा छोटा सा केस है उस केस का ऑन मेरिट निपटारा करा दो, ज्यादातर केसिज में वे लोग निपटारे की बात लेकर आते हैं लेकिन निपटारा हो नहीं पाता हैं अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नंबर 5 के बारे में जो कि ऐक्साइज एंड टैक्सेशन से संबंधित है, कहना चाहता हूं। आज के दिन उसके एरियर्स 1500 करोड़ रुपये से ऊपर के मिलेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि वह एरियर्स 1500 करोड़ के नहीं हैं जैसे उदाहरण के तौर पर किसी की डिमांड निकाल दी, कागज पत्र और बहीखाता देख के एक करोड़ की डिमांड निकाल दी और वह अगले साल दो करोड़ हो गई और पैनल्टी लगते-लगते बढ़ते-बढ़ते वह अमाउंट 5 करोड़ रुपये की हो जाती है फिर दस करोड़ की हो जाती है फिर 15 करोड़ की हो जाती है फिर 20 करोड़ रुपये की हो जाती है तो इस प्रकार से वह एरियर्ज भी 1500 करोड़ के नहीं हैं, वह बढ़ते-बढ़ते इतनी राशि के हो गए हैं। वह अमाउंट बहुत धीरे-धीरे बढ़ी है। मैं कहता हूं कि समरी ट्रायल करके एक अथॉरिटी बनाकर के फटाफट इन केसिज का निपटारा हो जाए। ऐक्याइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट के एरियर्ज जो होते हैं, कानूनी तौर से और बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका निपटारा हो जाए तो पैसा भी हमारे पास आएगा और एरियर्ज भी पाइल अप नहीं होंगे। यह मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं डिमांड नं. 6 के बारे में जो कि फाइनैंस डिपार्टमैंट से संबंधित है, उसके लिए वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो डी.डी.ओ. पॉवर्ज हैं यह बहुत पहले रिवाइज हुई थी, अब इनको लेटेस्ट रिवाइज करने की जरूरत है। पिछले 4-5 सालों से यह रिवाइज नहीं हुई है और डी.डी. ओ. पॉवर्ज को और ज्यादा डेलीगेट करने की जरूरत है। सर, पहले जो चीज 100 रुपये की आती थी अब वह मंहगाई की वजह से एक हजार रुपये की आती है, इसलिए इसको रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करने से यह भी फायदा होगा कि डेलीगेशन नीचे ही होती जाएगी। यह मेरा निवेदन है। सर, अगली डिमांड नं 10 टैक्नीकल ऐजूकेशन से संबंधित है। टैक्नीकल ऐजूकेशन में हमें स्किल डिवैल्पमैंट पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से टैक्नीकल कालेजिज आए हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी काफी हो रहा है। गवर्नमैंट ने बहुत सी टैक्नीकल यूनिवर्सिटीज खोली हैं लेकिन स्किल डिवैल्पमैंट का एक अलग ही नजारा होता है। उसके साथ-साथ मैं इंडस्ट्रियल

[प्रो. सम्पत सिंह]

ट्रेनिंग के बारे में कहना चाहूंगा। आज हमारे प्रदेश के 60-70 हजार बच्चे टैक्नीकल ट्रेनिंग और ऐजूकेशन लेकर आते हैं और स्किल न होने की वजह से किसी इंडस्ट्री में या प्राइवेट सैक्टर में नहीं लग सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का जो अप्रैंटिसशिप एक्ट है, उसी के आधार पर हमें भी अपनी स्टेट के लिए एक अप्रैंटिसशिप ऐक्ट बनाना चाहिए जिसमें यह बाइंडिंग हो कि ये इंडस्ट्री इतने बच्चों को तैयार करेगी, ये इतनों को तैयार करेगी? ये इस स्किल को देगी और दूसरी इंडस्ट्री इस स्किल को देगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई है लेकिन मेरा उसमें फीडबैक है कि आपने पी.पी. स्कीम जो शुरू की थी, वह सरकार का एक बहुत अच्छा कदम था। सरकार ने इंडस्ट्री के जिम्मे लगा दिया, कमैटी बन गई और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने भी 2.5 करोड़ प्रत्येक आई.टी.आई. के लिए दे दिये। यह बहुत अच्छा कदम था लेकिन लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ ऐग्जीक्यूशन और लैक ऑफ कॉर्डीनेशन की वजह से जो भी इंडस्ट्री वाले हैं जब कोई सलैक्शन आती है तो सलैक्शन के समय तो वे चेयरमैन बनकर के बैठ जाते हैं। भले ही जितनी भी आज भर्ती हो रही है वह वैसे ऐडहॉक और कंट्रैक्चुअल बेसिज पर हो रही है लेकिन जब कोई ट्रेड्स आने की बात होती है तो 5-10 बच्चों को बुला लेंगे और उनको लेबर में लगा देंगे। कोई बच्चा इलैक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहा है, उसको लेबर में लगाएंगे तो वह उसके क्या काम आएगा? इसी तरह से कोई मैकेनिकल का कोर्स कर रहा है उसको लेबर में लगा देंगे तो वह तंग आकर दस दिन बाद छोड़कर चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी 12-13 आई.टी.आईज. देखी हैं, एक तो पी.ए.सी. का हमारा दूर गया था तब मैंने देखी थी हिसार की आई.टी.आई. मैंने खुद देखी है। उसमें मैं देख रहा हूं कि 1-2 परसैंट इंडस्ट्री को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी पी.पी. वाले भी नहीं उठा रहे हैं। यह हमारे लिए आंख खोलने वाली बात है। मुझे इस बात का दुख होता है कि सरकार इतना पैसा लगाए और इतनी बढ़िया स्कीम बनाई हो और वह स्कीम जो है it will die its on death. मेरा सुझाव है कि उससे पहले ही हम सबल हो जाएं और सजग होकर ध्यान देकर अपने यहां स्किल डिवैल्पमैंट के लिए अप्रैंटिसशिप ऐक्ट लेकर आएं। इसी तरह से जो स्पोर्ट्स एंड यूथ वैल्फेयर की डिमांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें हरियाणा ट्रेमैंड्स अचीवमैंट कर रहा है, छोटी स्टेट और पॉपुलेशन को देखते हुए भी बहुत तरक्की कर रहा है। आज हमारे यहां के बच्चों के नाम जगह-जगह हो रहे हैं। चाहे औलम्पिक के मैडल आते हैं, चाहे कौमनवैल्थ के आते हैं, उसमें वे ये देखते हैं कि कंटीन्जैंट में हरियाणा के कितने बच्चे हैं और उससे वे अंदाजा लगाते हैं कि इतने गोल्ड मैडल आएंगे, इतने सिल्वर आएंगे और इतने ब्रांज मैडल आएंगे। तो इस प्रकार हरियाणा की पार्टिसिपेशन देख के अंदाजा लगाते हैं न कि इंडिया की पार्टिसिपेशन देख के लगाते हैं। ये हमारे लिए शान की बात है लेकिन सर to reach that lavel, उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए, केवल मात्र स्पैट से काम नहीं चलेगा। स्पैट में आपने 1500 रुपये या एक हजार रुपये दे दिए लेकिन to reach that lavel कि वे मैडल लेकर आएं, उस तक पहुंचने में उससे पहले उनका

बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। स्पीकर सर, आप तो सब कुछ जानते हैं आपका बैकग्राउंड शहर और देहात दोनों का है। सभी को आप जानते हैं। स्पोर्टपर्सन्स के प्रति आपका प्यार है, मुख्यमंत्री जी का भी स्पोर्टपर्सन्स के प्रति स्पेशली प्यार रहा है और वे खुद भी खिलाड़ी हैं। वे बच्चे जो हमारे ट्रेडीशनल गेम्ज हैं उनमें ही आ रहे हैं। जो भी बच्चे आ रहे हैं वे गरीब परिवारों से आ रहे हैं। चाहे वे किसी भी जाति या बिरादरी के बच्चे हों लेकिन वे गरीब परिवारों के ही बच्चे हैं, कोई कण्डक्टर का बच्चा आ रहा है, कोई ड्राईवर का बच्चा आ रहा है और कोई क्लर्क का बच्चा आ रहा है। किसी अमीर माँ-बाप के बच्चे आज खेलों में आगे नहीं आ रहे हैं। टेनिस, सोसर, गोल्फ या शूटिंग दो चार गेम्ज में कोई अमीर मां-बाप के बच्चे आते हों तो अलग बात है। लेकिन जो हमारे देहाती खेल हैं जैसे कबड्डी में, कुश्ती में, वेट लिफ्टिंग में और बॉक्सिंग इन खेलों में देहात के बच्चे मैडल लेकर आते हैं। उन सब की बैकग्राउंड देहात से ग्रामीण क्षेत्र से और गरीब परिवारों से ही होती है। सरकार की जूनियर लैवल पर सपोर्ट देने की कोई स्कीम नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह जूनियर लैवल से खिलाड़ियों को सपोर्ट करें क्योंकि जूनियर से ही सीनियर खिलाड़ी बनते हैं। चाहे वह एशिया जूनियर चल रही है लेकिन आप उन जूनियर खिलाड़ियों को कुछ नहीं दे रहे हैं। जूनियर के लिए we are to do something separately क्योंकि उन जूनियर्स ने ही कल सीनियर्स खिलाड़ियों में आना है। जिन्होंने आलरेडी एक अचीवमैंट हासिल कर ली है who have achieved already उन खिलाड़ियों को एनकरेज करने के लिए तो हमें थपथपी लगानी चाहिए। लेकिन उस लैवल पर पहुंचाने के लिए भी सरकार को स्कीमें बनानी चाहिएं। जिससे जो जूनियर लैवल के खिलाड़ियों की पनीरी हमारी आ रही है they required money and financial support also. इसके बारे में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को ऐसे बच्चों को फाईनैंशियल सपोर्ट जरूर करनी चाहिए। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, वह बहुत जबरदस्त बनाया है लेकिन उस इन्फ्रास्ट्रक्चर का हमें प्रोपरली यूज करना चाहिए। अभी तक इसके पूरे पैटर्न के बारे में हम पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पाये हैं। जैसे बहन गीता भुक्कल जी आरोही स्कूलों के बारे में बता रही थी। आरोही स्कूलों की बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत सारे आरोही स्कूल मंजूर भी हुए हैं। जिस दिन प्रौपर बिल्डिंग के साथ, प्रौपर इक्विपमैंट के साथ और प्रौपर टीचर्ज के साथ इन स्कूलों की फंक्शनिंग पूरी हो जायेगी तब इन हरियाणा के आरोही स्कूलों का जो रिजल्ट आयेगा वह हिन्दुस्तान में एक लीडिंग रिजस्ट होगा। परन्तु अभी इन स्कूलों को जो पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वह वर्क पैंडिंग है और पूरा नहीं हुआ हैं इस तरह की जो अच्छी स्कीमें आती हैं उनको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरीके से मैं हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं। हैल्थ के बारे में बहुत सी चर्चाएं इस सदन में पहले ही हो चुकी हैं इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं मेरे अजीज माननीय मंत्री जी को एक ही लाइन में निवेदन करना चाहता हूं। इस बारे में बतरा जी ने पहले ही जिक्र कर दिया था कि आपका जो हैल्थ का मॉडल है उसमें आपको चेन्ज करना पड़ेगा। आपने बहुत सारी पी.एच.सीज. खोल दी हैं और बहुत सारी सी.एच.सीज.

[प्रो. सम्पत सिंह]

खोल दी हैं। बहुत सारे सब-सैंटर खोल दिए हैं। उसके बावजूद अगर चाहे आप हिन्दुस्तान की जो डिफैक्ट पी.एच.सीज. हैं उनको देख लें, चाहे जो डिफैक्ट सी. एच.सीज. हैं उनको देख लें, चाहे डिफैक्ट सब-सैंटर जो हैं, उनको देख लें। उसके बाद आप इन सब का टेबल निकाल लें, इनका टेबल आपको नेट पर मिल जायेगा। अनफोरच्यूनेटली उस टेबल में आप देखेंगे तो भी आप यह पायेंगे कि इतना खर्चा करने के बावजूद इनके रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं। भारत सरकार ने भी अर्बन और रूरल की जो स्कीमें हैं, उन दोनों स्कीमों को इकट्ठा कर दिया है क्योंकि उन पर बहुत खर्चा हो रहा है। इधर हमारी सरकार भी बहुत खर्चा कर रही है लेकिन जिस हिसाब से इन स्कीमों के रिजल्ट आने चाहिएं, वे नहीं आ रहे हैं। आप एक ऐनरजेटिक और यंग मिनिस्टर हैं we hope that you can change something. इसी प्रकार से जहां तक कलस्टर की बात है। मैं एजूकेशन के बारे में कहता हूं। एक गांव में दस स्कूल खुले हुए हैं no need of ten schools, स्पीकर सर, पांच हजार बच्चों पर एक स्कूल हो जाये you also agree, उसके लिए चाहे हम उन बच्चों के स्कूल आने-जाने के लिए बस फ्री कर दें तो भी वे स्कूल हमें सस्ते पड़ेंगे। टीचर्ज वगैरह भी इससे कम होंगे उससे सरकार को फायदा होगा। सर, आदमपुर हल्के में एक सदलपुर गांव हैं उस गांव में 15 स्कूल होंगे। इस बारे में शिक्षा मंत्री जी पता करवा सकती हैं। 9-10 स्कूल तो वहां की ढाणियों में होंगे और 4-5 स्कूल गांव के अन्दर होंगे। अगर इसकी बजाए वहां पर एक बढ़िया स्कूल बन जाये तो सरकार का काफी खर्चा बचेगा। इसके साथ ही आप उन बच्चों को आने जाने के लिए बस की सुविधा दे दो, उस बस के साथ चाहे आप केयर टेकर दे दो, क्योंकि आजकल ज्यादा दूरी होना मायने नहीं रखती। इसके अलावा आप छोटे बच्चों के लिए पानी और दूध वगैरह भी देंगे तब भी वह सस्ता पड़ेगा। आज एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे पर लगभग एक हजार रुपये से भी फालतू खर्चा आता है। इतना खर्चा सरकार का हो रहा है, उस खर्चे को हम प्रौपरली यूटीलाईज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से मैं हैल्थ के बारे में भी यही कहना चाहता हूं कि आपका सब कुछ वैल इक्विपड हो, वैल स्टाफ्ड हो, अच्छे डाक्टर्ज हों। चाहे आप इसमें पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. कम खोलें। नयी खोलें तो आप सोचकर खोलें। इसमें पोलिटिकली नहीं होना चाहिए कि सम्पत सिंह ने डिमाण्ड कर दी इसलिए खोलनी ही खोलनी है। ऐसी हालत में आप चाहे न खोलें लेकिन जो भी नई पी. एच.सी. या सी.एच.सी. खोलें या जो आपकी पहली खुली हुई हैं वे प्रोपरली मैनेज्ड हों। आज तो आप बहुत सारी वैन भी गांवों में दे रहे हैं। काफी वैन गांवों में जा रही है और वहां से मरीजों को लेकर आ रही हैं। आपके आशा वर्कर्ज भी काफी काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर को पूरा बोझ न सहना पड़े। मंत्री जी, इसके लिए आपका जो पैरा मैडिकल स्टाफ है उसको स्ट्रैंथन करने की बहुत सख्त जरूरत है। एक डॉक्टर क्या टेम्प्रेचर नोट करेगा, सभी टैस्टस डॉक्टर करेगा, बी.पी. डाक्टर नोट करेगा, पट्टी डाक्टर बांधेगा, इतना सब कुछ करने के बाद डाक्टर क्या काम करेगा? अगर 20 आदमियों का काम एक डाक्टर करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा?

अगर दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ होगा तो डॉक्टर का काम सिर्फ प्रिसक्रिपशन देने का, मरीजों को देखने का और जांचने का रह जायेगा। इसलिए आपका जो पैरा मैडिकल स्टाफ है मेरा सुझाव है कि उसको स्ट्रैंथन करें क्योंकि इनकी काफी पोस्टें खाली पड़ी हैं and they are more required. हरियाणा में पैरामैडीकल स्टाफ की रिक्वायरमैंट की जो स्टडी आई है उसके हिसाब से पैरामैडीकल स्टाफ की रिक्वायरमैंट बहुत ज्यादा है। डेढ़ लाख के करीब हमारी रिक्वायरमैंट है लेकिन सैंक्शंड स्टाफ आधा भी नहीं है। जितनी पोस्ट सैंक्शंड हैं, वे भी खाली पड़ी हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस स्टाफ को जरूर पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक दिन मैं ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि यूनिवर्सिटी में आधी पोस्टें खाली पड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं टीचिंग फैकल्टी की बात कर रहा हूं न कि नॉन टीचिंग की। आधी पोस्टें खाली होंगी तो क्या हमारा स्टैंडर्ड रहेगा? बिल्डिंग तो हम बनाते जाएंगे क्योंकि बिल्डिंग तो ऐग्रीकल्चर की जो काउंसिल बनी है उससे आती रहती है। बिल्डिंग्ज यू.जी.सी. से आती रहती हैं, सैल्फ फाइनैंस स्कीम से भी आ जाती हैं लेकिन अकेले उससे बात नहीं बनती। हमारे पास बिल्डिंग चाहे न हो क्योंकि डॉक्टर तो वृक्ष के नीचे भी बैठकर मरीजों को देख सकता है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैन-पावर को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 15 लोकल बॉडीज के बारे में बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कारपोरेशंज बनाकर बहुत अच्छा काम किया गया है। बहुत से बैकवर्ड एरियाज कारपोरेशन के साथ जुड़ गये हैं, इसके लिए गवर्नमैंट आफ इंडिया से बजट आ रहा है और हमारी गवर्नमैंट भी अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए काफी अच्छा बजट दे रही है। म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटीज का जो स्टाफ था वह वहीं का वहीं है। कारपोरेशंज तो बना दी गई परंतु गवर्नमैंट स्टाफ नहीं बढ़ा पाई। उतने ही जे.ईज. और उतने ही दूसरे सैनेटरी वगैरह के वर्कर्ज हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस स्टाफ को स्ट्रैंथन किया जाए। कारपोरेशंज में पूरा अमला लगाया जाए क्योंकि अकेले डी.सी. के जिम्मे सारे काम नहीं होने चाहिएं। डी.सी. के जिम्मे और बहुत काम होते हैं और वह बहुत बिजी होता है। डी.सी. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है, उसको डे टू डे लॉ एण्ड आर्डर देखना पड़ता है तथा दूसरे काम भी देखने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कमिश्नर लैवल के अलग से ऑफिसर्ज लगाए जाएं, जो इस तरह के काम कर सकें। वे ऑफिसर्ज अपना विजन बनाएं और सोचें कि इस कारपोरेशन में मुझे यह काम करना है। यह बहुत चैलेंजिंग वर्क है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान देना चाहिए। फूड एण्ड सप्लाई के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मंत्री जी बैठे हैं, वे जानते हैं और हम सब लोग भी जानते हैं कि कैरोसिन का 100 परसैंट मिसयूज हो रहा है। 100 परसैंट कैरोसिन का मिस यूज कहूंगा तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे क्योंकि इस पर सरकार का बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास किसी गांव के लोग आए और कहने लगे कि हमारे डिपो में तेल नहीं आ रहा तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं तेल नहीं आ रहा है तो मैं शाम को गांव में आऊंगा मुझे किसी एक का घर दिखा

[प्रो. सम्पत सिंह]

देना जहां तेल जलाते हों तो सब पीछे हट गए क्योंकि इस समय कोई भी तेल नहीं जलाता। अध्यक्ष महोदय, यह तेल कहां जा रहा है इस ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत सीनियर मंत्री हैं और ये पब्लिक से जुड़े रहते हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरफ आप ध्यान दें और यदि मेरी सलाह की जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसे आई.ए.एस. ऑफिसर्ज सेम बैच के होते हैं उसी प्रकार मंत्री जी और मैं हम दोनों सेम बैच के हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इरीगेशन के बारे में दो तीन बातें कहना चाहूंगा। जो हैड वर्कस हैं उनका कंट्रोल हैड वालों के पास ही है। उनके पास तो पानी की कोई प्रोब्लम नहीं है। हैड रेगुलेटर उनके पास है, उनको आर्डर मिलता है कि इतना पानी छोड़ना है परंतु वह उतना पानी नहीं छोड़ते। इस मुद्दे पर काफी बार चर्चा हो चुकी है और काफी एम.एम.एज. ने भी जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि टेल के इंजीनियर्ज को उनके रैगुलेटर का काम दें या उनका सहयोगी एस.डी.ओ. या ऐक्सीयन लैवल का आए ताकि वह उसको चैक करे अदरवाइज तो कई बार प्रोब्लम आती है कि नहर में पानी होने के बावजूद भी टेल पर पानी नहीं जाता। हैड वालों को तो दिक्कत नहीं है लेकिन टेल वालों को दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि 1972 में चट्ठा साहब, आप हमारे यहां किसी माइनर का उद्घाटन करने आए थे, आप उस टाइम के मंत्री हैं इसलिए आपको बहुत ज्यादा अनुभव है, you can do it. अध्यक्ष महोदय, मैं वैटनरी के बारे में दो तीन बातें कहना चाहूंगा। आज पशु धन बहुत मंहगा हो गया है। सवा 5 लाख रुपये में भैंस बिकी है। हरियाणा दूध के लिए और मुर्राह नस्ल की भैंस को रखने के लिए काफी प्रोत्साहन दे रहा है। इस बार पशु धन फार्म का सिस्टम गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने बना दिया है, हमारे यहां तो पहले ही बना हुआ था। पशु धन कमीशन बन गया गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से इसके लिए एड आएगी इसलिए हमें इसको ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। हम चाहे डाक्टर्ज न लगाएं और पशु अस्पताल न खोलें परंतु वी.एल.डी.ए. लैवल की डिस्पैंसरीज ज्यादा से ज्यादा खोलें। इसके नॉर्म्ज में ढील दी जानी चाहिए क्योंकि पशु मंहगे भी होने लग रहे हैं। पहले नार्म्स रखे हुए थे कि किसी गांव में इतने पशु होंगे और इतनी गांव की आबादी होगी तो पशु अस्पताल खोला जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि गांव की आबादी का पशु अस्पताल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए बल्कि गांव के पशुओं की संख्या को देखा जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि वी.एल.डी.ए. लैवल की डिस्पैंसरीज ज्यादा से ज्यादा खोली जाएं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रैनोवेशन की बात करना चाहूंगा कि इस सरकार के आते ही दो साल के दौरान पुरानी बिल्डिंग की रैनोवेशन पर बहुत काम किया गया था। पुराने रैस्ट हाउस, गैस्ट हाउस और भी दूसरी बिल्डिंग्ज की रैनोवेशन पर बहुत पैसा खर्च किया गया था जिसकी वजह से वे बहुत सुदर बन गई थी। आज फिर उनकी रैनोवेशन की जरूरत है क्योंकि बहुत समय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं शहरी विकास के बारे में कहना चाहता हूं हमारी बहुत सी सरकारी बिल्डिंग्ज हैं जो कंडम पड़ी

हैं। जो किसी भी काम में यूज नहीं हो रही हैं क्योंकि दफ्तर दूसरी जगह चले गये हैं या किसी में कोई छोटा-मोटा दफ्तर चल रहा है। बहन सुमिता सिंह जी यहां बैठी हुई हैं। मैं करनाल का ऐग्जाम्पल देना चाहूंगा कि ज्यूडिशियल हाउसिज से सिविल लाइन की तरफ जो रोड़ जाती है वहां से जो एन.डी.आर.आई. तक जितनी भी बिल्डिंग्ज हैं खाली पड़ी हैं, जिनका कोई यूज नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की बिल्डिंग्ज को हम यूटीलाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से करनाल की जेल की बिल्डिंग भी किसी यूज में नहीं है। (विघ्न)

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां उस बिल्डिंग में मैडीकल कालेज बनने लग रहा है अब वह जगह खाली नहीं है।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि वहां मैडीकल कालेज बन जायेगा तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इसी तरह से हर शहर में इस तरह की बिल्डिंग्ज को आईडैंटीफाई किया जाये जिनका यूज नहीं रह गया हैं सभी शहरों में ऐसी बिल्डिंग्ज मिलेगी इसलिए उनको आईडैंटीफाई करके यूजफुल बनाया जाये। चाहे वहां पर बढ़िया सुंदर पार्क बनाया जाये या कॉमर्शियल यूज करें। हिसार की पुरानी पुलिस लाइन उठाकर दूसरी जगह बनाई गई जो एशिया की सबसे बड़ी पुलिस लाइन है। जहां पहले पुलिस लाइन थी वहां हुडा ने प्लाट बेच दिए और उसी पैसे से दूसरी जगह हमारी पुलिस लाइन बन गई। इसलिए इसी तरह से पूरी स्टेट में जो बिल्डिंग यूजफुल नहीं हैं उनकी तरफ ध्यान देकर उन जगहों को आईडैंटीफाई करके उनको यूजफुल बनाना चाहिए। इस बारे में सरकार ने कोई रिसोर्स कमेटी बनाई हुई है लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि उस कमेटी की कभी कोई मीटिंग भी होती है। उस रिसोर्स कमेटी के अंदर पब्लिक रिप्रैजेन्टेटिव को जरूर जोड़ना चाहिए। क्योंकि पब्लिक रिप्रैजेन्टेटिव रोज पब्लिक के अंदर रहते हैं। हम देखते हैं कि ज्यादातर इस तरह की कमेटीज में ऑफिशियल ही रहते हैं यदि नॉन ऑफिशियल विधायक भी मैंबर होंगे तो वे अच्छे सुझाव ही देंगे। इसलिए इस तरह की कमेटी जरूर कांस्टीच्यूट करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे इन्फॉर्मेशन विभाग से थोड़ा गिला है। जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं, यह बात पहले मैं कई बार जुबानी कह चुका हूं लेकिन आज मुझे सदन में उठानी पड़ रही है। इसमें मुझे गिला यह है कि यदि आप हरियाणा सरकार की टैलीफोन डायरैक्टरी देखेंगे उसमें रिटायर्ड एच. सी.एस. का नाम, एड्रैस और नम्बर मिलेगा लेकिन एक्स एम.एल.एज. और एम. पीज. का उसमें नाम नहीं होता। ऐसा क्यों है? इसका मतलब ऐक्स एम.एल.एज. और एम.पीज. किसी खाते में नहीं आते हैं। यदि हम किसी भी ऐक्स एम.एल. ए. और एम.पी. का नम्बर डायरैक्टरी में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा और एक पैटी एच. सी.एस. आफिसर जो विधायक के सामने प्रोटोकाल में भी कहीं नहीं आता उसका नम्बर मिल जाता है। प्रोटोकाल में तो विधायक चीफ सैक्रेटरी से भी ऊपर होता है। रिटायर्ड एच.सी.एस. बिरादरी के नम्बर तो डायरैक्टरी में मिल जाते हैं लेकिन हमारी वाली बिरादरी के नम्बर नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं बनी। यदि कोई कंटैक्ट करना चाहता है इसके लिए हरियाणा बनने के बाद जो भी हमारे जीवित विधायक या एम.पीज. हैं उनके नाम हमारी टैलीफोन डायरैक्टरी में होने चाहिएं।

[प्रो. सम्पत सिंह]

(विघ्न) ये लोग हमारे थिंक टैंक हैं, पॉलिसी मेकर्ज हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। एच.सी.एस. आफिसर्ज के रिटायर होने में इनका नाम टैलीफोन डायरैक्टरी में रहे इसमें हमें कोई एतराज भी नहीं है लेकिन हमारे भी नाम उसमें होने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ओ. एंड एम. के बारे में कहना चाहूंगा कि जिस समय वित्त विभाग मेरे पास था, तब मैं भी सोचता था कि ओ. एंड एम. में तो खर्चा देने की क्या जरूरत है, यूं ही खा जायेंगे। इसी तरह की सोच रहती है, लेकिन ओ. एंड एम. सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जैसे हमारे पब्लिक हैल्थ के वाटर वर्क्स दुनियां भर के बन गये हैं। लेकिन उनमें से आप देखें कि फिल्टर मीडिया कितने का ठीक है। करीबन 50 प्रतिशत का भी ठीक नहीं मिलेगा। यही कारण है कि लोगों के पास साफ पानी नहीं जाता है और लोग बीमार होते हैं। लोग भी ऐतराज करते हैं और कई बार हम भी देखते हैं कि वाटर वर्क्स के अंदर बहुत गंदा पानी होता है क्योंकि उसके अंदर जो ओ. एंड एम. में पैसा देते हैं वह लास्ट प्रायोरिटी पर देते हैं जबकि आज के दिन वह टॉप प्रॉयोरिटी पर होना चाहिए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Sampat Singh Ji, I have institutd a new award "The Best Legislator Award" उसमें मैंने यह मापदण्ड भी रखा है कि कौन सा लेजिस्लेटर ज्यादा से ज्यादा बात कम से कम समय में कहता है।

प्रो. सम्पत सिंह : सर, अगर इस अवार्ड के लिए मेरा नाम सिलैक्ट नहीं होता तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं तो पूरे प्रदेश के लोगों का हित चाहता हूं। मैं तो हर डिपार्टमैंट के बारे में सिर्फ दो-दो लाइनें ही कह रहा हूं इससे ज्यादा मैं कह ही नहीं रहा हूं बाकी as you wish Sir. मैं इसी के साथ अपने सुझावों को यहीं पर समाप्त करता हूं।

Mr. Speaker : Thank you Mr. Sampat Singh Ji, you are a very wise man.

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak) : Sir, I have some grievances. With the permission of Hon'ble Chair, firstly, I will speak on Demand No. 1--Vidhan Sabha. Fastly, my demand is that in M.L.As Hostel, there should be one health club. Everywhere you go, you will find a health club.

Mr. Speaker : Mr. Randeep, Hon'ble Minister, there is a Constitution Club in the Parliament adjacent to it. You have all the modern facilities there. There is a health club, there is a canteen. Here also you should have these facilities. I am surprised that 7 rooms of the MLAs Hostel are occupied by the PHC. There is land which was allotted for the PHC. You are the PWD Minister. I would like to tell you that no steps have been taken in this regard.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, there are some issues with regard to clearance of drawings on account of the Le Corbusier's plan. That's why I have said, I can give an assurance on behalf of the Government that we can make such a health club as my learned has suggested. But the land has to be made available.

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Minister, I would like to request that the Le Corbusier's plan does not come in the way of formation of health club. There is a provision of MLAs Hostel in the Le Corbusier's plan and a provision for health club can be made there. There is a hall in the MLAs Hostel and you can convert it for this purpose.

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, we are planning to construct a new block for MLAs flats. We can have health club there.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, MLAs flats are allocated by virtue of land use for a particilar purpose and that is for construction of a MLAs Hostel. I will not be able to convert the uses to a health club. Your intervention would be required with Hon'ble Governor of Punjab who is also the Administrator of Chandigarh to permit us to change atleast the ground floor portion or the first floor portion as the case may be of the new block of the MLAs flats into a health club. Otherwise, they will seal it, because it will be a misues.

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जहां तक हमने सुना है इस परपज के लिए लैंड ईयरमार्कड है लेकिन जो प्राब्लम हमने सुनी है वह मैं माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जैसे वहां पर कार गैराज वगैरह होते हैं जो कि एम.एल.एज. के फ्लैटस के नाम होते हैं उनमें से दो-तीन को किसी ने अनअथॉराईज्ड तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। वे उन्हें खाली नहीं करते। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वे रूम खाली नहीं किये जाते तो उनको उनकी जगह कहीं और कमरे दिये जा सकते हैं। जब वहां पर हॉस्पिटल बिल्डिंग बन जायेगी जिसकी ऑलरेडी आपको परमिशन दी हुई है अगर यह कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद उसके अंदर काफी स्पेस मिल जायेगा और स्पेस मिल जाने के बाद तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आयेगी और उसके बाद अगर हम वहां पर हैल्थ क्लब या दूसरा जो भी सिस्टम वहां पर चलाना चाहेंगे, वह चलाया जा सकता है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, there is a problem of tree cutting also there. Sir, these are the problems which I have told you.

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ये इनीशिएट तो करें, अगर ये शुरू में ही अड़चनें और ऑब्जैक्शन लगा देंगे तो यह काम स्टार्ट कैसे होगा और यह काम स्टार्ट ही नहीं होगा तो फिर यह काम पूरा कहां से होगा?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, these are the two issues that have been flagging. The Health Minister is here. I will check it with him immediately. This is the difficulty. Why should we have any objection ?

Mr. Speaker : Mr. Minister, I think we should call an inter-departmental meeting and of course the case will go to the MOEF.

Shri Randeep Singh Surjewala : That is correct Sir. It has to go upto MOEF.

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, secondly I would like to request that there is no facility of physiotherapist in the MLAs Hostel.

[Shri Bharat Bhushan Batra]

There should be appointment of physiotherapist, there should be one room for the physiotherapy and that also fully equipped. This is the requirement of the day.

Mr. Speaker : But Batra Ji, there is no space for a physiotherapy room.

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, it hardly needs a room. It hardly needs a 10×10 ft. room for the physiotherapy.

Mr. Speaker : You need a room for it. For physiotherapy, there are so many machines, instruments etc. so, you need full room.

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पर सारे डॉक्टर एम.बी.बी.एस. हैं। एम.एस. या एम.डी. वहां पर एक डॉक्टर है। वहां पर टोटल 15 डाक्टर पोस्टेड हैं। इनमें से कोई किसी असरदार व्यक्ति की पत्नी है, बहन है या और कुछ। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, why do we need a M.S. doctor here. We will use them effectively for the people of the State elsewhere. Panchkula is very near and it is a beautiful hospital.

17.00 बजे **Shri Bharat Bhushan Batra :** Speaker Sir, it is matter of grave concern. जिस तरह से राव धर्मपाल जी या दूसरे एम.एल.एज. हैं जो पैटीग्रांट का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ पेचीदगियां हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें एम.एल.एज. पर जो allegation है that is not correct. The thing is only that Rao Dharam Pal has not availed the petty grants even because कल को वे कहेंगे कि इसकी इंक्वायरी करते हैं ये करते हैं there should no misuse, it is hundred percent correct but it should be simplified. Money should go to the MLA's accounts. MLAs can operate separate accounts. They can have cheque book. एक एम.एल.ए. साल में जितने भी चैक काटेगा, उस चैक बुक की पूरी डिटेल हम इनको सबमिट कर देंगे। जहां-कहीं भी 10-20 हजार रुपये देते हैं तो उसका यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने में दिक्कत आती हैं अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यही अनुरोध है कि इन रूल्ज को थोड़ा सा सिम्पलीफाई किया जाये ताकि एम.एल.एज को कोई दिक्कत न आये।

Shri Randeep Singh Surejewala : Speaker Sir, Hon'ble Chief Minister has asked me to convey to my learned friend also to the House that while it may not be possible to transfer the money into MLAs accounts but we will permit so on self certification only. We will amend to that extend. Speaker Sir, utilization certificate will go once the MLA certifies. MLA certificate will enough. No utilization certificate from the beneficiary would be required.

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Chief Minister is here and we can discuss the PHC and Health Club and the Flats. He has taken a call on that.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, we would request to you and Hon'ble Chief Minister that a meeting in this regard may be called separately.

Mr. Speaker : The entire House requests the Hon'ble Chief Minister.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो आप नया एम.एल.ए. होस्टल बनवाने जा रहे हैं, उसके डिजाइन में हैल्थ क्लब का भी प्रावधान करवा दें।

Mr. Speaker : And a PHC also because it is a very good suggestion made by you but for PHC seven rooms in MLAs Hostel are occupied by the PHC on the ground floor. Several Members who are old they complaint me that we cannot climb the stairs so we need rooms at down stairs. (Interruption) We do not have. Mr. Balbir Pal Shah, Mr. Dhull so many other Members have approached me in this regard.

श्री बलबीर पाल शाह (पानीपत शहरी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरी मंजिल पर चढ़ने में बहुत परेशानी होती है, तथा मजबूरी में मुझे अपने आपको बीमार कहना पड़ता है।

श्री भारत भूषण बतरा : इसी तरह से एल.टी.सी. के जो 2 लाख रुपये हर सदस्य को दिये जाते हैं उनका भी होना चाहिए कि एम.एल.ए. एक बार में ही भर कर दे कि उसने ये-ये यात्राएं की हैं और उनके द्वारा भरकर दिये गये प्रोफार्मा को पर्याप्त मान लिया जाये। Similarly, in other Assemblies also there is no such type of system. They are paid two lacs as traveling allowance it may be by air, by rail or by road. For that two installments of payment are made. So, I request to the Hon'ble Chief Miniter that it should also be simplified instead of giving declaration, filling the stations that मैं भुवनेश्वर गया, मद्रास गया या कहीं और गया that does not have any meaning बाकी तो आपको पता ही है कि सी.ए.जी. छोटी-छोटी बातों में एम.एल.एज. पर ऑब्जैक्शन लगाती है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, we have already issued instructions for self certifications of that also.

Shri Bharat Bhushan Batra : I am grateful to the Hon'ble Chief Minister and the Finance Minister that 14% increase in the Education Sector in Budget for the year 2013-2014. I will request the Hon'ble Minister that there should be quality education and it is also the desire and vision of our Hon'ble Chief Minister. When we are providing 14% increase in the Education Sector in the State Budget then improvement in quality must be there. We are going to amend the Haryana Private Universities Bill, 2013. On that matter we will also give some suggestions. मैं फाइनैंस मिनिस्टर श्री चटठा साहब को भी रिक्वैस्ट करूंगा कि हमारा जो छठा पे कमीशन बना था उसमें कई अननैसेसरी एनॉमलीज रह गई हैं। उसमें कुछ इन्सटीच्यूशन के इम्पलौथीज को जो रिलीफ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। जैसे जो पटवारी हैं उन पटवारियों

[Shri Bharat Bhushan Batra]

की भी एनॉमलीज रह गई है, उदाहरण के तौर पर जैसे रेवेन्यू पटवारी को पे स्केल नहीं दिया और नहरी पटवारी को दे दिया, रेवेन्यू पटवारी भी पटवारी ही हैं और पे स्केल के लिए परेशान होते हैं मेरा निवेदन है कि आप इस ओर भी ध्यान दें। आगे आने वाले टाइम में यह एनामलीज बहुत बढ़ जाएंगी जैसे जे.बी.टी. टीचर की आपने इतनी ज्यादा तनख्वाह कर दी तथा दूसरी ओर पुलिस कांस्टेबल्स की तनख्वाह कम है। मैं श्री चट्ठा साहब, को रिक्वैस्ट करूंगा कि जितनी भी एनामलीज हैं उनको रिमूव करें। तीन-तीन साल से सभी इम्पलौयीज व एसोसियेशन की रिप्रैजैंटेशन पेपरों पर यहां वहां घूम रही हैं लेकिन उन रिप्रेजेंटेशन का कुछ नहीं होता। स्पीकर सर, सजैशन तो बहुत ज्यादा थे पर इनते ही पूरे हो जाएं, तो ठीक है।

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is —

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

2. दि हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गारबेज (कंट्रोल) अमैंडमैंट बिल 2013

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Bill, 2013 and also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : सर, एक बहुत अच्छी अमैंडमैंट पोलिथीन के बारे में आ रही हैं उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। सर, पॉलिथीन के लिए अब तक केवल जुर्माना करने की पॉवर थी परन्तु चालान करने की पॉवर नहीं थी। सारा देश पॉलिथीन के बारे में सीरियस है। सर, मैं एक दो बातों के लिए सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आपने बिल की क्लॉज 3 में इसके existing preamble को substitute करते हुए लिखा है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं--

> "to regulate manufacturing, sale, distribution, stock, usage and disposal of non-biodegradable material and prohibition of throwing and depositing of non-biodegradable garbage in public drains, sewerage, roads and places open to public view in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto."

सर, मगर इसमें ट्रांसपोर्टेशन को नहीं जोड़ा गया इसलिए मैं इसमें कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन का भी इसमें हमने ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि लोग दूसरी स्टेटस से पॉलिथीन सेल करके ले आते हैं कि हमें हिमाचल में बेचना है या किसी और स्टेटस में बेचना है जिस स्टेट में इसके ऊपर ये पाबन्दी नहीं है। वे लोग रास्ते में ही कहीं न कहीं अपना जो स्टॉकिस्ट वगैरह है या कोई और है उसको दे जाते हैं और ले आते हैं इसके लिए भी हमारी कोई चैकिंग वगैरा होनी चाहिए। दूसरी सर, इसमें जो चालान करने की बात है जैसे पहले जुर्माने करने की बात है। कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनको पावर्ज देने की सख्त जरूरत है लेकिन उनको चालानिंग पॉवर देते समय ऐड नहीं किया गया है। अतः सराकर को इस पर विचार करके पॉवर्ज को डेलीगेट करना चाहिए। हर सब्जी मंडी के अन्दर एक-दो पॉलिथीन के होलसेल डीलर अवश्य मिल जाते हैं। लेकिन जो मॉर्किट कमेटी का सैक्रेटरी है जो सब्जी मंडी की सुपरवाईजिंग भी करता है उसके पास चालान की कोई पावर निहित नहीं है। इसी तरह से हैल्थ और अन्य कई डिपार्टमैंट में भी यही हालात विद्यमान हैं। जो डी.सीज. और ए.डी.सीज की चालान करने की पॉवर्ज होती हैं, इन पावर्ज को यह लोग अपनी व्यस्तता के कारण यूज नहीं कर पाते हैं बल्कि वे अपने क्लर्क को ही भेज देते हैं जो उनके बिहाफ पर चालान काटने की पॉवर्ज का प्रयोग करते हैं।

Mr. Speaker : You know what it lead to?

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मेरे तो कहने का मतलब यही है कि जो यह चालान की पावर्ज केवल कुछ ऑफिसर्ज को दी गई है इनके साथ-साथ कुछ अन्य अफसरों को भी चालान की पॉवर्ज दी जानी चाहिए। जैसे मैंने मंडी सुपरवाइजर का उदाहरण दिया जिनकी डॉयरेक्ट डीलिंग इस तरह के लोगों के साथ तकरीबन रोज ही होती है। उनको भी यह चालानिंग पॉवर दी जानी चाहिए। (विघ्न)

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमने तहसीलदार, बी.डी.ओ., एस.डी.ओ. ए.डी.सी. तथा डी.सी. के साथ अन्य काफी ऑफिसर्ज को चालानिंग पॉवर्ज दे रखी है। लेकिन

जो आपने सैक्रेटरी, मार्किट कमेटी को चालानिंग पॉवर देने की बात कही है, इस पर विचार किया जा सकता है। (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जैसाकि माननीय बतरा जी ने जो बैठे-बैठे शंका प्रकट की है कि यदि इस तरह की चालानिंग पॉवर्ज ज्यादा लोगों को दे दी जायेगी तो वह किसी भी समय जायेंगे और किसी भी गरीब आदमी का चालान कर देंगे, यह उनका एक अच्छा सुझाव है। यह स्थिति तो बाद में ही फेस करनी पड़ेगी क्योंकि पॉलिथीन का प्रयोग तो बाद में ही होगा पहले तो उसे कोई होलसेलर या स्टॉकिस्ट बेचने के लिए लायेगा। हम जो होलसेलर या स्टॉकिस्ट्स पर जुर्माना लगाते हैं वह बहुत कम है। अधिकतर जुर्माना राशि 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक निश्चित की गई है। अतः रूल्ज के अन्दर अमैंड करके इस तरह का प्रावधान करना चाहिए कि जो पॉलिथीन की सप्लाई करता है उस पर यह कानून ज्यादा सख्त बने न कि उस पर जो पॉलिथीन का यूज करता है। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो जैसे सब्जी वाले ने सब्जी डालकर किसी को दे दी तो इस तरह से जो सब्जी खरीदकर जायेगा उसका चालान हो जायेगा और जो होलसेलर है जोकि मेन बीमारी है वह बचा रह जायेगा तो फिर रूल का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस होलसेलर पर जो पॉलिथीन की सप्लाई करता है, या जो इसको बनाते हैं उनके ऊपर इस रूल में सख्त कानून होने चाहिएं। ऐक्ट में अमैंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जब से पॉलिथीन पर पाबंदी लगाई गई है तब से आप देखें कि चालान किन लोगों के ज्यादा हुए हैं .....? (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हम होलसेलर का भी चालान करते हैं और स्टॉकिस्ट्स का भी चालान करते हैं।

प्रो. सम्पत सिंह : कैप्टन साहब, मैं यह नहीं कह रहा कि होलसेलर और स्टाकिस्ट्स के चालान नहीं किये जाते, बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे डिपार्टमैंट है उनको भी विजिलैंट किया जाना चाहिए। हम तो यह भी चाहते हैं कि आप अपने डिपार्टमैंट को भी और ज्यादा स्ट्रैंथन करें। आपके इन्वॉयर्नमैंट डिपार्टमैंट में इंजीनियर्ज की बड़ी भारी कमी देखने को मिलती है। But it is a good thing कि आपने और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर जो अच्छी पॉलिसी बनाई है उसकी वजह से आज इन्वॉयर्नमैंट डिपार्टमैंट में इंजीनियर्ज की कमी को बहुत हद तक पूरा किया जा रहा है। पहले यह होता था कि कोई आदमी जिसकी सिफारिश होती थी वह इन्वॉयर्नमैंट डिपार्टमैंट में आ जाता था लेकिन अब डिपार्टमैंट में इन्वॉयर्नमैंट इंजीनियर ही आने लगे हैं। यह सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है तथा हम सब के लिए खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि इन्वॉयर्नमैंट डिपार्टमैंट में और अधिक इन्वॉयर्नमैंट इंजीनियर भर्ती किये जायें। आपके जो रीजनल ऑफिसिज हैं उनको और मजबूत किया जाये तथा ज्यादा से ज्यादा संख्या में और रीजनल आफिसिज खोलने की आज बहुत जरूरत है। जो इन्वायर्नमैंट डिपार्टमैंट में ए.ई. या जूनियर इंजीनियर के पद हैं उन पर इंवॉयरमैंट से संबंधित लोगों की ही भर्ती होनी चाहिए।

[प्रो. सम्पत सिंह]

पहले ऐसा होता था कि इन्वॉयर्नमैंट डिपार्टमैंट में कभी सिविल इंजीनियर्ज को तथा कभी पब्लिक हैल्थ के इंजीनियर्ज को डेपूटेशन पर लगा दिया जाता था। इस तरह से इस डिपॉर्टमैंट की इंजीनियर्ज की पोस्ट्स को बिना काम वाली तथा ल्यूक्रेटिव पोस्टस माना जाता था। सरकार का यह कदम अच्छा है कि उसने इस डिपार्टमैंट में डेपूटेशन को बंद कर दिया है और जो आप इस डिपार्टमैंट का अलग से कैडर बना रहे हैं that is a good thing लेकिन इसमें आगे जाकर और अधिक काम करने की जरूरत है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in existing Clause 3. Now, the Minister will move an amendment.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, some suggestions have come from my learned friends and they have pointed out that the transporatation is not, as one of the suggestions, taken care of. So, that suggestion is noted and with your permission, Sir, I beg to move—

That in the first line of Section 3 after the word, "usage" the sign and word, ", transport" may be added.

Mr. Speaker : Motion moved —

That in the first line of Section 3 after the word, "usage" the sign and word, ", transport" may be added.

Mr. Speaker : Question is —

That in the first line of Section 3 after the word, "usage" the sign and word, ", transport" may be added.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 4 to 5

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in existing Clause 6. Now, the Minister will move an amendment.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That in the third line of proposed Section 3A after the word, "distribution" the sign and word, ", transport" may be added.

Mr. Speaker : Motion moved —

That in the third line of proposed Section 3A after the word, "distribution" the sign and word, ", transport" may be added.

Mr. Speaker : Question is —

That in the third line of proposed Section 3A after the word, "distribution" the sign and word, ", transport" may be added.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 6, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 7 to 15

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 7 to 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill as amended be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill as amended be passed.

The motion was carried.

---

3. दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Speaker : Now a Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. दि हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Speaker : Now a Minister will introduce the Haryana Police (Amendment) Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Police (Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : सर, मैं भी इस बिल के बारे में कुछ सजैशन देना चाहता हूं। स्पीकर सर, पहले तो मैं इस बिल को लाने के लिए सरकार को ऐप्रीशिएट करता हूं। सर, मेरा भी यह सजेशन था कि पुलिस भर्ती के लिए रिक्रूटमैंट बोर्ड अलग से बनना चाहिए क्योंकि वैकैंसीज बहुत ज्यादा पड़ी हैं। अच्छी फोर्सिज को भर्ती करने के लिए यह बहुत जरूरी है। एक अच्छा भर्ती बोर्ड बन जाएगा तो वह रैगुलर काम करेगा, नहीं तो बार-बार बोर्ड रीकांस्टीच्यूट करने पड़ते हैं इसलिए यह बोर्ड बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यह एक ऐप्रीशिएट करने वाला कदम है। सर, इस बिल के बारे में मैं जो जानना चाहता था वह स्पेसिफाई नहीं हो पाया है, वह यह है कि किस लैवल तक के कर्मचारी यह बोर्ड भर्ती करेगा? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बोर्ड के चेयरमैन की उम्र इसमें 70 साल रखी गई है जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 साल है।

Mr. Speaker : Some people are young at the age of 70.

Prof. Sampat Singh : Sir, some people are young at the age of 90 also. सर, अमेरिका और यूरोप में तो किसी व्यक्ति को रिटायर करते ही नहीं हैं। चाहे 90 साल का हो जाए, चाहे 80 साल का हो जाए। सर, वैसे तो मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं कि अब बहुत ही अच्छे और वैल क्वालिफाइड लोग एच.पी.एस.सी. में मैंबर आ रहे हैं, पहले की तरह नहीं कि आर.एम.पी. डॉक्टर को चेयरमैन बना दो। अब वैल क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं इसके लिए मैं प्रेजैंट गवर्नमैंट को ऐप्रीशिएट करता हूं लेकिन फिर भी स्पीकर सर, ऐज के बारे में थोड़ी बहुत हद होनी चाहिए। इसमें जो चेयरमैन की 70 साल ऐज वाली बात है। बात ये भी हो रही है कि सैकेंड टाइम भी परमीशन दे देंगे। 70 साल की ऐज पर जोर दे रहे हैं तो यह गवर्नमैंट की मर्जी है। मेरा तो यह सुझाव है बाकी तो जो होना है वह तो होना ही है। मुझे इस बारे में यही दो शब्द कहने थे।

Mr. Speaker : Question is —

> That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Health Minister (Rao Narender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

5. दि हरियाणा को-ऑपरेटिव सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Speaker : Hon'ble Members now the Co-operation Minister will introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Co-operation Minister (Shri Satpal) : Sir, I beg to introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 14

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 2 to 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Co-operation Minister will move that the Bill be passed.

Co-operation Minister (Shri Satpal) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

6. दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2013

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Education Minister will introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2013 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matenhail) : Sir, I beg to introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2013.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : स्पीकर सर, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल हम सदन में ला रहे हैं क्या ये हरियाणा में एजूकेशन के स्तर को और ऊपर ले जायेंगी या नहीं, इनको बनाने का परपज हल होगा या नहीं? जितनी भी अभी तक यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं और जो सरकार की पहले से ही यूनिवर्सिटीज हैं अगर उन यूनिवर्सिटीज से इन यूनिवर्सिटीज का स्तर और ज्यादा ऊंचा हो जाए तब तो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खोलने का फायदा है ताकि स्टेट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आए। मुझे इस बात का डर है क्योंकि जो यह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल हम सदन में लेकर आए हैं इसके साथ ही इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रूल्ज भी फ्रेम होने चाहिए और इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर चैक्स और बैलेंसिज भी होने चाहिएं। आपको पता है कि पहले एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसमें अपने आप ही वाइस चांसलर अपॉईंट कर लिया और अपने आप ही यूनिवर्सिटी की बॉडी बना दी। उनका कोई सिस्टम नहीं है। स्पीकर सर, उनका ऐग्जामिनेशन सिस्टम आगे चलकर कैसा होगा मुझे डर है कि इन यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां बिका

[श्री भारत भूषण बतरा]

करेंगी। इसके बाद मैं नहीं कहता लेकिन इस बात को सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी खुली हुई है। आज के दिन यह ऐडमिटिड फैक्ट है कि जब यह यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ऐफीलियेटिड थी तब इस यूनिवर्सिटी की ज्यादा वैल्यू थी। इंडिपैंडेंट होने के बाद आप रोज देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में मिस्ट्रीज हो रही हैं। यह ठीक है कि एजूकेशन की सबको जरूरत है परंतु यदि इन यूनिवर्सिटीज में गवर्नमैंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा और उस बॉडी का सैक्रेटरी ही मैंबर या सब कुछ होगा तो यह ठीक नहीं होगा। गवर्नमैंट को पता होना चाहिए कि उस बॉडी में whether qualification is proper or not, whether Chancellor is being appointed properly or not. अगर वायलेशन करके अप्वायंट करेंगे तो कैसे चलेगा? यह तो वही बात होगी कि घर की बही और काका लिखणिया। इस तरह से तो इन यूनिवर्सिटीज का यही सिस्टम होगा कि घर की बही और काका लिखणिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसके रूल्ज फ्रेम होने चाहिएं। इन रूल्ज के अंदर पूरी रिस्ट्रिक्शंज होनी चाहिएं और गवर्नमैंट के पास पॉवर्ज होनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ ऐजूकेशन को आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Minister may note down the suggestions.

Smt. Geeta Bhukkal Matenhail : Speaker Sir, already there is an act, Private University Act is there and all the provisions are there in the Act. Already we have amended the Private University Act. जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर कहीं न कहीं जरूर शिकायतें आ रही हैं लेकिन उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी हम इस बिल में अमैंडमैंट्स लेकर आए हैं। दूसरी बात स्कूली शिक्षा में हमारी बहुत ज्यादा इनरोलमैंट्स हुई हैं और इनरोलमैंट्स बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्टेट को टारगैट्स दिए गए हैं जिसके हिसाब से 2020 तक करीबन 30 परसैंट ग्रोस इनरोलमैंट रेशो हमें करनी है। हमारी यह रेशो 15-16 परसैंट से ज्यादा है जोकि काफी बैटर है। भारत सरकार की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हरियाणा की ग्रौस इनरोलमैंट रेशो 20.13 है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि क्वालिटी ऑफ एजूकेशन और स्कूली शिक्षा के साथ-साथ हायर एजूकेशन में भी सुधार जरूरी है। सरकारी यूनिवर्सिटीज भी सरकार बना रही है और साथ-साथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी हम लेकर आ रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमैंडमैंट बिल हम लेकर आए हैं, उसमें जो अमैंडमैंट्स की हैं उसके बारे में हम इंश्योर करेंगें कि इन पर जो भी शिकायत आए चाहे वह फी स्ट्रक्चर को लेकर आए या ऐडमिशन को लेकर आए उन पर पूरा ध्यान दिया जाए। दूसरा जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा में खुल रही हैं वे 25 परसैंट ऐडमिशन हरियाणा के डोमिसाइल को देंगी और फी कंसैशन का भी उसमें प्रावधान है। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इस तरह के कोर्सिज हैं जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज शायद नहीं दे पा रही हैं इसलिए यूनिवर्सिटीज हम लेकर

आ रहे हैं। आज जो अमैंडमैंट आई है उसमें हम करीबन पांच नई यूनिवर्सिटीज ऐड कर रहे हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि एक सोसायटी बन गई और सोसायटी ने चांसलर अप्वायंट कर दिया। वाइस चांसलर अप्वायंट करने में हमारे एजुकेशन मिनिस्टिर का कोई रोल नहीं है कि ठीक वाइस चांसलर अप्वायंट हो रहा है या नहीं? उसकी बॉडी बन रही है और उसमें एक मैम्बर हम अपना नोमिनेट नहीं कर सकते जबकि सरकार की तरफ से कोई मैम्बर होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी ठीक चले। सबसे बड़ी बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि और कुछ नहीं तो कम से कम उनका ऑडिट तो गवर्नमैंट से करवा दिया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगी कि ऑडिट का प्रावधान भी इस बिल में है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, फाइनैंस ऑफिसर उनका अपना होगा, गवर्नमैंट का फाइनैंस ऑफिसर नहीं होगा। सरकार की तरफ से उनका ऑडिट रख दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। उसके लिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ज्यादा चिंता इस बात को लेकर जताई है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट जो लेकर हम आए हैं उसमें बहुत सारे क्लॉजिज भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा न केवल हरियाणा राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों, पूरे देश और दुनिया में इस समय है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कई बार बैटर इन्फ्रास्ट्रक्चर देने के बाद कई बार बैटर क्वालिटी की बात करती हैं। इसमें हमने यह इंट्रोड्यूस किया है कि जिस तरह से हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज का ग्रेडेशन होता है उसी तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी बाय नैक ऑफ 5 साल के अंदर एक्रीडेशन हो, ऐसा हम भी इंश्योर करते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे सम्मानित साथी को कहना चाहूंगी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट है और जो अमैंडमैंट है, वे उसको जरूर पढ़ लें और उसके बाद भी अगर इनका कोई सुझाव ऐसा है तो हम जरूर उसको कंसीडर करेंगे। अगर क्वालिटी ऑफ ऐजूकेशन, क्वांटिटी ऑफ इनरोलमैंट को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है तो हम जरूर उसको समय-समय पर कंसीडर करते रहे हैं। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, हाउस के पास समय कम है। मैं ऐक्ट का एक-एक प्रोविजन पढ़ सकता हूं इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि इस अमैंडमैंट के साथ-साथ कुछ अच्छे से रूल्ज फ्रेम कर दिए जाएं। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : गवर्नमैंट का अपना ऑडिटर होता है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, ये इस चीज को रूल्ज में दिखा दें। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, गवर्नमैंट का अपना ऑडिटर होता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उनमें रैगुलर इंजीनियरिंग, बी.टैक, एम.टैक, एम.बी.ए., एम.कॉम., बी.कॉम., पी-एच.डी. आदि की पढ़ाई होती है। हम केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हक में नहीं हैं। इनके साथ-साथ हम सरकारी यूनिवर्सिटीज भी लेकर आये हैं। हम नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी लेकर आये हैं। इसके अतिरिक्त भगत फूल सिंह महिला विश्वविधालय भी हमारी सरकार लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंट्रोल के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। जैसा खासतौर से महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना के बारे में कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन को बताना चाहूंगी कि कई बार उनसे फी स्ट्रक्चर या दूसरी जानकारी नहीं मिलती है तो हम पैनल्टी भी लगा रहे हैं और इसके साथ-साथ हम उन पर कार्रवाई भी करेंगे। हमने इसमें यूनिवर्सिटीज को कैंसिल करने का प्रावधान भी रखा हुआ है, ऑडिट का भी प्रावधान रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी किसी तरह की जरूरत होगी वहां कार्रवाई भी हम करेंगे। इस बात को लेकर हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि बैटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ पूरा कंट्रोल स्टेट का इन पर रहे।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमैंट यूनिवर्सिटीज में तो रिसर्च नहीं हो रही, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कोई रिसर्च हो रही है?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो भी पी-एच.डी. की डिग्रीज दी जाती हैं उनमें हमने कम से कम तीन सब्जैक्ट जरूरी कर रहे हैं कि रिसर्ज वर्क जरूर हों। विशेष तौर से स्कूली और कालेज शिक्षा के बाद जब यूनिवर्सिटी जाना होता है उसमें रिसर्च वर्क करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिसर्च वर्क के बेस पर ही हम ऐजूकेशन में क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से साथियों के सुझैशंज भी आये हैं, मैं बताना चाहूंगी कि क्वालिटी एजूकेशन में गवर्नमैंट, प्राइवेट और पी.पी.पी. मोड सबको लेकर हमने इनरोलमैंट बनानी है।

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Edcuation Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. के भर्त्सना के मामले को टालना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Shri Abhey Singh Chautala, MLA had made casteist remarks (Jaati Soochak shabad) against Shri Jaiveer Balmiki, CPS in the House on 24th August, 2012. Since he was suspended for the remainder of the August Session, 2012, the matter was deferred for

[Mr. Speaker]

the present Budget Session, 2013. As he is not present in the House, therefore, the matter of reprimand of Shri Abhey Singh Chautala is deferred till the next Session of Haryana Vidhan Sabha.

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am thankful to you all for extending cooperation to me for smooth conduct of the proceedings of the House. I am also thankful to all the Press representatives, Government Officers and Officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation extended to me during the present Session.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House stands adjourned *sine die*.

*17.35 Hrs. (The Sabha then * adjourned *sine die.*)

51233—H.V.S.—H.G.P., Chd.